खण्ड-243, अंक-10
मंगलवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(17 दिसम्बर, 1963 ई0)

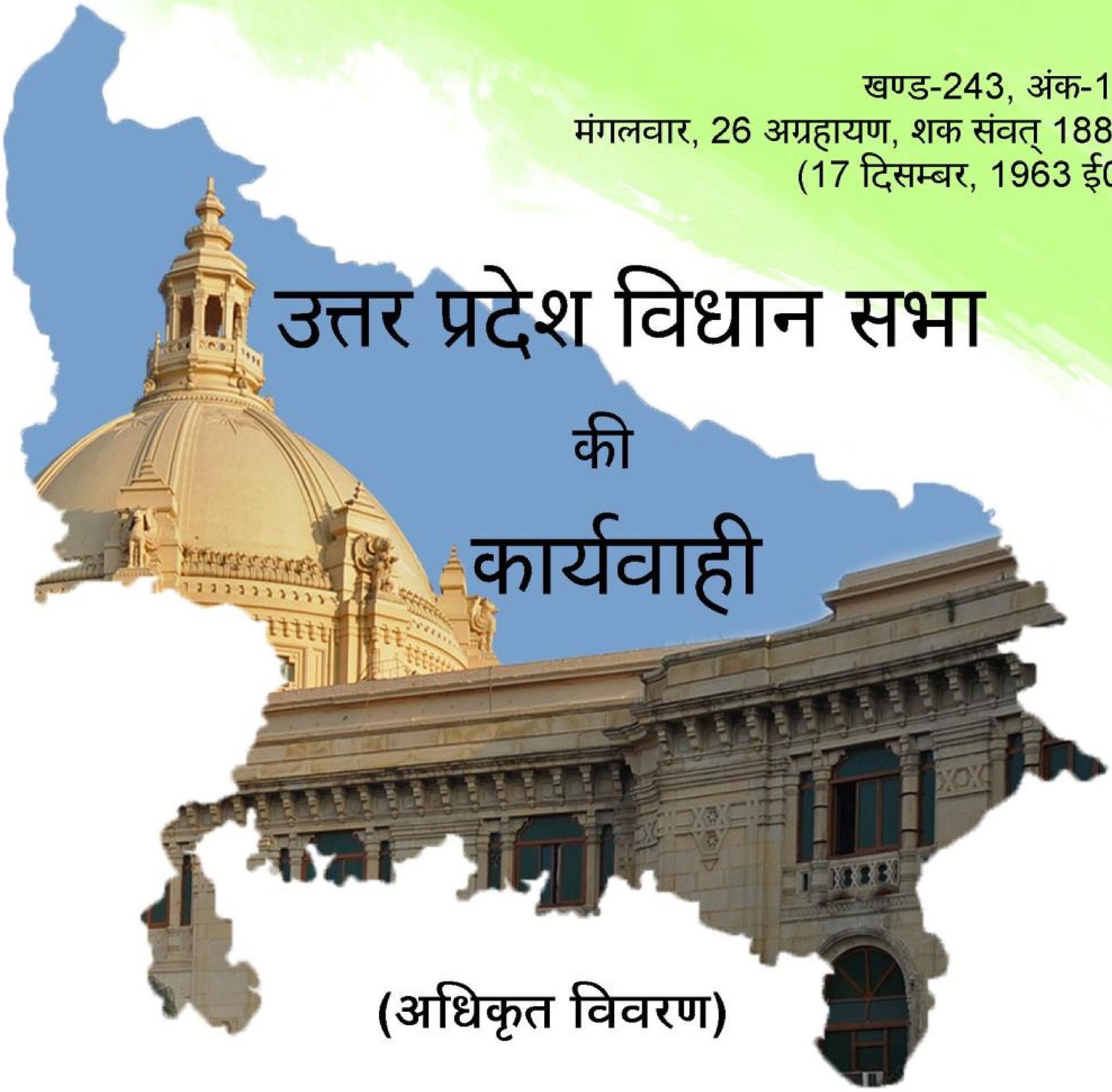

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१३२५–१३२९
प्रश्नोत्तर	१३२९–१३६७
उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	१३६७
श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना	१३६८–१३७१
श्री नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा एक मंत्री पर गांजा तथा अफीम के तस्कर व्यापार से संबंधित भ्रष्टाचार करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	१३७१–१३७९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१३८०–१३८१
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१३८१–१३८२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३८३
विभिन्न विधेयकों के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	१३८३–१३८४
राज्य सरकार एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय संकट का दुरुपयोग करने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा करने हेतु सूचना ..	१३८४–१३८५
बापू इंटर कालेज, कोपागंज (आजमगढ़) के विद्यार्थी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१३८५–१३८८
बहीखातों के सील मुहर करने की प्रार्थना	१३८९
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ (विचार जारी) ..	१३८९–१४३३
बिंदकी, जिला फतेहपुर में खत्तियों में गेहूं सड़ जाने से सरकार को क्षति के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	१४३३–१४४०
नथियां	१४४१–१४५२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३५९

अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप , राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती, सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवरसहाय, कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे , श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखनसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल , श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोनहलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९६३

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गन्ना विकास समिति बेलवाई में प्राप्त धन सुरक्षा कोष में न जमा होना

**१—श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्रय-विक्रय तथा गन्ना विकास समिति बेलवाई, जिला सुल्तानपुर २० नया पैसा प्रति क्विन्टल की दर से सन् १९६२–६३ में किसानों से गन्ने की खरीद पर सुरक्षा कोष के लिये वसूल किया था ? यदि हां, तो वसूल की हुई रकम कितनी है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां।

इस प्रकार कुल १५,५९८ रु० ८३ न० पै० वसूल हुए।

**२—श्री अब्दुल समी—

क्या उक्त रकम सुरक्षा कोष में जमा की गयी ? यदि हां, तो कहां और कब ?

श्री बनारसी दास—

उक्त रकम सुरक्षा कोष में नहीं जमा की गई है।

**३—श्री अब्दुल समी—

क्या बैंक में सुरक्षा कोष का कोई खाता खोल रखा गया है और क्या उक्त धनराशि उसी खाते में जमा की गयी है अथवा किसी दूसरे खाते में जमा की गयी है ? यदि सुरक्षा कोष के खाते में उक्त धन नहीं जमा किया गया है, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

हां, जिला सहकारी बैंक सुल्तानपुर में सुरक्षा कोष का खाता खोल रखा गया है। है। उक्त धनराशि बैंक के इस खाते में नहीं जमा की गई है बल्कि स्टेट बैंक की शाखा शाहगंज में समिति के हिसाब में जमा है। उक्त धन सुरक्षा कोष में इसलिये नहीं जमा किया गया था कि सहकारी क्रय-विक्रय एवं गन्ना विकास समित लि० बेलवाई के संचालक मंडल द्वारा एक ताव हुआ था कि उपरोक्त धन किसी मंत्री महोदय को बुलाकर दिया जावे।

श्री अब्दुल समी—

यह प्रस्ताव कब पास किया गया है ?

श्री बनारसीदास—

इसकी तारीख तो हमारे पास नहीं है लेकिन यह ६३ के शुरू में पास किया गया है।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जमा की हुई रकम निजी खाते में जमा की गयी थी पहले और जब २६ नवम्बर को अखबार में निकला तथा संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत की गयी उस समय यह प्रस्ताव पास किया गया तब उसकी बचत के लिये यह बात पैदा की गयी ?

श्री बनारसीदास—

मेरे पास जो विवरण है उससे यह पता चलता है कि ३० जून, ६३ को जो बैलेंसशीट थी उसमें सुरक्षा के खाते में वह रकम दिखाई गयी है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

सुरक्षा कोष के लिये जो धन एकत्रित किया जाता है वह धन कहां जमा हो, किस प्रकार जमा हो, उसके लिये राज्य सरकार का कोई आदेश है या नहीं है ? अगर है तो उस आदेश का उल्लंघन यहां क्यों किया गया ?

श्री बनारसीदास—

जिस समय यह सुरक्षा कोष एकत्रित किया जा रहा था उस समय शुरू-शुरू में स्थानीय लोगों ने अपनी रसीदें छपवा ली थीं। बाद में आदेश दिये गये थे कि जो रसीदें जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा छपवाई गयी हैं उन्हीं पर रुपया वसूल किया जाय और वह धन स्टेट बैंक्स के पास जमा किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर फण्ड, चीफ मिनिस्टर फंड में जमा किया जाय या जिला मैजिस्ट्रेट को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह यह पूछ रहे हैं कि उस आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक उल्लंघन का ताल्लुक है जब तक सरकार की नोटिस में कोई बात नहीं आती तब तक उस पर कोई कार्यवाही करना नामुमकिन है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह सुरक्षा कोष की वसूली उस तारीख के बाद हुई जब इस सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि रसीदों के लिये निश्चित तौर पर आदेश दिये जा चुके हैं और सुरक्षा कोष की वसूली के तरीके के सिलसिले में डेफिनिट आर्डर्स दिये जा चुके हैं, उस तारीख के बाद इस सुरक्षा कोष की वसूली हुई और उसमें गड़बड़ी की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यहां तो सवाल यह है कि उस खाते में जमा है जिस खाते में जमा नहीं होना चाहिये था।

श्री कल्पनाथसिंह—

सदन में मुख्य मंत्री की घोषणा हो चुकी है कि निश्चित आदेश जमा करने के बारे में दिये जा चुके हैं उसके बाद यह धन वसूल किया गया है। उस आदेश के बावजूद भी इस प्रकार का उल्लंघन क्यों हुआ है और उस पर माननीय मंत्री क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

यह गन्ना जो सप्लाई होता है उस संबंध में शाहगंज फैक्टरी ने निश्चय किया था कि किसानों से यह धनराशि वसूल की जायगी और उस समय ६२–६३ के गन्ने का सीजन था, उसमें यह धनराशि वसूल की गयी। यहां आदेश कोआपरेटिव बैंक ने यह दिये थे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से जो धन इकट्ठा किया जायगा वह जिला कोआपरेटिव बैंक्स को जायगा और उसके बाद वह प्रदेश के सुरक्षा कोष में जमा कर दिया जायगा। तो जब यह नहीं हुआ तो वहां से सूचना यह मिली कि डायरेक्टर्स ने प्रस्ताव पास किया कि इस धनराशि को किसी मंत्री को निमंत्रित करके भेंट की जाय। यह अभी तक हुआ नहीं और पहले हमारी नोटिस में इस प्रकार की कोई जानकारी थी नहीं। अब यह जानकारी हमारे सामने आयी है और इस पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अब्दुल समी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस साल के अन्दर मुख्य मंत्री और गृह मंत्री, दोनों ही सुल्तानपुर गये थे तो उनको यह पैसा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बनारसीदास—

जैसा माननीय सदस्य कहते हैं मुख्य मंत्री और गृह मंत्री अवश्य ही वहां गये होंगे, तिथि तो मुझे मालूम नहीं है, और धनराशि उन्हें नहीं दी गयी। इस प्रश्न के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब अवश्य ही इसे देखा जायगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह रुपया कई बार किसी चेक बुक से निकाला गया है ? श्रीमन्, एक चेक बुक वहां है जिससे कई बार यह रुपया बैंक से निकाला गया और किसी दूसरे खर्च में लगाया गया। तो शुरू में जितना रुपया जमा था उतना ही अब भी है या उससे कम ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास इस वक्त नहीं है कि चेक बुक से कोई रुपया निकाला गया या नहीं। मेरे पास तो सूचना यह है कि इतना रुपया बैलेंस-शीट के अन्दर है और शाहगंज के बैंक में है।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने बताया कि वह शायद रुपया बैंक में है और इस कारण नहीं जमा किया गया कि कोई मंत्री वगैरह जायेंगे उनको थैली भेंट की जायगी। यह चीज नियम के विरुद्ध है क्योंकि ऐसी तो कोई सरकार ने आज्ञा दी नहीं थी जो उन्होंने रुपया नहीं जमा किया। तो इस बारे में सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

इसका उत्तर तो मैंने दिया है। मेरी जानकारी में यह अभी आया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री यादवेंद्रदत्त—

क्या उचित कार्यवाही की जायगी ?

श्री बनारसीदास—

रुपया वसूल किया जायगा और अगर कानूनन कोई और कार्यवाही की जा सकेगी तो वह भी की जायगी।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य---

क्या मंत्री जी आज ही वायरलेस के द्वारा वहां के अधिकारियों को यह आज्ञा देंगे कि उनकी चेकबुक जब्त कर ली जाय ताकि उससे पता चल सके कि कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो एकाउन्ट बुक से मालूम हो जायगा, चेकबुक जब्त करने का सवाल नहीं है।

श्री रामायणराय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने इसके लिये कोई अलग कोष बना रखा है या नहीं क्योंकि समाचार-पत्रों से हमको यह ज्ञात हुआ कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने शायद मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी ट्रस्ट में यह धन जमा कर रखा है ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, कल इस प्रकार के प्रश्न हुये थे। मेरी भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुयी थी। यह बात निराधार है कि सुरक्षा कोष का कोई भी पैसा मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के लिये लिया या जमा किया गया।

श्री अध्यक्ष---

वह पूछ रहे हैं कि किस तरह से जमा होना चाहिये और कहां जमा होना चाहिये।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि आदेश यह था कि प्रत्येक जगह स्टेट बैंक में जमा किया जाय या चीफ मिनिस्टर फंड में या प्राइम मिनिस्टर फंड में जमा किया जाय या जिला मैजिस्ट्रेट जमा कर सकते हैं और बाद में उसको चीफ मिनिस्टर फंड में हस्तांतरित कर सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शारदा नहर की हैदरगढ़ शाखा में पानी न आने की शिकायत

*१---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि शारदा कैनाल की लखनऊ डिवीजन में हैदरगढ़ शाखा में ६ माह से पानी नहीं जा रहा है और इस शाखा का सभी पानी प्रतापगढ़ डिवीजन की जौनपुर शाखा को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

जी नहीं। ऐसा नहीं हुआ।

*२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त हैदरगढ़ शाखा में पानी न पहुंचने से लाखों बीघा धान, जड़हन की फसल सूख गयी और इस फसल में भी अवर्षण से लाखों बीघा भूमि की बुआई की समस्या है ? यदि हां, तो क्या हैदरगढ़ शाखा को तत्काल पानी दिलाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

चूंकि हैदरगढ़ शाखा को बराबर पानी मिलता रहा है इसलिये इसके सिंचित क्षेत्र में पानी की कमी से धान, जड़हन की फसल नहीं सूखी है। नहर बराबर चलाई गई जिससे रबी की फसल की बुआई के लिये पलेवा किया गया। इस स्थिति में उक्त शाखा को तत्काल पानी दिलाने की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त जौनपुर शाखा जो कि जलाशय से ही हैदरगढ़ शाखा के समानान्तर बनायी गयी है इसे डाइरेक्ट उपयुक्त मात्रा में जलाशय से सीधा पानी न देकर दयालगंज पर हैदरगढ़ शाखा से भी पानी दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जौनपुर शाखा जलाशय से ही हैदरगढ़ शाखा के समानान्तर नहीं बनाई गई है। जो शाखा हैदरगढ़ शाखा के समानान्तर बनाई गई है उसे "समानान्तर" हैदरगढ़ शाखा कहते हैं जौनपुर शाखा हैदरगढ़ शाखा से निकलती है। जिस स्थान से यह शाखा निकलती है वहां हैदरगढ़ व समानान्तर हैदरगढ़ शाखायें एक हो जाती हैं। जौनपुर शाखा को जितने जल की आवश्यकता होती है उतना पानी हैदरगढ़ शाखा से मिल जाता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब हैदरगढ़ शाखा पहले से मौजूद थी तो दूसरी शाखा उसके समानान्तर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और प्रतापगढ़ डिवीजन की जौनपुर शाखा को इस शाखा से पानी देने के क्या मानी हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, इस शाखा में पानी कम था और एक ऊपर जलाशय बनाया गया तो उसका पानी नीचे लाने के लिये एक ही बात हो सकती थी कि इस हैदरगढ़ शाखा को चौड़ा कर दिया जाता। इसमें दिक्कत यह होती है कि बनने के कारण इसको बन्द रखना पड़ता, इसलिये यह उचित समझा गया कि इसके पैरेलल दूसरी शाखा बनाई गई और आगे चलकर एक शाखा हो गई और वहां से जौनपुर शाखा में मिल गई है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस बात को देखते हुये कि हैदरगढ़ शाखा का तमाम पानी दयालगंज शाखा में चला जाता है जो इसके समानान्तर बनी है और वहां से जौनपुर शाखा को जाता है। इसकी वजह से हैदरगढ़ शाखा में आगे सिंचाई खत्म हो जाती है और खेत सूख जाते हैं, तो क्या सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी कि जो पानी उस शाखा में चला जाता है वह न जाकर उसकी आवश्यकतानुसार उसे पानी मिले? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, हैदरगढ़ शाखा को पानी आवश्यकतानुसार मिलता है और जहां की बात माननीय सदस्य कहते हैं वहां भी २५० क्यूसेक्स पानी चलता है और इसमें ६५० क्यूसेक्स चलता है, तो कमी का सवाल नहीं उठता है।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि पानी कम था, इसलिये दूसरी बनाई गई तो क्या पहली शाखा कमांड एरिया की सिंचाई कर पाती थी या नहीं? फिर कैसे पता चला कि कम है और दूसरी बनाई गई?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं अपनी बात समझा नहीं सका। एक शाखा पहले से बनी हुई थी, उसके ऊपर जलाशय बना दिया। उसका पानी नीचे लाने के लिये उसको चौड़ा करना पड़ता। इसमें डिसलोकेशन होता, इसलिये दूसरी शाखा बनाई गई।

[१७ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के मझगांवा ग्राम में लकड़ी की ठोकर

*१—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में मझगावां ग्राम में राप्ती के कटाव से बचाने के लिये कोई लकड़ी की ठोकर बनाने के लिये सरकार ने अपनी योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना की प्रगति क्या है और उस पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

*२—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त ठोकर बनाने के लिये बल्लियों की खरीद कहां कहां से और किस रेट पर की गई है ? यदि टेंडर मांगा गया है तो उक्त टेंडर की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई कि नहीं और जिन-जिन लोगों ने टेंडर दिया था उनके रेट और नाम क्या हैं ?

*३—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बल्ली देने के लिये कुल कितने रुपये का एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट रेट किस-किस प्रकार की बल्लियों का क्या-क्या है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी सारे प्रश्न पढ़ कर यह बतायेंगे कि कौन सा पोर्शन इनका है जिसकी सूचना एकत्र की जा रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना आयी थी लेकिन सूचना ऐसी थी कि अगर आप सप्लीमेंटरी पूछते तो मैं सब का जवाब नहीं दे सकता था। मैं अपने आप सैटिस्फाइड नहीं था। मैंने जवाब मंगाया है। जब डिटेल आ जायेगा तो जितने सप्लीमेंटरी पूछेंगे सब का जवाब दे दूंगा।

श्री रामायणराय—

तो इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो स्थगित है ही।

पूर्वी जिलों से सम्बन्धित सिंचाई योजनायें

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसके अतिरिक्त कितनी और भूमि सींचने का प्रोग्राम किन-किन जिलों में सरकार के विचाराधीन है और उस पर कितना रुपया और व्यय किया जायेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में निश्चित लक्ष्य के अलावा पूर्वी जिलों में अन्य भूमि सींचने के लिये निम्नलिखित योजनाएं शासन के विचाराधीन हैं:-

(१) गन्ने वाले क्षेत्र में ३२४ नलकूपों का निर्माण—

इस योजना पर २५९.२०० लाख रुपया व्यय होगा तथा ३८,८८० एकड़ गन्ने की फसल को सिंचन सुविधा प्राप्त होगी। इसमें से १८८ नलकूप पूर्वी जिलों में बनाये जायेंगे तथा २२,५६० एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचन सुविधा प्राप्त होगी।

(२) पूर्वी जिलों में ११० नलकूपों का निर्माण—

इस योजना पर १०० लाख रुपया व्यय होगा तथा ३८,५०० एकड़ भूमि को सिंचन, सुविधा प्राप्त होगी।

इन योजनाओं से जो जिले लाभान्वित होंगे, उनकी सूची संलग्न है।

इसके अतिरिक्त राज्य के राजकीय नलकूपों की सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिये १२५० मील पक्की तथा ४,२०० मील कच्ची नालियों का विस्तार करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। इस योजना पर तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में पूर्वी जिलों में करीब ७७ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का क्या लक्ष्य निर्धारित था और इससे कितनी सिंचाई का साधन और प्राप्त हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारा लक्ष्य जो था मीडियम योजनाओं में ९ लाख ५४ हजार ९८५ एकड़ और माइनर सिंचाई योजनाओं में ४ लाख ३२ हजार ३७२ एकड़ था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह ११० और १८८ नलकूप लगाये जाने की योजना है, क्या यह योजना कार्यान्वित की गयी है या नहीं ? नहीं की गयी है तो कब तक जारी की जायगी ? क्या मार्च, १९६४ के पहले यह पूरी हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह योजना अभी बनायी गयी है। यह तो मैं नहीं बतला सकता कि कब तक पूरी हो जायगी ? यह स्वीकृत हो गयी है और शीघ्र ही बनाने का प्रयास किया जायगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, इन जिलों में पृथक्-पृथक् कितने ट्यूबवेल इस साल लगाये जाने वाले हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसमें पहली स्कीम में जौनपुर में ११ हैं, आजमगढ़ में १०, बस्ती में १२ हैं और दूसरी १००-११० की स्कीम में जौनपुर में १०, बलिया में ५ और आजमगढ़ में १० हैं।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं समझता हूं कि जल्दी ही इनका काम आरम्भ हो जायगा। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि कब हो जायगा।

श्री रामायणराय—

यह जो पक्की नालियों के बारे में आपने सूचना दी है प्रत्येक नलकूप पर आज कहीं १ मील और कहीं ६ फर्लांग नालियां बनी हुई हैं, तो इन नालियों के बारे में कोई निश्चित आपने आदेश दिया है, क्या एक ही मील यह नालियां बनेंगी या और बढ़ायी जायेंगी, यह मैं जानना चाहता हूं। क्या आपका आदेश है ? क्योंकि नलकूप बने हुए हैं लेकिन नालियों के अभाव में काश्तकार पानी नहीं चला पाता है।

श्री अध्यक्ष—

यह नालियों की बात आप अलग से पूछ लीजिये।

श्री रामायणराय—

अभी आपने बताया है कि इतनी पक्की नालियां बनायी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता तो दिया लेकिन यहां तो प्रश्न सिर्फ यह है कि सिंचाई के साधनों की कमी खते हुये तीसरी पंचवर्षीय योजना....

श्री रामायणराय—

मान्यवर, बड़ा इम्पार्टेंट सवाल है, ट्यूबवेल बने हुए हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं....

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह कहा कि यह जो नालियां बनायी जायेंगी वह इनकी क्षमता बढ़ाने के लिये ही बनायी जायंगी। जो नलकूप बने हुए हैं उनकी क्षमता बढ़े, जिससे दूर तक पानी ले जायं, इसीलिए यह नालियां बनायी जा रही हैं।

श्री रामायणराय—

कितनी बनायी जायंगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आवश्यकतानुसार बनायी जायंगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने नलकूप लगेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

देवरिया जिले में बहुत नलकूप हैं, ९३।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि ११०-१८६ के बटवारे में बलिया में ५ ट्यूबवेल लगेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बलिया में सिंचन क्षेत्र का रकबा काफी कम है, ३० प्रतिशत से भी नीचे हैं, तो क्या आधार है उनका इस बंटवारे में जो उन्होंने बलिया के लिये केवल ५ ट्यूबवेल दिये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

पांच ही की वहां इस वक्त आवश्यकता समझी गई। यह इतना आप अच्छी तरह से चला लेंगे तो नलकूपों की कमी थोड़े ही है, आवश्यकता समझी जायगी तो और भी बन जायेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि एक साल से वाराणसी डिवीजन में सामान न होने के कारण ट्यूबवेल नहीं लगाये जा रहे हैं ? इसका प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे कि सामान जल्दी से जल्दी पहुंच जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

ऐसी सूचना मेरे पास तो है नहीं।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने के सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट

*५---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ ई० में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन तथा अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में जो कमेटी बनाई गई थी क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)---

सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन तथा अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। कमेटी की सिफारिशों पर निर्णय होने के पश्चात् ही रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जा सकती है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन और आर्थिक सहायता देने के लिए कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यह तो मैं सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि इस रिपोर्ट पर जब सरकार विचार कर चुकेगी उसके बाद ही सदन की मेज पर रख सकेगी।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

मुख्य-मुख्य सुझाव क्या दिये हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

एक तो यह था कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों का भी राजनीतिक पेंशन का अधिकार माना जाय और कुछ ऐसा था कि जिनको राजनीतिक पीड़ितों का आश्रित माना जाता था उनमें कुछ भेद करने की बात सुझायी थी। इसी तरह की और भी तमाम चीजें हैं।

श्री दीनदयाल करबरिया (जिला बांदा)—

क्या सरकार बतलायेगी कि राजनैतिक पीड़ितों की पेंशन के सम्बन्ध में कमी बेशी करने की विषमता का व्यवहार किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

पेंशन तो २० रुपये से ७५ रुपये तक की रकम है जो तमाम हालात को देखते हुये और उनकी परिस्थिति को देखते हुये अलग-अलग दी जाती है ।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में १०० रुपये तक की पेंशन कुछ लोगों को दी गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं, किसी को १०० रुपया नहीं दिया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो काश्मीर में आन्दोलन चला था और जिसमें अहरार पार्टी ने भाग लिया था तो जो लोग कैद हुये थे उनको भी राजनैतिक पीड़ित समझा जाने लगा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मेरा ख्याल है कि उस आन्दोलन से यू० पी० का कोई ताल्लुक नहीं था ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितनी पेंशन पिछले दिनों दी गई हैं उनमें कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनको भी पेंशन दी गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा केस है । मेरे सामने आये तो मैं देखूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी की ओर से कहा गया है कि उन लोगों को भी यानी भूतपूर्व सैनिकों को भी पेंशन देने के बारे में सुझाव दिये गये हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पहले भी राजनैतिक पेंशन जो दी गई हैं उनमें किसी भूतपूर्व राजनैतिक सैनिक को दी गई है या नहीं । और अगर दी गई है तो उसका परसेन्टेज क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

शायद जो जवाब दिया गया है उससे कुछ गलतफहमी हो रही है । वह जवाब देने में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से भी कुछ गलती हो गई है । उसमें यह तरमीम हुआ है कि उनको पोलिटिकल सफरर माना जाय लेकिन पेंशन उनके लिये नहीं है बल्कि और तरह की इमदाद जैसे लड़की की शादी वगैरा के मौके पर उनको इमदाद देने की बात तय हुई है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रियासतों के आन्दोलन में, मसलन् हैदराबाद और काश्मीर और भूपाल वगैरा में जो उत्तर प्रदेश के वालटिन्यर गये थे और जिनको सजा हुई थी तो क्या सरकार उनको भी राजनैतिक पीड़ित मानेगी ?

श्री अध्यक्ष—

जो डिटेल आप पूछना चाहते हैं वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बाद में आप जान सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैंने इस सम्बन्ध में चन्द्रभान् गुप्त जी को एक पत्र लिखा था और उनका उत्तर आ गया है। मैंने कहा था कि आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को राजनीतिक पीड़ितों की सुविधायें मिलनी चाहिये और भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री उग्रसेन—

तो मेरा सवाल है कि भारत सरकार के आदेशानुसार जब दूसरे प्रदेश उनको पेंशन दे रहे हैं तो आपको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

हमने उनको राजनीतिक पीड़ित मान लिया है, लेकिन सब को हम पेंशन नहीं दे सकते।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या कमेटी ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि जो एक बार जेल हो गया है उसे राजनीतिक पीड़ित मान कर पेंशन दी जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको अनुदान मिलता है उनको पेंशन नहीं दी जाती ?

श्री मुजफ्फर हसन—

हर किसी को अनुदान देना मुमकिन नहीं है। शादी ब्याह में दे देते हैं और यह जिनको पेंशन मिलती है। उनको भी देते हैं और जिनको नहीं मिलती उनको भी मिल जाता है।

श्री रामायणराय—

केन्द्रीय सरकार ने जो राजनीतिक पीड़ित की परिभाषा की है क्या मंत्री जी की परिभाषा उससे भिन्न है ?

श्री अध्यक्ष—

उनका जवाब है कि राजनीतिक पीड़ित मानते हैं, केवल पेंशन नहीं दे सकते।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[९ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न ५३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर के अमीनों की जिलेदारी परीक्षा
नलकूप विभाग में पतरौल

*७—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६२ में इलाहाबाद में जो जिलेदारी की परीक्षा हुई थी उसमें गोरखपुर सर्किल से कितने अमीन परीक्षा में सम्मिलित हुये थे ? उस परीक्षा में कुल कितने लोग उत्तीर्ण घोषित किये गये और उनकी सीनियारिटी लिस्ट क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नवम्बर, १९६२ में इलाहाबाद में हुई जिलेदारी की परीक्षा में सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर के १९ अमीन सम्मिलित हुये थे। उक्त परीक्षा में कुल ६४ अमीन उत्तीर्ण हुये जिनमें से ४ अमीन सिंचाई कार्य मंडल गोरखपुर के थे। उत्तीर्ण हुये अमीनों की सीनियारिटी लिस्ट अभी नहीं बन पाई है।

*८—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग, गोरखपुर में कुल कितने पतरौल हैं और वे किन-किन स्थानों पर काम करते हैं और क्या उनके आवास की व्यवस्था विभाग की तरफ से है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४२ पर)

*९—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में अमीन क्वार्टर भी हैं ? यदि हां, तो उस क्वार्टर में जिलेदारी आफिस क्यों और कब से रखा गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में केवल एक अमीन क्वार्टर है। सन् १९५६ में जब एक नई जिलेदारी का निर्माण हुआ तो उसके कार्यालय के लिये अन्यत्र उचित स्थान न मिलने के कारण उसको इस क्वार्टर के एक भाग में रख दिया गया।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद की १९६२ की परीक्षा में ६४ आदमी उत्तीर्ण हुये थे, उनकी सीनियारिटी लिस्ट अभी तक क्यों नहीं बनी है ? यदि बनी है, तो किस आधार पर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सर्विस के लिहाज से बनती है और पूरे प्रदेश की वह लिस्ट बनेगी। अलग-अलग कहां-कहां कितनी सर्विसेज थीं उसके हिसाब से वह बनती हैं और उसके लिये सूचना एकत्रित की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्दी ही बन जाय।

श्री उग्रसेन—

गोरखपुर मंडल में एक ही अमीन का क्वार्टर है और जहां इंजीनियरों के आवास नहीं बने हैं वे सिंचाई के डाक बंगले में रहते हैं, तो क्या कारण है कि वहां अमीन के क्वार्टर में ही जिलेदार का आफिस खोला गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अमीन के लिये साधारणतया क्वार्टर देने की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं है तो ठीक है, लेकिन वह वहां इसलिये बना दिया गया था कि जब वे बाहर से आयें तो वहां पर ठहर सकते हैं। फिर भी वहां चूंकि जगह नहीं मिली, काफी दिक्कत है, इसलिये टेम्पोरेरी इंतजाम कर दिया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरी जगह ढूंढ़ लें और अगर जगह मिल मिल जायगी तो यह आफिस यहां से हटा दिया जायगा।

श्री उग्रसेन--

क्या उन पतरौलों की आवास की व्यवस्था के लिये मंत्री जी आश्वस्त करेंगेजो घूम कर दिन भर काम करते हैं और पेड़ के नीचे रहते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर यह सदन रिसोर्सेज देने के लिये तैयार होगा तो वह भी कर देंगे।

श्री रामायण राय--

गोरखपुर में मंत्री जी ने स्थान का अभाव स्वीकार किया। सिंचाई विभाग के पास तो एक नहीं अनेक डाक बंगले हैं जो ऐसे ही बकार पड़े रहते हैं। तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिस क्वार्टर में यह आफिस चल रहा है उसमें इतने वर्षों से वह आदमी कैसे रह पाता होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह एक टेम्पोरेरी इंतजाम है। अगर गोरखपुर में कोई और जगह मिल सकती है तो उसके लिये भी प्रयास करेंगे।

श्री रामायणराय--

यह तो सारे प्रदेश का सवाल है, सिंचाई विभाग ने अनावश्यक होते हुये भी इतने डाक-बंगले बनवा रखे हैं। तो उसी के स्टाफ के आवास के लिए कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अनावश्यक नहीं, बल्कि जितनी आवश्यकता है उससे डाक-बंगले तो कम हैं।

श्री रामायणराय--

लेकिन जो पतरौल जिलेदार इत्यादि हैं उनके लिये आवास की व्यवस्था आप कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उनके कहने का मतलब यह है कि कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*१०--श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजनैतिक पीड़ितों और उनके आश्रितों को पेंशन, विवाह सहायता और शिक्षा सहायता देने की विधि में कोई परिवर्तन गत तीन वर्षों की अवधि में किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

गत तीन वर्ष की अवधि में राजनैतिक पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को पेंशन तथा विवाह के लिये सहायता देने की विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया सिवाय इसके कि दिसम्बर, १९६२ से भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को भी राजनैतिक पीड़ित मानकर उनकी पुत्रियों, आश्रित बहिनों के विवाहार्थ वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है ।

शिक्षा सहायता देने की विधि में जो परिवर्तन हुये हैं उनका तुलनात्मक विवरण संलग्न है । यह सहायता शिक्षा विभाग से दी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४४३ पर)

*११—श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार ने कोई सामान्य नीति निर्धारित की है कि राजनैतिक पीड़ितों की पेंशन की रकम में कोई वृद्धि न की जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां । साधारणतया नहीं की जाती ।

श्री मैनेजरसिंह—

जब आप आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को राजनीतिक पीड़ित मानकर उनके आश्रितों को सहायता दे रहे हैं तो उनको पेंशन देने की व्यवस्था पर भी विचार करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम सब राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दे सकें । इसी वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाये गये हैं । हमारे पास हजारों दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन रकम तो काफी नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

जब उनको पोलिटिकल सफरर मान लिया तो जिस आधार पर दूसरे राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देते हैं, क्या उनको भी देने पर विचार करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

और लोगों पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरा प्रश्न स्पष्ट है, उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

आपके जो मूल प्रश्न हैं उनसे यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या यह सही है कि जो पहले इसके लिये नियम थे उनको रिवाइज किया गया और आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को भी वह सहूलियतें दी जायं इस कारण इस प्रश्न पर विचार करके उनको पेंशन देने के नियमों में परिवर्तन किया गया और कुछ को उस हिसाब से दिया भी गया किन्तु ज्यादा दरख्वास्तें न आयें, इस वजह से इसकी व्यापक पब्लिसिटी नहीं की गयी और और गोल मोल तरीके से यह चीज होती रही ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी बात सही नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी आजाद हिन्द फौज के ऐसे सैनिकों को जो पेंशन और वित्तीय सहायता पाने के हकदार हैं और जिनकी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं उनको यह सहायता देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने अर्ज किया, एतराज कुछ नहीं है, मगर रकम की कमी है। इसीलिये यह किया है कि जो एक बार जेल गये हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। यदि एक बार में कोई ५ साल तक बराबर जेल में रहा है उसको देते हैं। इसमें जो लोग आते हैं उनके लिये मुमानियत नहीं है। जो भी एक बार से ज्यादा जेल हो आया है उसके केस पर विचार होता है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उनके पत्र संख्या ४-६-६१ दिनांक २३ मई, १९६१ के अनुसार जो भी सुविधायें आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को दी जा रही हैं जैसे सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु में छूट, शिक्षा में छूट, तथा अन्य सुविधायें आदि, वही सभी सुविधायें अपने यहां भी दे रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने अर्ज किया पेंशन हम नहीं दे पा रहे हैं, अन्य सुविधायें तो दे ही रहे हैं जो दूसरे पोलिटिकल सफरर को देते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या आपने यह परिपाटी बना ली है कि कांग्रेस पार्टी के ही लोगों को पेंशन आदि देंगे ? क्या माननीय मंत्री जी जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य विरोधी पार्टियों के लोग हैं, जो जेल आदि गये हैं, उनको भी पेंशन देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह गलत इल्जाम है। जो भी लोग इस नियम के अन्तर्गत आते हैं उनको सहायता दी जाती है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता।

श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

यह बताया गया कि जो राजनीतिक पीड़ित एक बार जेल गये हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती है, क्या उनको और वित्तीय सहायता देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उनको दूसरी सुविधायें तो दी जाती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसे नियम बनायेंगे कि जिससे सारे प्रदेश में जो अपंग हैं, जिनको गोली लगी है या जिनको सिविल सर्जन ने लिख दिया है कि उनकी अपार क्षति हुई है, भले ही वे एक बार जेल गये हों, उनको भी ऐसी सहायता मिल सके क्योंकि पहले आपने एक बार जेल जाने वालों को भी यह सहायता दी, फिर कई बार इसमें परिवर्तन किये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जिनको गोली लगी है, जो अपंग हैं, उनको जरूर पेंशन दी जाती है। रकम कम है, इसलिये यह पाबन्दी लगा दी है।

बदायूं जिले में आनरेरी मजिस्ट्रेट

*१२—श्री बिशनलाल यादव (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जिला बदायूं में जितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं और उनमें ऐसे आनरेरी मैजिस्ट्रेट कौन-कौन हैं जो कि इसके पूर्व भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट तथा कुछ आरोप लगाने के कारण अपने पद से हटा दिये गये थे ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

केवल एक है।

*१३—श्री बिशनलाल यादव (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट पहले हटा दिये गये थे, उन पर क्या आरोप थे तथा पुनः क्यों मैजिस्ट्रेट बना दिये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसका कारण गोपनीय है अतः यह सूचना देना जनहित में न होगा।

झांसी जिले में राजनीतिक पेंशन

*१४—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में राजनैतिक पेंशन पाने हेतु सन् १९६२ में कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें किन-किन लोगों को पेंशन मंजूर की गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सन् १९६२ में झांसी जिले से पेंशन के लिये १७ राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुये। उनमें से एक व्यक्ति श्री काली चरण निगम को पेंशन दी गई। दो व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं और बाकी मामले नियमानुसार न होने के कारण अस्वीकार कर दिये गये।

श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

क्या सरकार बतायेगी कि वे २ व्यक्ति कौन हैं जिनके मामले विचाराधीन हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

विद्याधर त्रिपाठी पुत्र श्री नन्द लाल और राम सेवक पुत्र भैरों।

श्री मैनेजर सिंह—

झांसी की कुछ दरख्वास्तें इसलिये नामंजूर हुईं कि वे एक ही बार के सजायाफ्ता थे जबकि उसी वित्तीय वर्ष में इलाहाबाद में एक बार के सजायाफ्ता को पेंशन दी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी कोई पेंशन नहीं दी गई है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जिन नियमों में दरख्वास्तें दी गई थीं वे नियम ही बदल दिये गये जिससे वे नामंजूर हुईं ?

श्री मुजफ्फर हसन---

नियम तो अभी बदला नहीं गया। यह ५ नवम्बर के सवाल के जवाब में बतला दिया गया है। लेकिन ज्यादा तादाद में दरख्वास्तें होने के कारण कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिये गये हैं जो अगले नियमों में पेश हैं और शायद वे मंजूर भी हो जावें।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)---

किनके प्रार्थना-पत्र नामंजूर हुए ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

देवीदास गांधी, मूलचन्द्र, मोतीलाल, सुन्दरलाल, तीरथराज, मलखानसिंह, परसराम, राम सेवक, सालिगराम तिवारी, शंकर, मंसाराम, लाल सिंह, चतर हरिजन, शिवराज सिंह।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दो मामले विचाराधीन हैं उन पर कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन---

डी० एम० की रिपोर्ट आने के बाद।

आजमगढ़ जिले में घाघरा का कटाव

*१५---श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस साल के बाढ़ के समय सम्भवतः पहली अगस्त, को आजमगढ़ जिला में घाघरा के गांगेपार, धनौली, रामपुर और सरवां नामक स्थानों पर भयंकर एवं घातक कटाव देखने स्वयं माल मन्त्री गये थे ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---

जी हां।

*१६---श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)---

यदि हां, तो सरकार की ओर से उन स्थानों के कटाव की रोक-थाम के लिये कौन-कौन उपाय किये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---

तत्वतः इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

झांसी में बिजली की अव्यवस्था

*१७---श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि झांसी में बिजली की अव्यवस्था के कारण बिजली कम्पनी को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के लिये जनता को आन्दोलन चलाना पड़ा है और शहर में कम्पनी के विरुद्ध तीव्र असन्तोष है ?

श्री गिरधारी लाल---

झांसी में बिजली की अव्यवस्था होने के कारण वहां के बिजली कम्पनी के व्यवसाय को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा १ नवम्बर, १९६३ से ले लिया गया है।

*१८—श्रीमती बेनीबाई (अनुपस्थित)—

यदि उपरोक्त बात सत्य है तो क्या विद्युत् मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बिजली की कमी व अव्यवस्था के कारण, जो कम्पनी के कारण हुई है, कारखानों के उत्पादन, जिनमें सरकारी कृषि यंत्र कारखाना भी है, की कितनी हानि हुई है तथा उसके सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

हानि कितनी हुई इसकी सूचना सरकार को नहीं है परन्तु बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कम्पनी के व्यवसाय को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ले लिया गया है।

*१९—श्रीमती बेनीबाई (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार झांसी बिजली कम्पनी को अपने हाथ में लेकर बिजली उत्पादन व वितरण व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या कदम उठाने जा रही हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

कम्पनी का व्यवसाय राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ले लिया गया है।

*२०–२२—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

[१३ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न ९५–९७ के अन्तर्गत उत्तर सदन में दिये जा चुके हैं।]

इलाहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों का वेतन भत्ता

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज डिपार्टमेंट के कण्डक्टर तथा जूनियर क्लर्क की तरक्की सन् १९६१ से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

स्थिति ऐसी नहीं है।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद के जीरो रोड के बस स्टैन्ड के कर्मचारियों को समय से ज्यादा कार्य करने का भत्ता ८ महीने से नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अक्तूबर, सन् १९६३ तक का भत्ता अधिकतर कर्मचारियों को दे दिया गया है। बाकी के बिलों की जांच हो रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

कुल संख्या कर्मचारियों की कितनी थी, कितनों को तरक्की दी गई, कितनों को नहीं दी गई और न देने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इतनी डिटेल में सूचना मेरे पास नहीं है। ९१ जूनियर बुकिंग क्लर्कों की तरक्की इस दिसम्बर में की गयी।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार के पास शिकायत आई है कि तरक्की होने में देर इसलिये हुई कि जो कागजात ऊपर अफसरों के पास भेजते हैं उन्हें खुश नहीं किया गया ?

श्री हरिदत्त काण्डपाल—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इलाहाबाद जिले में जिन्होंने अतिरिक्त समय काम किया उनमें से कितनों को भत्ता मिल चुका है और बाकी कब तक दिया जायगा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जून, ६३ तक भुगतान किया जा चुका है । जुलाई, ६३ से अक्तूबर तक जिनके बिल साफ थे उनको भुगतान हो गया है । जिनमें स्क्रुटनी की जरूरत है वह हो रही है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

कंडक्टरों और जूनियर क्लर्कों के लिये तरक्की की कौन सी चैनल निर्धारित की गई हैं और क्या यह सही है कि जिन कंडक्टरों को आफिस में लगा दिया गया है उनको ए० टी० आई० का डाइरेक्ट प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उनको ३ कैटेगरी में प्रमोट किया गया, ए० टी० आई० में, स्टोर कीपरो में और जूनियर बुकिंग क्लर्कों में प्रमोट किया गया ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कारण क्या है जिससे मंत्री जी की कृपा इलाहाबाद के छोटे कर्मचारियों पर नहीं है और बड़ों पर ही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह तो महज आपका ख्याल है ।

श्री उग्रसेन—

जो कन्डक्टर तरक्की पाकर बुकिंग क्लर्क हो जाते हैं तो आगे उनकी तरक्की का क्या प्रतिशत है, जो जूनियर क्लर्क हैं उनकी ए० टी० आई० में तरक्की का क्या प्रतिशत है और सन् १९६१ से उस प्रतिशत पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस सवाल के साथ में वह तफसील यहां नहीं हैं ।

*२५–२६—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिये गये ।]

इटावा जिले में नलकूप

*२७—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल लगाने का विचार है और इसी अवधि में बड़पुरा और बकेवर और नचक नगर ब्लाक में कितने ट्यूब वेल हैं और कितने और लगाने का विचार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—२५ नलकूप ।

द्वितीय भाग—कोई नलकूप नहीं है और न कोई नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ।

*२८—श्री घासीराम जाटव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के चकननगर, बड़पुरा ब्लाक में सिंचाई की सुविधा के लिए कोई बांध बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक वह पूरा हो जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। क्योंकि इस क्षेत्र में बांध बनाना प्राविधिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

श्री घासीराम जाटव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २५ नलकूपों की योजना मंजूर हुई है वह किस-किस ब्लाक और तहसील में बनेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी उन का स्थान निश्चित नहीं है।

श्री घासीराम जाटव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो २५ नलकूप बनने हैं और जिन का स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है उनमें से क्या चकननगर और बड़पुरा में भी लगाने की योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इटावा जिले में कई तरह के स्थान हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां वह नहीं लग सकते और कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां नहरें हैं, इनके सिवा और जगहों पर वह लगाये जायंगे, जहां सम्भव होगा वह दिखला लिया जायगा।

श्री घासीराम जाटव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं वहां के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो कहा कि कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां साधन भी नहीं हैं और नलकूप भी नहीं लग सकते वहां के लिये अगर कोई और उपाय होंगे तो दिखा लिये जायंगे।

*२९—श्री घासीराम जाटव—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने यह की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इटावा जिले के भरथना, बकेवर लखना, इकदिल, अच्छल्दा, दिवियापुर, फफून्द और अजीतमल में बिजली पहुंचाने का विचार है ? यदि हां, तो इन स्थानों में बिजली कब तक पहुंच जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इटावा जिले में भरथना का विद्युतीकरण किये जाने का निश्चय कर लिया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है। अन्य स्थानों के विद्युतीकरण हेतु जांच पड़ताल की जा रही है और उसके समाप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायगा।

श्री घासीराम जाटव—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना चल रही है भर्थना के लिये तो इकदिल से लाइन जायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इटावा से जायेगी।

श्री घासी राम जाटव—

जो इटावा से जायेगी वह पक्की सड़क से जायेगी या रेलवे लाइन से जायेगी ? अगर पक्की सड़क से जायेगी तो रास्ते में बकेवर, बिलारी, इकदिल आदि कस्बे पड़ते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उसके लिये सर्वे हो रहा है। जो लाइन जाती है उसके लिये हमेशा निश्चित नहीं होता कि सड़क सड़क ही जायेगी क्योंकि लाइन ले जाने में १४,००० रु० एक मील पर खर्च होता है। इसलिये जहां कम खर्च पड़ता है वहीं से ले जाते हैं। बकेवर, इकदिल की आपने जो बात कही उसको देख लेंगे।

शीशगढ़ थानान्तर्गत स्टेट बनाम बाबूराम के मुकदमें की पैरवी के लिए अतिरिक्त वकील रखने का विरोध

*३०—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार ने बरेली के थाना शीशगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जाम अन्तरामपुर में हुये साम्प्रदायिक दंगे के मामले की पैरवी करने के लिए सरकारी वकील के अतिरिक्त और जिलाधीश व एस० पी० के प्रबल विरोध के बावजूद एक अन्य वकील को दूना पारिश्रमिक प्रति दिन देकर नियुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो नियुक्ति का आधार व कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह सच है कि S. T. No. 68/63 (State Vs. Babu Ram and others) में सरकार ने जिला सरकारी वकील के अतिरिक्त एक Special Counsel श्री सदाकत हुसेन को पूरे दिन की फीस ७० रु० और आधे दिन की फीस ३५ रु० की दर पर नियुक्त किया था।

यह कहना गलत है कि जिलाधीश व एस० पी० ने उक्त नियुक्ति का विरोध किया था।

सरकार को इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि सरकार जिला सरकारी वकील के अतिरिक्त किसी अन्य योग्य वकील की नियुक्ति इस मुकदमें में करे। साथ ही जिलाधीश, बरेली ने सूचित किया था कि जिला सरकारी वकील एक राजनैतिक दल में शामिल हो गये हैं। सरकार ने उपरोक्त कारणों से इस मुकदमें में एक Specia Counsel को नियुक्ति किया था।

*३१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को इसके विरोध में तार व पत्र प्राप्त हुय हैं ? यदि हां, तो जनभावना व न्यायहित में उक्त नियुक्ति को रद्द करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

हां। सरकार को इस सम्बन्ध में एक तार व कुछ प्रार्थना-पत्र भी कुछ स्थानीय व्यक्तियों की ओर से प्राप्त हुए थे जिनमें से कुछ में सरकार से यह भी निवेदन किया गया था कि एस० टी० नं० ६९–६३ (सरकार बनाम सद्दन खां व अन्य) में श्री रोशन लाल को सरकार की ओर से स्पेशल कौंसिल नियुक्ति किया जाये। सरकार ने इन पत्रों पर उचित ध्यान देते हुए यह निश्चय किया कि श्री सदाकत हुसेन की नियुक्ति स्पेशल कौंसिल के रूप में कोई हर्ज नहीं है। अतः यह कायम रहे और बाद में यह भी निश्चय किया कि श्री रोशन लाल की नियुक्ति की जायें और इस विषय पर जिलाधीश, बरेली को आवश्यक निदेश दिये गये थे किन्तु जिलाधीश ने सूचित किया कि अब केवल एक गवाह का बयान बाकी था जो ३ दिसम्बर,

---

नोट—तारांकित प्रश्न २९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

१९६३ को हो गया होगा तथा उपरोक्त दोनों मुकदमों के फैसले १३ दिसम्बर, १९६३ को सुना दिये जायेंगे। अतएव श्री रोशन लाल की निथुक्ति के निर्णय का कार्यान्वियन नहीं किया जा सका।

श्री सदाकत हुसेन Special Counsel की नियुक्ति के रद्द करने का अब सवाल ही नहीं उठता है।

झांसी बिजली कम्पनी में कुप्रबन्ध

*३२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी बिजली कम्पनी के एक बड़े इंजन की प्लेट और टूट गयी, जिसके कारण बजाय सुधार की दशा और गम्भीर हो रही है व सड़कों पर अन्धकार है और उसके कारण दुर्घटनायें होती हैं, रोजगार ठप्प है और चक्कियों पर आटा मिलना भी दुर्लभ है? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा बिजली कम्पनी का प्रबन्ध शीघ्र अपने हाथ में न लिये जाने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

झांसी बिजली कम्पनी का एक बड़ा सेट ११ सितम्बर को टूट गया था जिसके कारण बिजली की भारी कमी हो गयी। बिजली की कमी के कारण सड़क पर दुर्घटनायें होने की सूचना सरकार के पास नहीं है। इस अवधि में जिलाधीश ने चक्कियों के चलने का समय इस प्रकार निर्धारित किया था कि जनता को आटा मिलने में विशेष कठिनाई न हो। कम्पनी का व्यवसाय १ नवम्बर, १९६३ को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ले लिया गया है।

*३३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या न्याय मन्त्री इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में जिन जमानत नामों को बिना अस्थायी तौर पर स्वीकार किये तहसील तस्दीक के लिए भेजा जाता है उनमें मुवक्किलों के पैरोकारों को अभियुक्तों की रिहाई में जल्दी कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? क्या मन्त्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० अफसर द्वारा अथवा सेशन्स जज महोदय, फतेहपुर द्वारा करवाने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर कलेक्टरी में जमानत के मामलों में वकीलों द्वारा तस्दीक

*३४—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर कलेक्टरी के कौन-कौन न्यायालय हस्ब दफा ४९९ जा० फौ० कितनी-कितनी रकम की जमानतों को केवल वकीलों की तस्दीक पर स्वीकार करते हैं और यदि उनके इस संबंध में व्यवहार में कोई विषमता है तो क्यों औरकिस आधार पर है? क्या कोई इजलास ऐसा भी है जिसके विरुद्ध वकीलों को यह शिकायत है कि उक्त इजलास में किन्हीं विशेष वकीलों को तस्दीक की अधिक कीमत दी जाती है?

श्री सैयद अली जहीर—

जिला फतेहपुर कलेक्टरी के न्यायालयों में दफा ४९९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत एक हजार रुपया या उस से कम की जमानत वकीलों की तस्दीक पर आम तौर से उसी समय मान ली जाती है जब जामिनदार न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो तथा उसकी हैसियत को वकील प्रमाणित करें। इस से अधिक रकम की तस्दीक तहसील से कराई जाती है जब तक कोई कागजी सबूत जामिनदार न्यायालय में स्वयं न पेश कर दे। कोई भी विषमता इस व्यवहार में कभी नहीं रही। इस बात की कभी किसी वकील ने शिकायत नहीं की कि किसी वकील विशेष की तस्दीक कोको अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

*३५—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या न्याय मंत्री जिला फतेहपुर की कचहरी के न्यायालयों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

चूंकि फतेहपुर के न्यायालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई विशिष्ट शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है अतः कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

*३६-३७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अशोकपुर ग्राम में बरसाती पानी का जमाव

*३८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत परगना रामनगर के अशोकपुर ग्राम में बरसात का पानी इकट्ठा होता है, जिसको निकालने के लिये अशोकपुर गंदा नाला बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बरसात का सब एकत्रित पानी उस नाले से न निकलने के क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

अशोकपुर नाले से बरसाती पानी भली प्रकार निकल जाता है और सिंह मऊ तथा कटका ग्रामों के पास से प्राकृतिक नाले द्वारा घाघरा नदी में गिर जाता है यह प्राकृतिक नाला पूरा पानी नहीं ले पाता है ?

*३९—श्री गिरजाप्रसाद—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नलकूप प्रखंड, वाराणसी में अस्थायी ड्राइवर

*४०—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग वाराणसी में नियुक्त ड्राइवरों की पोस्ट बावजूद इसके कि वे कई सालों से कार्य कर रहे हैं फिर भी स्थायी नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

मुख्य अभियन्ता ने नलकूप प्रखंड वाराणसी में कुछ ड्राइवरों के पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव सरकार को भेजा था लेकिन समय न रहने के कारण यह प्रस्ताव इस वर्ष नहीं लिया जा सका।

बस स्टेशन, घाटमपुर में निर्माण-कार्य पर व्यय

*४१—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत बस स्टेशन घाटमपुर की फर्श, नाली आदि के बनाने में कितना रुपया व्यय हुआ तथा उक्त कार्य किसी ठेकेदार द्वारा कराया गया या विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

७,६४६ रु० व्यय हुआ। कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया।

*४२-४३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४-४५—श्री ऊदल—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हल्द्वानी तहसील में बाढ़ नियंत्रण योजना

*४७—श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी में गत माह दिनांक २१ अगस्त, अतिवृष्टि से, ग्राम पनियाली के निकट सकार नाले का बहाव गांव की ओर हो जाने से समीपी गांवों के बहन का खतरा हो गया है ? यदि हां, तो इन ग्रामों के बचाव हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस क्षेत्र के बचाव के लिये एक स्थाई योजना ६,२७३ रु० की अनुमानित लागत पर राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और इस पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ।

*४८—श्री खुशीराम—

क्या यह सही है कि दिनांक २१ अगस्त की स्थिति में पनियाली आदि ग्रामों के बचाव हेतु अधिशासी अभियन्ता, कुमायूं सिंचाई खंड, नैनीताल, एस० डी० ओ०, भावर, बी० डी० ओ० तथा तहसीलदार, हल्द्वानी ने शीघ्र ही बचाव कार्यवाही करने की सूचना सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी को दी ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । इसकी सचना मिलने के बाद सहायक अभियंता ने मौके की जांच की । स्थानीय जनता ने घोड़ी बन्द लगाने के लिये लकड़ी जमा करने का आश्वासन दिया परन्तु यह उनसे उपलब्ध न हो सकी । चूंकि स्थायी योजना स्वीकृत हो चुकी थी, इसलिये कोई अस्थायी काम करना उचित नहीं समझा गया ।

*४९—श्री खुशीराम—

क्या यह सही है कि गत वर्ष तक हर साल मौसम बरसात में समीपी ग्रामों की रक्षा हेतु, इस साल का बहाव कन्ट्रोल में रखने के लिये सहायक अभियन्ता, हल्द्वानी द्वारा लकड़ी के घोड़ी बन्द (बांध) लगाये गये ? यदि हां, तो इस वर्ष यह बांध क्यों नहीं लगाये गये ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । जैसा ऊपर बताया जा चुका है स्थायी योजना के स्वीकृत हो जाने के बाद किसी अस्थायी कार्य यानी घोड़ी बन्द लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

छाता व बरसाना के लिये बिजली

*५०—श्री लखीसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के छाता तथा बरसाना में क्या विद्युत् लगाने की जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो इनमें कब तक विद्युत् लग जायगी ।

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । इनका विद्युतीकरण १९६५ के अन्त तक किये जाने की आशा है ।

*५१—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि इन स्थानों से बिजली ८ या ९ मील दूर तक आ चकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

*५२–५३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५४–५६—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में रजागंज के निकट बस दुर्घटना, मुहम्मदी बस स्टेशन पर शिकायतें

*५७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ जून, १९६० को जिला खीरी के रजागंज और गोला के बीच रेलवे क्रासिंग पर कोई बस दुर्घटना हुई थी? यदि हां, तो क्या मंत्रीजी उसकी जांच का ब्योरा सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। जांच का ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४४४–१४४६ पर)

*५८—श्री मन्नालाल तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या यह सही है कि श्री जगजीतसिंह जी वकील की ६,४०० रुपये की डिग्री जिसकी खबर स्वतंत्र भारत, दैनिक, २६ मार्च, सन् १९६२ में छपी है, रोडवेज पर हुई है? यदि हां, तो क्या उसकी सूचना विवरण सहित सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

रोडवेज पर ऐसी कोई डिग्री नहीं हुई, शेष प्रश्न नहीं उठता।

*५९—श्री मन्नालाल तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार को पता है कि उक्त बस ड्राइवर श्री अहमद अली खां, उर्फ सुल्तान खां की कार्यकुशलता के द्वारा ही बस दुर्घटना होते होते बची व खुद का पैर व उंगलियां टूट गयी थीं? यदि हाँ, तो उक्त ड्राइवर को सहायता देने के बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—

मुआवजे का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*६०—श्री मन्नालाल तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ सितम्बर, १९६३ को बरेली रीजन की बस नं० सी० ओ० ७१७४ गोला से मुहम्मदी को जाने वाली बस पर, मुहम्मदी बस स्टेशन पर दो शिकायतें साथ लिखी गयी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस नम्बर की कोई बस बरेली रीजन के रोडवेज में नहीं है परन्तु एक दूसरे बस नं० यू० पी० एम० ४९०२ के बारे में शिकायतें लिखी गईं।

*६१—श्री मन्नालाल तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या यह सही है कि शाहजहांपुर के स्टेशन इन्चार्ज ने शिकायती किताब को अपने दफ्तर में दबा कर रखा है और प्रथम शिकायत करने वाले की गलत शिकायत पर हरिजन बस कन्डक्टर को ए० जी० एम०, शाहजहांपुर द्वारा बरखास्त करा दिया? यदि हां, तो क्या कम्पलेन्ट बुक के आधार पर कोई जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फजर हसन—

स्थिति ऐसी नहीं है। कन्डक्टर की सेवायें नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई हैं। शिकायती किताब पर लिखी शिकायतों पर जांच जारी है।

*६२—श्री मन्नालाल तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार उक्त स्टेशन इन्चार्ज के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी, जिसने एक विधायक की शिकायत को छिपा कर रखा और गलत शिकायत द्वारा कन्डक्टर को बरख्वास्त करा दिया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जांच समाप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

पुरवा बस स्टैन्ड, मुरादाबाद बस स्टैंड पर जगह की कमी

*६३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बातयेंगे कि पुरवा जिला उन्नाव का बस स्टैन्ड बनाने के लिये १९५१-५२ में सरकार ने जमीन ली और उसके लिये धन भी स्वीकृत हुआ तो फिर उस बस स्टैन्ड के न बनने के क्या कारण हैं और वह कब तक बन जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६४—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शहर मुरादाबाद के बस स्टैन्ड पर कुछ सर्विसेज बढ़ जाने की वजह से और जगह की कमी की वजह से तंगी रहती है जिसके कारण बसें सड़कों पर खड़ी की जाती हैं और जनता को बहुत ही असुविधा होती है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार किस तरह से उस असुविधा को दूर करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

दहगवां तालाब का नाला

*६५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में दहगवां तालाब जो सरकार द्वारा खुदवाया गया था और जिस तालाब से पानी निकालने के लिये एक नाले का निर्माण ग्राम वासियों ने स्वंय खोद कर किया अब उस नाले के उथले हो जाने के कारण पानी बाहर बह जाने से खेती तथा मकान दोनों को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने खर्चे पर उसे गहरा कराने तथा साफ कराने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्रामवासियों ने श्रमदान द्वारा इस नाले की खुदाई करली है और अब पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं है। पानी जो जमा था वह बहकर निकल भी गया है। अतः इस संबंध में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ली गई बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

*६६—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन बिजली कम्पनियों का वह राष्ट्रीयकरण करने वाली है, उनके श्रमिकों की वर्तमान नौकरी की शर्तों (Terms and Conditions of Service) सुरक्षा की व्यवस्था संबंधी उसकी नीति का क्या स्वरूप है ?

श्री गिरधारीलाल—

बिजली सप्लाई कम्पनियों के लाइसेंसों की अवधि समाप्त होने पर उनका काम राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ले लिया जाता है। परिषद् कम्पनी के किसी कर्मचारी को अपनी सेवा में लेने को बाध्य नहीं है। परन्तु ऐसे कर्मचारियों को अपनी सेवा में लेने के लिये परिषद् ने जो शर्तें निर्धारित की हैं वह, संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४४७ पर)

*६७–६८–श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

पीलीभीत जिले में बिजली

*६९—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने व कौन-कौन टाउन एरिया व ग्रामों को बिजली पहुंचाने की संभावना है और कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

पीलीभीत जिले में अब तक विद्युतीकरण के लिये १७ जगहों को चुन लिया गया है। इनमें से पूरनपुर का विद्युतीकरण १० फरवरी, १९६२ को तथा बरखेरा का १८ अक्तूबर, १९६३ को किया जा चुका है। बाकी १५ जगहें जिनका विद्युतीकरण १९६४ के अन्त तक किये जाने की आशा है, नत्थी किये व्योरे में दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४४८ पर)

*७०–७२—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में गांव ऊंचे करना

*७३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ग्रामों की बाढ़ से रक्षा के लिये कितने ग्राम धरातल से ऊंचे उठाये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

गोंडा जिले में १५१ ग्रामों को ऊंचा करने की योजना है जिनमें से ३० ग्रामों पर कार्य प्रगति में है और ९ ग्रामों पर कार्य पूर्ण हो गया है।

*७४—श्री गंगाप्रसाद—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७५–७६—श्री मदनपालसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहगढ़ बस स्टेशन बनाने की योजना, फर्रुखाबाद बस डिपो के क्लर्कों के विरुद्ध जांच

*७७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद राजकीय रोडवेज बस डिपो के अन्तर्गत फतेहगढ़ में एक बस स्टेशन है जहां से रोजाना हजारों सवारियां बसों द्वारा सफर

करती हैं, लेकिन यात्रियों के लिये न तो कोई ठीक से ठहरने के लिये स्थान है और न बुकिंग आफिस ही है ? क्या वहां पर बस स्टेशन की इमारत व यात्रियों के लिये विश्रामगृह का बनाना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

फिलहाल वहां पर एक टिन शेड में अस्थायी बस स्टेशन है जहां पर बुकिंग आफिस व मुसाफिरों के बैठने का प्रबन्ध है । पक्का बस स्टेशन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*७८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार को इस बात की कोई शिकायत मिली है कि फर्रुखाबाद बस डिपो के ड्यूटी क्लर्कों का व्यवहार बहुत ही अशिष्ट और आचरण खराब है, जिससे जनता और रोडवेज के कर्मचारियों में असंतोष है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और अगर नहीं, तो इस संबंध में जानकारी कराके क्या उचित व्यवस्था करने की कृपा की जावेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

शिकायतों की जांच हो रही है ।

*७९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में गुरसहायगंज बस स्टेशन की जगह ठीक न होने के कारण दूसरी जगह बस स्टेशन बनाने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वहां से बस स्टेशन हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लाहौर षडयंत्र केस में दंडित डाक्टर गयाप्रसाद

*८०—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाहौर षड़यंत्र केस (जिसमें सरदार भगतसिंह और उनके सहयोगियों को सजा दी गई थी) राजनीतिक केस था या नहीं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर ने सरदार भगतसिंह के सहयोगी, ग्राम जगदीशपुर, जिला कानपुर निवासी, डाक्टर गयाप्रसाद, जिन्हें उपरोक्त केस में आजीवन कारावास की सजा हुयी थी, को राजनीतिक पीड़ित का प्रमाणपत्र देने से क्यों और किस आधार पर इंकार किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । लाहौर षड़यंत्र केस राजनीतिक था । डाक्टर गयाप्रसाद को राजनीतिक पीड़ित प्रमाण-पत्र देने से इनकार नहीं किया गया बल्कि आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके पूर्ण होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

*८१-८२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[५वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ११९-१२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गनगरी नाला, तरैना नदी गहरी करने की आवश्यकता

*८३—श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत गनगरी नाला एवं तरैना नदी को गनगरी के संगम से सराय मुहनियां तक गहरा करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*८४-८६--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बलुआ बस स्टेशन बनाने की मांग

*८७--श्री बांकेलाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाटा से गौरी बाजार जाने वाली सड़क पर बलुआ रिकवेस्ट बस स्टेशन है जिसकी दूरी हाटा से ३।। मील है और हाटा से गोरखपुर जाने वाली सड़क पर ढांढा एक मुकाम है जो हाटा से १।। मील की दूरी पर है जो कि बस स्टेशन है ? क्या कारण है कि बलुआ बस स्टेशन नहीं कराया जाता ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां । बलुआ से १।। मील आगे बखरा में बस स्टेशन है जहां पर अधिक संख्या में सवारियां उपलब्ध होती हैं तथा बलुआ में यात्रियों के चढ़ने व उतरने की संख्या बहुत कम है इसलिये बलुआ को फेयर स्टाप घोषित नहीं किया जा सकता । आम तौर पर १।। मील दूरी पर दो फेअर स्टाप नहीं बनाये जाते हैं ।

हाटा से बलुआ ४।। मील दूर है तथा हाटा से ढांढा ३ मील ।

*८८-९०--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९१--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

[हटा दिया गया ।]

*९२-९३--श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पुखरायां बस स्टेशन के कर्मचारियों का भत्ता

*९४--श्री शिवनाथसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन, पुखरायां में कितने दिनों का रोडवेज कर्मचारियों का ओवर टाइम का पैसा गत एक माह से अधिक से देना है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से कर्मचारी हैं और कितने महीनों का ओवर टाइम देना शेष है तथा अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां । वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। भुगतान में देरी होने के कारणों की जांच हो रही है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १४४९-१४५० पर)

*९५-९६--श्री सुखदेवप्रसाद--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९७-९८--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९९-१००—श्री होरीलाल यादव—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में बिजली

*१०१—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला की सलेमपुर तहसील में किन-किन गांवों में बिजली लगाने की योजना है और कब से काम प्रारम्भ किये जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में ३२ गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा। इनके नाम नत्थी की गई सूची में दिये हुये हैं । वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के अन्त तक इनका विद्युतीकरण पूर्ण किये जाने की आशा है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १४५१ पर)

*१०२—श्री कैलाश—

क्या सरकार उक्त तहसील में सब से मुख्य स्थान रामपुर मिल (बाजार) तथा भटनी (बाजार) में भी शीघ्र बिजली लगाने के लिए विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इन दोनों स्थानों को विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है ।

*१०३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*१०४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिलें मे ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी की दरख्वास्तें

*१०५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या विधान सभा के २२ अक्तूबर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४, १५ तथा १६ के उत्तर के संबंध में परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांस्पोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो दरख्वास्तें बुलन्दशहर, सयाना, गढ़, बुगरासी रूट पर थीं वह क्यों स्वीकार नहीं की गयीं और इस प्रकार से सहकारिता के उद्देश्य को हानि क्यों पहुंचायी गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आर० टी० ए० एक क्वासी जुडीशियल बाडी (Quasi Judicial body) है और उसके फैसलों के आधार के बारे में शासन द्वारा कुछ कहना न्यायसंगत न होगा ।

सिंचाई छूट

*१०६—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार प्रदेश में किसानों को भारी संकट में देख कर तीन आना रुपया जो सिंचाई की छूट वापस की थी उसे पुनः देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई दरों में पुनः छूट देना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की परीक्षा

*१०७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि दिनांक १९ मई, १९६३ को यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज लखनऊ, रीजन में बुकिंग क्लर्क, जूनियर क्लर्क और आफिस असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड की कोई लिखित परीक्षा हुई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

*१०८—श्री रतीपाल—

क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा का परीक्षा फल नहीं घोषित किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । अभी सफल अभ्यर्थियों का लोकल सेलेक्शन कमेटी के सामने साक्षात्कार होना बाकी है ।

बलिया जिले में छोटी नहरों का निर्माण

*१०९—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर रजबहा से जो हुसैनपुर माइनर निकाली गई है, उसका कार्य मुकम्मल हो गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*११०—श्री जगन्नाथ चौधरी—

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हुसैनपुर माइनर का कार्य बनना कब शुरू हुआ तथा वह कब तक बनकर तैयार होगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मई, सन् १९६१ ई० से काम शुरू हुआ और जून, १९६४ तक पूर्ण होने की आशा है ।

*१११—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत सिकन्दरपुर रजबहा से हुसैनपुर के अतिरिक्त और भी कोई माइनर निकलने वाली है ? यदि हां, तो कौन और उस पर कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । रुद्रवार और सिकीया माइनरों पर काम समाप्त हो गया है । करनी माइनर पर काम चल रहा है । एक और माइनर मिलकर बनाई जाने वाली है । इस पर जनता के विरोध के कारण काम बन्द कर दिया गया है । इस माइनर की उपयोगिता के विषय में जिलाधीश से रिपोर्ट आने पर इस के बनाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

*११२—श्री रघुनाथसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों को नोटिस

*११३—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ३ माह के अन्दर गोरखपुर रोडवेज रीजन के अन्दर कितने कंडक्टरों एवं ड्राइवरों को सर्विस से हटाने की नोटिस दी गई है तथा उसमें कितने व्यक्ति देवरिया तथा कितने गोरखपुर के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

गत तीन माह (सितम्बर, अक्तूबर, और नवम्बर, १९६३) में गोरखपुर रोडवेज रीजन के अन्दर कुल १९ कंडक्टरों एवं ड्राइवरों को सर्विस से हटाने की नोटिस दी गई है। इसमें से ३ व्यक्ति गोरखपुर के हैं और ६ देवरिया के।

बदायूं क्षेत्र के नलकूप अधिकारियों द्वारा गलत टी० ए० लेने की शिकायत

*११४—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि बदायूं के ट्यूबवेल के इंजीनियर अथवा असिस्टेंट इंजीनियर तारीख १७ मई, १९६३ व १८ मई, १९६३, १९ मई, १९६३ और २२ मई, १९६३ को बदायूं से बरेली विभाग की पिकअप नं० ७१०१ बी० एस० जे० से गये जिसके नम्बर रामगंगा के पुल पर भी लिखे गये और अधिकारी ने दस्तखत भी किये, किन्तु उन्होंने टी०ए० अपनी प्राइवेट कार से सफर करने का लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*११५-११६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में बुकिंग क्लर्कों की परीक्षा

*११७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले चार महीनों के अन्तर्गत जुलाई से अक्तूबर, १९६३ तक उत्तर प्रदेश रोडवेज, कानपुर डिवीजन के अन्तर्गत बुकिंग क्लर्क्स की नियुक्ति हेतु कोई परीक्षा साक्षात्कार हुआ ? यदि हां, तो उसका परीक्षाफल व परिणाम अब तक घोषित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित न करने का कारण यह है कि रिक्त स्थानों की संख्या में कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना है।

*११८—श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि कई उम्मीदवार उक्त परिणाम घोषित होने के पूर्व ही नियुक्त किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो ऐसा किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। कुछ लोगों को केवल काम चलाने के लिये अस्थायी रूप से केवल परीक्षाफल घोषित होने तक नियुक्त कर लिया गया है।

नहर डिवीजन नरौरा में नया पुल बनाने की अस्वीकृति

*११९—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नरौरा डिवीजन, नहर गंगा के दिनांक ३० अक्तूबर, १९६३ को क्रमांक ११३६०—पी०-१२, सी—२६, द्वारा श्री चोखेसिंह, प्रधान, ग्राम गढ़िया, डा० पटियाली, जिला एटा को दिये गये उत्तर में फर्रुखाबाद शाखा के पी० ३० फ० ४—५ में कोई रास्ता न होने के कारण चौड़ा नया पुल बनने की असमर्थता प्रकट की है ? यदि हां, तो क्यों और ग्राम गढ़िया के दक्षिण में लालगढ़ी माइनर पर चौड़ा पुल तथा नहर के उत्तर में मूढ़ा रजबहा पर चौड़ा पुल बनने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—क्योंकि ३० मील ५ फर्लांग पर प्रस्तावित पुल के बायीं ओर गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है तथा २९ मील ३ फर्लांग ३६० फीट और ३१ मील ७ फर्लांग २०० फीट पर गाड़ी के पुल मौजूद हैं ।

तृतीय भाग—लाल गढ़ी माइनर तथा मूढ़ा रजबहा पर चौड़े पुल क्रमशः ग्राम गढ़िया से नगला अजीत तथा नगला मूढ़ा से नगला डालू व ग्राम नरथर को जाने वाले मार्गों पर यातायात की सुविधा हेतु बनाये गये हैं ।

आजमगढ़ जिले में श्री राजनारायण पांडेय अमीन के विरुद्ध जांच

*१२०—श्री छांगुर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहिलाबलेल, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के निवासियों की तरफ से श्री राजनारायण पांडेय, अमीन स्थानीय नहर विभाग के विरुद्ध माह अप्रैल, १९६३ में कोई शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । उसमें श्री राजनारायण पांडेय, अमीन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच इरीगेशन डिवीजन, फैजाबाद के डिप्टी रेवेन्यू आफिसर से करायी गयी, पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

*१२१—श्री झिलमिटराम—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२२—श्री रियासत हुसैन—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

आगरा में आटो-रिक्शा

*१२३—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ५० आटो-रिक्शा की जो स्वीकृति दी जाने वाली है, उसके लिये कितने प्रार्थना-पत्र आर० टी० ओ० , आगरा के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

*१२४—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों में से किन ५० प्रार्थियों को आटो-रिक्शाओं के लाइसेंस दिये जायेंगे और इसका निर्णय किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह लाइसेंस आर० टी० ओ० द्वारा दिये जायेंगे जो एक अर्धन्यायिक निकाय (Quasi Judicial body) है। इसके फैसले के बारे में शासन द्वारा कुछ कहना न्यायसंगत नहीं है।

*१२५—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

चन्दौली तहसील में पानी निकासी

१—श्री राजनारायणसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील के नादी निधौरा ड्रेन से सम्बन्धित हिग्रतर ताल के रुके पानी को निकालने का प्रबन्ध नहीं किया गया है जिसके कारण सैकड़ों बीघा जमीन आज पानी के अन्दर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पानी की निकासी का शीघ्र प्रबन्ध करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। अभी पानी की निकासी का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाया है क्योंकि नादी निधौरा ड्रेन के मील ३–२–४०० से ३–६–४०० भाग पर जन शक्ति योजना (Rural Man Power Utilization Programme) के अन्तर्गत निर्माण कार्य चल रहा है। आशा है कि यह कार्य-लगभग मार्च, १९६४ तक समाप्त हो जायेगा और तभी पानी रुकने की शिकायत दूर हो सकेगी।

२—श्री राजनारायणसिंह—

क्या यह सत्य है कि उक्त ड्रेनेज का निर्माण उस स्थान पर नहीं हुआ है, जहां वह पहले थी तथा ड्रेनेज पर बने हुये पुल अत्यन्त कमजोर हैं जो अभी से टूट रहे हैं और इन पुलों का निर्माण भी पूर्व निर्धारित स्थान पर नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्राविधिक दृष्टि से उचित स्थानों पर ही पुलों तथा ड्रेनेज का निर्माण हुआ है। बने हुये पुल न तो कमजोर हैं और न टूट ही रहे हैं। ये सिंचाई विभाग के स्टैन्डर्ड स्पेसीफिकेशंस के अन्तर्गत ही बनाये गये हैं।

३—श्री राजनारायणसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को मालम है कि घानापुर नहर के किनारे बसे हुये ग्राम खर्रा महरखा की हरिजन आबादी नहर के पानी से तथा बरसात के पानी से प्रायः डूब जाया करती है और प्रतिवर्ष कुछ मकान ध्वस्त हो जाया करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति की तथा इस संकट से स्थाई निवारण की क्या व्यवस्था करने जा रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

धानापुर नहर के मील ७-०-० पर दाई ओर ग्राम खर्रा महरखा की हरिजन बस्ती आबाद है। इस बस्ती को नहर के पानी से कोई क्षति नहीं पहुंचती है। किन्तु बरसात के दिनों में अधिक वर्षा होने के कारण इस बस्ती के दक्षिण में जो ताल है वह पानी से भर जाता है और कुछ नुकसान पहुंचता है। इस वर्ष यह शिकायत आने पर एक इनलेट धानापुर नहर में लगा दिया गया है। अतः इस वर्ष कोई क्षति नहीं हुई है।

सिंचाई विभाग में ट्रेसरों का वेतन

४--श्री मैनेजरसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में ट्रेसरों की कितनी संख्या है और उनका वेतन-क्रम क्या है? क्या अन्य प्रदेशों से वेतन-क्रम कम है? यदि हां, तो क्या उसे सुधारने का विचार सरकार करेगी?

श्री गिरधारीलाल--

सिंचाई विभाग में इस समय ट्रेसरों के ३०६ पद स्वीकृत हैं जिन पर २७१ ट्रेसर कार्य कर रहे हैं। इनका वेतन-क्रम ४५-२-६५ रु० है। यह वेतन-क्रम अन्य प्रदेशों के ट्रेसरों के वेतन-क्रम से कम है या नहीं यह सूचना उपलब्ध नहीं है। अन्य प्रदेशों के वेतन-क्रम के आधार पर इस प्रदेश में ट्रेसरों के वेतन-क्रम में सुधार करने का प्रश्न नहीं उठता, कारण कि हर प्रदेश अपने यहां की स्थिति के अनुसार वेतन-क्रम निर्धारित करता है।

५--श्री मैनेजरसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि ट्रेसर से ड्राफ्ट्समैन में पदोन्नति के लिये क्या नियम हैं? क्या ड्राफ्टमैन की नियुक्ति में कुछ प्रतिशत ट्रेसरों के लिये सुरक्षित है? यदि हां, तो क्या उसका पालन हो रहा है?

श्री गिरधारी लाल--

सिंचाई विभाग के ट्रेसरों को ड्राफ्ट्समैन के पद पर उन्नति देने के नियम नहीं है। हां, यदि कोई ट्रेसर ड्राफ्ट्समैनशिप का डिप्लोमा प्राप्त कर लेता है तो उसे स्थान रिक्त होने पर ड्राफ्ट्समैन का पद दिया जाता है।

६--श्री मैनेजरसिंह--

[हटा दिया गया।]

मड़ियाहूं तहसील में आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेंच

७--श्री जगन्नाथ राव--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत मड़ियाहूं तहसील में एक आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच की स्थापना का विचार है? यदि हां, तो उसका निर्णय करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है?

श्री सैयद अली ज़हीर--

जी हां।

८--श्री जगन्नाथ राव--

क्या मंत्री जी मड़ियाहूं में स्थापित होने वाली आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्त के लिये स्थापित समिति के सदस्यों का नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सम्बन्धी कमेटी के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैः

(१) जिलाधीश, (२) डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज, (३) श्री त्रिबेनीलाल वकील, (४) श्री लालबहादुर सिंह, एम० एल०ए०, (५) श्री माताप्रसाद एम० एल० ए०, (६) श्री रमेशचन्द्र शर्मा, एम० एल०ए०, (७) श्री भगवतीदीन, एम० एल० ए०, (८) श्री रामलखन, (९) श्री रऊफ जाफरी ।

९—१०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

११—१३—श्री खुशीराम—

[हटा दिये गये ।]

१४—१६—श्री रामलखन वकील—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

करहल तहसील में पानी निकासी

१७—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभाज हाजीपुर, तहसील करहल, जिला मैनपुरी के तालाब से जिस से खेती की बहुत बड़ी हानि होती रहती है, पानी निकालने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—

पानी निकालने के उद्देश्य से एक योजना बनाने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है । विस्तृत सर्वेक्षण के बाद यदि योजना व्यवहार्य पाई गई तो धन उपलब्ध होने पर कार्यान्वित की जा सकेगी । अतएव इस समय निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि योजना कब तक कार्यान्वित हो जायगी ।

आर० टी० ओ० आफिस, गोरखपुर में झंडों की बिक्री, खाली जमीन पर खेती

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आर० टी० ओ० आफिस, गोरखपुर के अहाते में कितने एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती की जाती है तथा खेती करने के खर्च का विवरण क्या है? १९६२—६३ वित्तीय वर्ष में उस जमीन से पैदा हुये अन्न का कितना दाम खजाने में जमा हुआ और कौन अन्न कितना पैदा हुआ था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

करीब आधा एकड़ भूमि पर जिसका कि किराया आर० टी० ओ० देते हैं । अहाते में रहने वाले कर्मचारी निजी तौर पर सब्जी व फस्ल वगैरह उगा लेते हैं जिसका कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है । दाम जमा करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दफ्तर की तरफ की खाली जमीन पर कोई खेती वगैरा नहीं होती ।

१९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त खेत में सारे काम छुट्टी के समय में उस कार्यालय के चपरासी आदि करते हैं और खर्चा दूसरे मजदूरों के मजदूरी के रूप में दिखाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

अहाते में रहने वाले चपरासी खाली समय उस जमीन पर काम कर लेते हैं। मजदूरी का प्रश्न नहीं उठता।

२०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त आर० टी० ओ० आफिस द्वारा कागज के झंडे उक्त वित्तीय वर्ष में ८,००० रु० के बेचे गये? यदि हां, तो क्या खजाने में उक्त सभी रुपया जमा है?

श्री मुजफ्फर हसन--

झंडे केवल १,४०१ रु० के बेचे गये तथा जिलाधीश गोरखपुर के यहां से आये एक मुहर बन्द डिब्बे में भी कुछ धनराशि इकट्ठा हुई। यह सब धन मय मुहर बन्द डिब्बे के सम्बन्धित जिलाधीशों के पास भेज दिया गया।

वाराणसी सिटी रोडवेज के लिए ए० जी० एम० न होना, रोडवेज कर्मचारियों का वेतन

२१--श्री ऊदल--

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि लखनऊ तथा कानपुर रोडवेज, विभाग में अलग से सिटी रोडवेज के लिये एक-एक ए० जी० एम०, टी० एस०, स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट रक्खा गया है? यदि हां, तो वाराणसी में ऐसा क्यों नहीं किया गया है जबकि जौनपुर, बनारस, देहात व शहर की रोडवेज के लिये एक टी० एस० है और मिर्जापुर, इलाहाबाद में अलग-अलग एक-एक टी० एस० रक्खे गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

लखनऊ सिटी रोडवेज के लिये नियुक्त ए० जी० एम० और टी० एस० सीतापुर डिपो की रूरल सर्विस का भी कार्य देखते हैं। लखनऊ सिटी बस के लिये कोई स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त नहीं है। कानपुर सिटी रोडवेज के व्यापक कार्य के लिये एक-एक ए० जी० एम०, टी० एस० तथा स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किये गये हैं। वाराणसी की सिटी रोडवेज के लिये अलग ए० जी० एम० तथा टी० एस० की आवश्यकता नहीं पायी गई। वाराणसी में नियुक्त ए० जी० एम० तथा टी० एस० वाराणसी और जौनपुर डिपो के कार्य के साथ-साथ सिटी रोडवेज का काम भी देखते हैं। यहां स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट अलग से अवश्य नियुक्त हैं।

२२--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज विभाग में फुल ग्रेड सर्विस के आधार पर पे स्केल नहीं बनाया गया है, बल्कि टेम्पोरेरी स्केल पर १० वर्ष का मान कर बनाया गया है? यदि हां, तो फुल ग्रेड सर्विस के आधार पर न बनाने का कारण क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन--

रोडवेज के अधिकांश पद १० वर्ष की अवधि वाले वेतन-क्रम के हैं। यह इसलिये है कि यहां के कर्मचारियों की तरक्की ज्यादातर १० वर्ष के अन्दर हो जाती है।

२३--श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर क्षेत्र में निजी बस सर्विस

२४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर रीजन में गत ५ वर्षों में किस-किस व्यक्ति को सड़कों पर सवारी गाड़ी चलाने की परमिट दी गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२५–२६—श्री ऊदल—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

२७–२८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया-सिकन्दरपुर रोड पर बस स्टेशन

२९—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत सिकन्दरपुर में रोडवेज स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

३०—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया से सिकन्दरपुर बेल्थरा रोड के बीच में कितने बस स्टेशन हैं तथा कितने स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिये मुसाफिरखाना बन चुका है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बन्शीबाजार और सिकन्दरपुर दो बस स्टेशन हैं जिन पर मुसाफिरखाने नहीं हैं ।

३१–३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

३३–३५—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

३६—श्री कृष्णा—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

३७—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पीलीभीत जिले में बस सर्विस

३८—श्री दुर्गाप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत में करीब ५ वर्षों से प्राइवेट बसें करीब ८–१० चल रही हैं, जिससे जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इस समस्या को हल करने हेतु क्या सरकार की कोई योजना सरकारी बसों को चलाने की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री मुजफ्फर हसन--

सदस्य महोदय ने किसी मार्ग विशेष का उल्लेख प्रश्न में नहीं किया है। पीलीभीत, बीसलपुर बिलसंडा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६८-सी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गजट दिनांक ९-१०-१९६३ में प्रकाशित हो चुकी है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस मार्ग पर सरकारी बसें कब से चल सकेंगी। क्योंकि अभी विभिन्न कानूनी कार्यवाही करनी शेष है।

३९-४०--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

४१--श्री हरीशकुमार गंगवार--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

नौतनवां-सौनौली सड़क पर बिना परमिट की बस

४२--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रधान मंत्री, रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश का एक पत्र इस आशय का मिला है कि पुलिस स्टेशन नौतनवा में एक ए० टी० आई ने रपट लिखाई है कि गाड़ी नं० यू० एस० जे० ३०२५, यू० एस० ए० १३६, यू० पी० आर० २०२८, तथा यू० पी० ए० २६४० नौतनवा और सौनौली के बीच बगैर परमिट के चलती हैं? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां। जांच करायी जा रही है।

४३--श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन--

प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' अंगे पृष्ठ १४५२ पर)

४४--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृप करेंगे कि ए० जी० एम० टी०, गोरखपुर ने नौतनवा-सौनौली मार्ग को जुलाई, १९६३ से नवम्बर, १९६३ तक कितने बार चेक किया और उस मार्ग पर क्या-क्या अनियमिततायें पाईं तथा उन्हें दूर करने का कौन सा उपाय किया गया?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३†

श्री अध्यक्ष --

अब सचिव, विधान सभा गोशाला विधेयक रखेंगे।

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना गिरफ्तारी की आयी है जो इस प्रकार है :

"Sri Balwan Singh, member Legislative Assembly from Akbar pur Constituency, Kanpur arrested under section 3 (A) of the Uttar Pradesh (Restriction on Border Movement) Order, 1963 at Ghaziabad. Letter follows. Sub-Divisional Magistrate."

यानी माननीय बलवानसिंह, सदस्य विधान सभा, कानपुर, अकबरपुर क्षेत्र द्वारा निर्वाचित, धारा ३ (क) उत्तर प्रदेश गुड़ रेस्ट्रिक्शन आन वार्डर मूवमेंट आर्डर, १९६३ के अधीन गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिये गये। पूर्ण विवरण पत्र द्वारा भेजा जा रहा है। यह सूचना मुझे तार द्वारा जब कल घर वापस गया तो साढ़े सात बाजे के करीब मिली।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, हमारे नियमों में है कि जब किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो तो एक निश्चित प्रपत्र में सूचना आनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस निश्चित प्रपत्र पर सूचना आयी है, या केवल टेलीग्राम के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने पढ़कर अभी सुनाया...

श्री रामायण राय---

हमारे प्रपत्र के अनुसार यह सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें लिखा हुआ है कि पत्र भेजा जा रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय बलवान सिंह किस जेल में रखे गये हैं यह भी आना चाहिये।

श्री रामायणराय---

श्रीमन्, आप स्वतः नियमों को देखें तो संतोष हो जायगा कि जैसे ही कोई सदस्य को, पिछले दिनों ऐसी घटना हो चुकी है और उसके ऊपर इस सदन ने बहुत गम्भीर ऐक्शन लिया था और ऐसे मामले में जिसका सम्बन्ध सदन की मर्यादा से हो, सदस्यों को जो अधिकार मिले हैं उन पर यदि हमला किया जाता है तो हमको इतनी आसानी से विचार नहीं करना चाहिये।

मैं तो आग्रह करता हूं कि नियम में है कि जैसे ही कोई सदस्य गिरफ्तार हो तत्काल जो विधि विहिति प्रपत्र है उस पर माननीय सदन को और आपकी सेवा में समाचार आना चाहिये। अब चूंकि मान्यवर, अब तक इस सदन को सूचना नहीं प्राप्त हुई है इसलिये मैं आपकी आज्ञा से उस अधिकारी के विरुद्ध, जिसने अब तक सदन को उचित सूचना से अवगत नहीं कराया है, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

कल इस बात की सूचना मिली कि श्री बलवानसिंह, सदस्य विधान सभा, नेता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, गाजियाबाद में गिरफ्तार किये गये और उस समय तक सूचना यह थी कि आपको

[श्री कल्पनार्थसिंह]

उन अधिकारियों द्वारा जिन्होंने उनका तार किया और जेल भेजा उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी कल तक। श्रीमन्, मैंने और मेरे कुछ आदरणीय साथियों ने उन अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लिखकर भेजा। उस समय उस कुर्सी पर माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन थे। उनसे जब पूछा गया कि उनको कोई सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि उनको कोई सूचना नहीं है। इसके बाद संध्या समय जब वहां अधिष्ठाता महोदय पीठासीन थे उनसे भी उस समय पूछा गया, वह ६ बजे का समय था जब उनसे पूछा गया कि आपको कोई सूचना मिली तो उन्होंने भी कहा कि उनको कोई सूचना नहीं मिली। मेरा कहना यह है कि जब विधान सभा की बैठक हो रही है और इस सदन का कोई आदरणीय सदस्य गिरफ्तार किया जाय तब हमारे नियमों में प्राविधान है कि उसकी सूचना तुरन्त देनी चाहिये और जिस प्रकार से टेलीग्राम पर आपको सूचना दी गयी, तो यह सूचना तुरन्त गिरफ्तारी के वक्त उनको देनी चाहिये थी। जितना भी विलम्ब किया गया उन अधिकारियों के द्वारा श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि उन लोगों ने जान-बूझकर नियमों की अवहेलना की और इस सदन का अवमान किया। इसलिये उनके विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की आज्ञा दी जाय।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ८४ के कार्यपत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। उसमें लिखा है "प्रिय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको सूचना देनी है कि (अधिनियम की धारा.... के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेशन देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य, श्री.....को.....(यथास्थिति बन्दीकरण या निरोध के कारण) के लिये बन्दी/निरुद्ध कर लिया जाये।"

तदनुसार श्री.....विधान सभा सदस्य को.....(तिथि) को.....पर (समय) बन्दी कर लिया गया है/हवालात में रख दिया गया है और उन्हें इस समय.... जेल.....(स्थान) में रखा गया है।

तो तार पत्र में वह सूचना नहीं है और यह विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न है।

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, नियम ८४ में आप देखें। जिन लोगों ने नियम ८४ की रचना की है उन्होंने इस प्रश्न को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा है। वह कहते हैं--"जब कोई सदस्य किसी दंड, दोषारोप या किसी दंड अपराध के लिये बन्दी किया जाय या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का आदेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति सम्पर्क न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के करण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुये ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्षको देगा।"

तो न तो यह प्रपत्र में भेजी गयी सूचना और न तत्काल भेजा इसलिये हमारे विशेषाधिकार के प्रश्न ो मान्यवर आप स्वीकार क और उसके लिये आप हमें इजाजत दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं एक निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--

देखिये मेरे पास लिखित रूप से सूचना दें। मेरे पास उनका कोई पत्र जो आना चाहिये और जो तार में लिखा है वह अभी नहीं आया है।

श्री रामायणराय--

वह समय से नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप कैसे उम्मीद करते हैं कि गाजियाबाद से तार उस समय तक आ सकता था ?

श्री रामायणराय--

तार भी उसी प्रपत्र में आना चाहिये था। इस में जो शब्दावली प्रपत्र में है वह नहीं है और उसको उसी प्रपत्र में नहीं दिया है। इससे मान्यवर यह बात साबित हो गयी कि उस अधिकारी ने सदन को और माननीय अध्यक्ष को समय से उस प्रपत्र में सूचना नहीं दी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है आप इसको लिखकर दे दीजिये।

श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)--

तार में क्या कोई समय दिया गया है कि किस वक्त तार दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

यही तो मैं सोच रहा था। तार पर तो टाइप है। १४.३५ बजे का समय देने का और १६.४० समय प्राप्ति का दिया हुआ है, इसको देख लीजिये। उसके बाद फिर आप लिख कर दे दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जैसा अभी माननीय रामायणराय जी ने नियम ८४ का हवाल दिया है उसमें अगर अन्तिम पंक्ति आप पढ़ें तो उसमें है "सदस्य, के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुये ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा" कारावास में कहां रखा गया है इसकी भी सूचना उसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ आपको कहना है वह लिख कर दें। प्राग्दर्शन में यह नहीं कि तार द्वारा सूचना दी जाय। प्रपत्र आता होगा।

श्री रामायणराय--

लिख कर आपकी सेवा में दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना अभी तक नहीं आई है। केवल तार आया है। इस पर आप दीजिये।

श्री रामायणराय--

प्रत्यक्ष यह लिख कर दिया है कि सूचना नहीं भेजी है। टेलीग्राम भेजा है। पता नहीं जिलाधीश का टेलीग्राम है या किसका है ?

श्री अध्यक्ष--

आप जो बहस कर रहे हैं वह आपकी बात के बिल्कुल खिलाफ जाती है। इसमें लिखा है "लेटर फालोज"। तो उसे आने दीजिए, पता चल जायगा किसने तार दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जिलाधीश जब गिरफ्तार करता है वह नियमानुसार आपको सूचित करेगा और वह सूचना कब सदन के सामने आयेगी इस संबंध में नियम ८४ में साफ लिखा हुआ है। जिस स्थान पर गिरफ्तार हो, जहां रखा गया हो उसकी सूचना तुरन्त आप को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जो बहस कर रहे हैं आप लिखकर दे दीजिये। मैं सुन लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

नियम ८६ में लिखा हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

लिख कर आप नहीं देना चाहते तो मैं इसी वक्त आदेश दे दूंगा, लेकिन फिर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

८६ में लिखा हुआ है कि जो सूचना आयेगी उसे आप फौरन सुनायेंगे। हमारा एतराज है कि सूचान कल शाम को साढ़े सात बजे मिली और गिरफ्तारी साढ़े ११ बजे हुई तो इसे तुरन्त नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दीजिये। मुझे तो मालूम नहीं है कि गिरफ्तारी साढ़े ग्यारह बजे हुई।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अब तक वह बन्दी गृह में हैं या छोड़ दिये गये हैं यह जानना इसलिये जरूरी है कि विशेषाधिकार का सवाल उसी वक्त उठ सकेगा जब अंडर डेटेंशन होंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जब प्रपत्र आयेगा तो बतला दिया जायगा। इस वक्त तो मैं यही समझता हूं कि अरेस्ट हो चुके हैं। डेटेंशन में हैं या बेल पर छोड़ दिये गये हैं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा एक मंत्री पर गांजा तथा अफीम के तस्कर व्यापार से सम्बन्धित भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मेरे पास दो विशेषाधिकार के प्रस्ताव आये हैं। दोनों को मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाये देता हूं। एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय काशीनाथ मिश्र का है और दूसरा माननीय शिवनाथसिंह, गयाप्रसाद, काशीनाथ मिश्र तथा राधेश्याम शर्मा का है।

पहला विशेषाधिकार का प्रश्न इस प्रकार है :--

"१२ दिसम्बर को, इस आदरणीय सदन में अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद पर बोलते हुये माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने गांजा और अफीम आदि के तस्कर व्यापार से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री पर लगाये। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी

[श्री अध्यक्ष]

होती है। श्रीमन्, जब तक माननीय मंत्री का नाम नहीं बतलाया जाता सदन में बार बार आग्रह करने पर भी पांडेय जी ने नाम नहीं बतलाया जिससे यह पूरे मंत्री मंडल का अवमान बन जाता है। या तो पांडेय जी उस मंत्री का नाम बतलाते हमें सबूत के साथ और उस मंत्री को मौका मिलता अपनी सफाई पेश करने का या इस प्रकार भ्रष्टाचार की चर्चा कर देना मंत्री-मंडल और सारे सदन का अवमान है। अतः मैं माननीय नरसिंहनारायण पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं।"

दूसरा है :

"तारीख ११ व १२ दिसम्बर को इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्य श्री नरसिंह-नारायण पांडेय ने गांजे के तस्कर के संबंध में कुछ बहियां जाली पेश की हैं जिससे सदन को गुमराह किया गया है। सत्यता यह है कि जहां तक हमको पता लगा है माननीय श्री नरसिंह-नारायण पांडेय, श्री शिब्बनलाल सक्सेना आदि गोरखपुर के कुछ व्यक्ति तस्कर व्यापार गांजे का स्वयं कराते हैं और जो बहियां सदन में पेश की गयी हैं वे गांजे के तस्कर व्यापारी श्री नरसिंह-नारायण पांडेय के एक रिश्तेदार की हैं जिन्हें वे अपने रिश्तेदार से पुलिस डी० आई० जी०, गोरखपुर, श्री इस्लाम अहमद के इशारे पर प्राप्त करके सदन को गुमराह करने के लिये उपस्थित किया है। अतः इस तरह सदन को गुमराह करके श्री नरसिंहनारायण पांडेय ने सदन का अवमान किया है।"

मैं एक निवेदन कर दूं। इस प्रकार की बातें मैं समझता हूं कि इस सदन की मर्यादा और गौरव के प्रतिकूल हैं। अतः मैं इन दोनों को अस्वीकार कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये प्रस्ताव माननीय नरसिंह नारायण पांडेय के खिलाफ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुये हैं इनको आपको स्वीकार करना चाहिये इसलिये कि इसके ऊपर बहस हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार मंत्री के खिलाफ माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने झूठे चार्जेज लगाये हैं। इनको किसी न किसी शक्ल में आपके स्वीकार करने से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गवर्नमेंट के एक वरिष्ठ मंत्री के प्रति असत्य लांछनों की सफाई का मौका मिलेगा। सोशलिस्ट पार्टी ने सारी परिस्थिति समझ ली है इसलिये उन्होंने इस किस्म का माननीय नरसिंहनारायण पांडेय के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो इसको आप स्वीकार करें ताकि जो पिछली बहस अखबारों में गलत छपी है उसकी तरदीद हो सके और माननीय नरसिंह-नारायण पांडेय का असली नक्शा पेश हो सके कि असलियत क्या है। माननीय नरसिंह-नारायण पांडेय को सोशलिस्टों ने समझा है और हम कांग्रेस के लोग भी कुछ कुछ समझने लगे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आपकी आज्ञा से ही मैं कुछ कहना चाहता हूं...

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्! एक तो जो आपने इस पर निर्णय दिया उससे बड़े आदर के साथ असहमति इसलिये प्रकट करता हूं कि जब कोई विषय चर्चित हो गया इस सदन के समक्ष और उससे संबंधित मान और अवमान का प्रश्न खड़ा हुआ तो उसकी सफाई का मौका दिये बगैर और माननीय सदस्यों को जिन्होंने उस प्रश्न को प्रस्तुत किया है उनको सुने बगैर जो आपने

निर्णय दिया उससे मैं बड़े आदर के साथ असहमति प्रकट करता हूं। उसके पश्चात् भी जो अब आप माननीय नरसिंहनारायण पांडेय को सफाई का मौका दे रहे हैं यह किस व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कह रहा था कि इसको मैं अस्वीकार कर रहा हूं। उस पर ये कहना चाहते हैं कि स्वीकार करो।

श्री रामलखन शुक्ल--

वे क्या कहना चाहते हैं यह तो अभी सुना नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या चाहते हैं ?

श्री राम लखन शुक्ल--

मैं यह चाहता हूं कि जो यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उस पर संबंधित सदस्यों को जिन्होंने प्रस्तुत किया है या जिनको जानकारी है उस पर उनको सुना जाय।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, सुन रहा हूं, जरा ठहरिये।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, आपने इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सदन के सामने पढ़ दिया। इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं और पढ़ने के बाद सारा सदन भी समझ गया कि मैं गांजा, भांग और शराब का रोजगार भी करता हूं। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का नोटिस दिया गया है। इसका एकमात्र कारण यह है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। क्या इसको विशेषाधिकार समिति में भेजा जाय ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, आप पहले मेरी बात सुन लें। मेरा कहना यह है कि मुझे परसों शाम को ही खबर लग गई थी और विभिन्न पार्टियों के नेताओं से भी मैंने कह दिया था कि कल सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोग मीटिंग करेंगे [× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय नरसिंहनारायण जी आप बैठ जाइये। जो आप कह रहे हैं वह रिकार्ड नहीं होगा। एक सवाल यह है कि इसको लिया जाय या अस्वीकार किया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, आप सक्षम हैं। आप चाहें तो इसको विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। यह आपकी इच्छा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[× × × ×] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

इच्छा नहीं है, आपकी बहस क्या है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मैं आप से उम्मीद कर सकता हूं कि आप देखें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे है जब कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां तक उनको पता लगा है अभी श्योरिटी नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद भी आपने इसको सदन में पढ़ दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, गम्भीर वातावरण में पूरी जानकारी के बाद हमने यह सूचना पेश की है। किसी भावुकता के आधार पर हम सत्य को छिपाने में सक्षम नहीं हैं। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी का यह कहना कि यह सरकारी पक्ष की बात है, हमें सूचना कहां से मिल गई ? तो सोशलिस्ट पार्टी की धारणा है कि.....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न केवल इतना है कि विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय या नहीं ?

श्री राधेश्याम शर्मा--

जब हमें किसी बात का सही पता लगेगा तो हम जरूर कहेंगे। माननीय नरसिंहनारायण जी रोज ऐसी बात कहा करते हैं। मान्यवर, मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई गांजे का व्यापार करता है तो अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) कोई जरूर चोरी की चीज उनको दे देगा। हमारी पूरी जानकारी है इसलिये आप इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें। उनके रिश्तेदार और वे खुद गांजे का व्यापार कराते हैं....

श्री अध्यक्ष--

यह बात छोड़िये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि सारा मामला एक हाई पावर कमेटी को दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि जो चर्चा उठी और प्रस्ताव आया। आपकी रूलिंग के बाद चर्चा चली और जो प्रस्ताव मैंने सुना आपके मुंह से उसमें यह है कि कैबिनेट की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है और एक मिनिस्टर के ऊपर माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने कुछ चार्जेज लगाये। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि डी०आई०जी० पुलिस की साजिश से माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने ऐसा किया। डी० आई० जी० पुलिस, माननीय पुलिस मंत्री के कंट्रोल में हैं। और हर मंत्री की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। तो दो विरोधी बातें हैं विशेषाधिकार में। अगर माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने डी० आई० जी०, पुलिस की साजिश से सदन में गलत बातें कहीं थीं तो सदन का अपमान हुआ है और डी०आई०जी०, पुलिस को हटाना चाहिये। और अगर उन्होंने सही बातें कहीं हैं तो जिन्होंने चार्ज लगाया नरसिंहनारायण के

ऊपर उनको हटाना चाहिये। इस तरह के चार्जेज एक मेम्बर दूसरे मेम्बर के ऊपर आपकी सदारत में लगाये तो इससे जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा नहीं कायम होती। आप व्यवस्था करें कि आपके नेतृत्व में इस सदन में स्वस्थ परम्पराएं विकसित हों। विशेषाधिकार का प्रस्ताव समिति को जरूर भेजा जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हमारा भी उस पर है। मैं चाहता हूं कि रोज रोज विधान सभा में एक सदस्य दूसरे सदस्य पर दोषारोपण किया करते हैं इसकी भी सफाई हो जायगी। माननीय नरसिंह-नारायण पांडेय के रिश्तेदार रामनरेश त्रिपाठी गांजें की स्मगिलग करते हैं। इसको भेज दीजिये प्रिविलेज कमेटी को, श्रीमन्।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

यह जो बहीखाते माननीय नरसिंहनारायण ने पेश किये और वह सदन की सम्पत्ति बनाये गये, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह खाते जाली बनाये गये, या चुरा कर लाये या रिश्तेदार से लाये। पहले यह बात साफ हो जाय कि यह जो सदन की सम्पत्ति हो गयी, यह सम्पत्ति ली कहां से है ?

श्री अध्यक्ष--

अच्छा हो गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

अगर उसमें एक बात भी असत्य हो तो मैं मेम्बरी से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मैं कहता हूं कि एक हाई पावर इनक्वायरी कमेटी बनायी जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि इसको भेज दिया जाय ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप सक्षम हैं। भेजिये आप।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हमारा चरित्र और माननीय नरसिंहनारायण का चरित्र साफ हो जायगा। कमेटी में भेज दें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

सरकार के मंत्री का भी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

मान्यवर, जब यह चीज हाउस में आरम्भ हो गयी तो इसका एक ही रास्ता है कि आप इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजिये और इसलिये भेजिये कि जो यह परम्परा बन रही है कि इस तरह से किसी भी मेम्बर के विरोध में हम कोई भी बात कह दें यह बहुत अच्छी बात नहीं है। उस दिन माननीय पांडेय जी ने कुछ चार्जेज लगाये। उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर नाम लेते तो ज्यादा अच्छा होता। नाम न लेने से तमाम मंत्रिमंडल को कंडेम कर दिया। मान्यवर,

[श्री नवलकिशोर]

मैं इस व्यू का हूं कि दोनों को इस बात का मौका मिलेगा कि उनके पास क्या तथ्य है जिसके आधार पर उन्होंने ऐसी बात कही वह पेश करें। नहीं तो मान्यवर, इसमें सख्ती करनी पड़ेगी। वरना किसी मेम्बर की इज्जत, मान मर्यादा सेफ नहीं हो सकती। अभी भी सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि नरसिंहनारायण पांडेय और उनके रिश्तेदार गांजे का व्यापार करते हैं। जहां तक उनके सम्बन्धियों का प्रश्न है वह तो इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं, लेकिन यह लांछन लगाना कि नरसिंहनारायण पांडेय ऐसा करते हैं तो या तो वह इसको साबित करेंगे कि नरसिंहनारायण पांडेय ऐसा करते हैं और अगर नहीं साबित करते हैं तो उनके ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा, इसलिये, मैं समझता हूं कि यह मसला इस हद् तक आ गया है कि आप मेहरबानी करके इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजिये क्योंकि जो तथ्य है वह सदन के सामने आना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

मुझे दुख है जिस प्रकार इस सदन में किसी उचित शब्द के अभाव में मैं कहूं कि ब्रैंडिंग आफ इन्सल्ट्स हुआ, उसके बारे में जैसा अभी नवलकिशोर जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि इस प्रकार की चीज सदन में न हो सके इसके लिये आवश्यक है कि इस मामले को आप पूर्णतया प्रिविलेंज कमेटी को भेजिये ताकि वहां वह अपनी बात भी कह सकें और जो दोषी हों उसे दंड भी मिले जिससे कि सर्वदा के लिये यह इन्सिन्यूएशन जो शुरू हुआ है इस सदन के अन्दर, कोई नातेदार कहकर, कोई रिश्तेदार कहकर, कोई कुछ कहकर और कोई कुछ कहकर, यह समाप्त हो और इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करुंगा, मैं नहीं जानता कि नियम क्या हैं, किन्तु यह प्रार्थना जरूर मैं करुंगा कि यह मामला जो उठा है जो नरसिंहनारायण जी ने पिछली बार कोई बहीखाता पेश किया और किसी मंत्री महोदय के ऊपर कोई चार्ज लगाया, उसके लिये भी आवश्यक है कि उस चीज की सफाई हो। इसलिये आप उस विषय को भी भेज सकते हों तो जरूर भेजिये। अच्छा होता कि सरकार स्वयं इसकी सारी एन्क्वायरी करती। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि दोनों विषयों को सम्मिलित करके आप प्रिविलेज कमेटी को अवश्य भेजिये जो इस पर निर्णय करे और उस निर्णय के अनुसार आवश्यक कदम उठाये जांय जिस से कि भविष्य में यह इस प्रकार से ब्रैंडिंग आफ इन्सल्ट्स न होने पाये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम ६५ के अन्तर्गत एक जानकारी आपसे चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई सवाल विशेषाधिकार का उठाया जाय तो उसके साथ कोई आधार अगर हो, या कोई दस्तावेज हो तो मूल दस्तावेज या दस्तावेज की प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न होनी चाहिये, तो क्या इस विशेषाधिकार के सवाल के साथ कोई दस्तावेज है ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

दस्तावेज के आधार पर तो यह उठाया नहीं गया है तो दस्तावेज की जरूरत क्या है ?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

इस आदरणीय सदन में जो हो रही हैं, मैं स्वयं समझता हूं और आदरणीय सदन और माननीय सदस्यगण भी इस बात को मानेंगे कि इस सदन की मर्यादा के विपरीत बातें हो रही हैं। जिस समय माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने यहां बहीखाता उपस्थित किया,

मैं ऐसा समझता था कि आपके उस पवित्र आसन पर पीठासीन अधिकारी उन्हें इजाजत नहीं देंगे उस बहीखाते को पेश करने की, किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके उस आसन पर वह बहीखाता भेज दिया गया और यह भी घोषित हो गया कि यह सदन की प्रापर्टी हो गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने उस पर शंका प्रकट की थी। फिर बहीखाता उठा करके वित्त मंत्री जी के पास गया, वहां से कहा गया कि गृह मंत्रीजी के पास जायगा। यह भी कहा गया कि गृह मंत्री जी के पास कुछ खाते पहले से जमा हैं और उन्होंने देख लिया है। तो इस तरीके से सारी कार्यवाही उस दिन चली। एक ड्रामा, एक नाटक की तरह वह बही खाता घूमा। कोई स्पष्ट निर्णय उस दिन आदरणीय आसन से नहीं हुआ कि उस बहीखाते का क्या हो। उस बहीखाते की वही दुर्गति हुई जो नाजायज पैदा लड़के की दुर्गति होती है, कोई मां-बाप स्वीकार नहीं करता है कि यह हमारा है, वही दुर्गति उस बहीखाते की उस दिन थी। मैंने उस दिन एक सवाल किया कि माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी कहते हैं कि मंत्री परिषद् के कोई वरिष्ठ सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद् में तो ऐसे माननीय सदस्य भी हैं कि जिनकी ईमानदारी पर विरोधी पक्ष से भी कोई उंगली नहीं उठाता है। सामूहिक रूप से एक लांछन लगा देने से सारे प्रदेश में भ्रम पैदा होगा और इससे मंत्रिपरिषद् और इस प्रदेश तथा इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा के ऊपर आंच आयेगी, इसलिये मैंने बार-बार प्रार्थना की कि किस मंत्री से इसका सम्बन्ध है यह स्पष्ट कराया जाय। एक्साइज मंत्री से मतलब वर्तमान मंत्री से है या भूतपूर्व मंत्री से है इस बात की सफाई पांडेय जी से अवश्य करायें। उसी सवाल को लेकर सोशलिस्ट पार्टी ने यह सवाल उठाया है। इस प्रश्न पर आप चाहें तो कोई हाई पावर कमेटी बिठायें या विशेषाधिकार समिति को भेजें, पर इस मामले की सफाई होनी चाहिये। यह दोनों के लिये अच्छा है, मंत्री जी के लिये और सदस्य के लिये भी। एक बात यह और कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि इस हाउस की व्यवस्था में जो यह गड़बड़ी हो रही है उसको आप उस आसन पर विराजमान होने के कारण आसानी से सुधार सकते हैं। कोई माननीय सदस्य सुधार नहीं सकता है। मैं आपसे नम्रता के साथ निवेदन करुंगा कि इस सदन की अध्यक्षीय कुर्सी पर आप बराबर विराजमान नहीं रहेंगे और हम भी बराबर सदस्य नहीं रहेंगे। हम लोगों का समय ३ साल शेष है। पता नहीं आप फैजाबाद से आ सकेंगे या नहीं और मेरा भी पता नहीं है कि मैं बलिया से आऊंगा या नहीं, परन्तु सदन की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिये। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि जो मामला पेश है उसके लिये कोई स्पष्ट निर्णय आपके आदरणीय आसन से होना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि जो चार्जेज लगाये गये हैं उनसे तीन तरह के लोग सम्बन्धित हैं। एक तो माननीय सदस्य हैं, दूसरे मंत्री जी और तीसरे डी० आई० जी०। हमने अखबारों में पढ़ा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई पावर जुडिशल जज नियुक्त किया है इस काम के लिये। इसी तरह से हमारे सामने यह मसला है। अच्छा होगा कि अगर इस मामले के लिये कोई हाईकोर्ट का जज जांच करने के लिये नियुक्त कर दिया जाय, ताकि हमेशा के लिये यह पर्दा-फाश हो जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि जैसा कमलासिंह जी ने कहा कि इसका मतलब मिनिस्टर साहब से नहीं है। मतलब है सोशलिस्ट पार्टी के विशेषाधिकार के प्रश्न से। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अध्यक्ष हैं और आपसे हमको यह आशा है कि यहां पर जो रोज मानवीय शिष्टाचार की हत्या होती है उसको इस सदन में रोकने के लिये यह बड़ा जरूरी हो गया है कि यह जो प्रस्ताव आया है उसको आप विशेषाधिकार समिति के साम्ने भेजें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला आजमगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय आज सदन के समक्ष उपस्थित है। एक माननीय मंत्री के विरुद्ध और उसके पश्चात् माननीय नरसिंहनारायण जी के विरुद्ध ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न आया है। यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन जाने के कारण प्रिविलेज समिति को जाना चाहिये या फिर आप इस प्रश्न को या तो कैबिनेट के किसी मिनिस्टर के सुपुर्द कर दें या जुडिशल हाई पावर कमेटी बने।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अन्तर्गत मैं यह नहीं कर सकता। मैं इसको प्रिविलेज कमेटी को भेज सकता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

आप नियम के अनुसार इसको प्रिविलेज कमेटी को भेज सकते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऊपर एक इन्क्वायरी होना बहुत आवश्यक है। तो आप, गृह मंत्री, मुख्य मंत्री और पार्टियों के नेता बैठ कर एक निर्णय ले लें कि यह सारा मामला एक विशेष व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाय और मेरा निवेदन है कि आप अभी निर्णय न दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं इसलिये आपत्तियां हुईं और मैंने उनको सुन लिया। अब मैं देख रहा हूं कि दोनों पक्ष और प्रत्येक पार्टी और नरसिंहनारायण जी स्वयं आग्रह कर रहे हैं कि इसको भेजा जाय। तो मेरे सामने एक कठिनाई हो सकती है और वह यह कि यह वस्तुतः प्रिविलेज के अंदर आता है या नहीं। प्रिविलेज के विषय में दो चीजें होती हैं—फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ अरेस्ट और कदाचित् डिग्निटी आफ दि हाउस। तो इन दृष्टियों से मैं इसे देख लूंगा। मैं केवल इस दृष्टि से इसे प्रिविलेज कमेटी को नहीं भेजना चाहता था कि इससे सदन का गौरव और उसकी मर्यादा पर आघात हो सकता है, लेकिन जब सबकी मर्जी है तो मैं इसे देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आप सक्षम हैं। आपने उसे सदन में पढ़ दिया और वह सदन की प्रापर्टी हो गयी। मुझे कोई गुरेज नहीं है अगर आप उसे विशेषाधिकार समिति को दे दें, लेकिन जब मेरे भाषण पर यह आपत्ति उठायी गयी तो क्या मैं आपसे और सदन से यह मांग कर सकता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है, जो बहीखाते मैंने यहां पेश किये, उनके लिये एक हाई पावर जुडिशियल कमेटी बनायी जाय, ताकि वह सारे मामले को देखे जिससे पूरे तथ्य सदन के सामने आ सकें।

श्री उग्रसेन—

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह भी दे दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नरसिंहनारायण जी, आप नाराज होकर बोलते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं इस सदन का सदस्य हूं और इस नाते जो बात कहता हूं उसकी कुछ महत्ता होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके दो पहलू हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप झगड़े की बात न कीजिये । आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा कहना है कि सारा मामला विशेषाधिकार समिति को आप दे दीजिये । मेरा जो भाषण हुआ उससे माननीय उग्रसेन और उनकी पार्टी को तकलीफ पहुंची है और इस कारण उन्होंने यह प्रश्न उठाया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात समझ लीजिये । आप कृपा कर वह आधार बतलायें कि जिसके आधार पर आप चाहते हैं कि कमेटी काम करे । आप चाहते हैं कि एक वरिष्ठ कमेटी कायम हो तो मैंने नेकराम जी से कहा है कि मैं इसे केवल विशेषाधिकार समिति को ही भेज सकता हूं । अगर इस सदन की कोई वरिष्ट कमेटी बनानी हो तो वह सदन के प्रस्ताव द्वारा हो सकता है । यह बात समझ लीजिये ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

मेरा कहना यह है कि अगर प्रस्ताव द्वारा हो तो मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस सदन की कमेटी बने विभिन्न विरोधी पार्टियों की ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, सिर्फ विशेषाधिकार के संबंध में कुछ कहना हो तो कहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

सारा मामला हमारे बहीखाते की वजह से है और उसी का वितंडावाद है । जैसा कि उग्रसेन जी और उनके साथियों ने इसको विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने को कहा है, मैं निवेदन करूंगा कि सारा मामला ठीक तरह से तय हो । जो सन् १९६२ का बहीखाता दिया है और आपके पास सन् १९६१ का भी है सबको सील मोहर कर दिया जाय और एक हाई पावर कमेटी , जुडीश्यल कमेटी बना कर उसके सुपुर्द कर दीजिये और जो भी दोषी पाया जाय वह इस्तीफा दे । या तो मैं दूं अगर मैं दोषी हूं वरना वह कैबिनेट स इस्तीफा दें ।

श्री उग्रसेन—

नरसिंह नारायण जी के जो चार्जेज हैं जयराम वर्मा जी, मुजफ्फर साहब, डाक्टर सीताराम इत्यादि के खिलाफ उनको भी पूरा मौका दीजिये और उनको भी न्यायिक जांच के लिए भेज दीजिये, यही सोशलिस्ट पार्टी चाहती है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

वह खुदाई फौजदार बने हैं, उनको जरूर भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

काफी बहस हो चुकी । मैं अपना निर्णय कल दूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कई काम-रोको प्रस्तावों की सूचनाएं आयी हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा कल वाला प्रस्ताव आज ले लीजिये । अगर गृह मंत्री और मुख्य मंत्री मुझे आश्वासन दें क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी आफिस का मामला है और एक मोती महल ट्रस्ट का है, सब सबूत उड़ाये जा सकते है, तो अगर आश्वासन दें तो मैं रकमें और तारीख बताना शुरू करूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री, जरा सुनिये, आपसे बात हो रही है । वह कह रहे हैं कि आप मोती महल और कांग्रेस आफिस को कुर्क कर लीजिये, आप तैयार हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--

भला कौन अपना घर कुर्क करायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अब वह समाप्त हुआ ।

अब एक कामरोको प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह, कल्पनाथ सिंह, रियासत हुसैन की ओर से आया है कि "सरकार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य उत्पादन गुड़, राब तथा शीरा, खंडसारी, शक्कर को प्रदेश से बाहर ले जाने से रोक लगा देने के विरुद्ध प्रजा शोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह में कल गाजियाबाद में श्री मुकुटबिहारी लाल, सदस्य राज्य सभा, अध्यक्ष प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, श्री बलवान सिंह नेता प्रजा सोशलिस्ट विधायक दल, तथा श्री ब्रह्मप्रकाश शर्मा एडवोकेट, मुजफ्फर नगर के नेतृत्व में १७५ किसान गिरफ्तार किये गये हैं । इस घटना से प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर क्षोभ का वातावरण फैला हुआ है । जनता में नित्य प्रति असंतोष बढ़ रहा है ।"

दूसरा माननीय रामायण राय जी का है जो इस प्रकार है--"दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ ई० को गाजियाबाद के निकट हिंडन पुल पर १७५ व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर गुड़ ले जाने क कारण गिरफ्तार किये गये । गिरफ्तार लोगों में राज्य प्रसोपा के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल, राज्य विधान सभा में प्रसोपा दल के नेता माननीय बलवान सिंह और श्री ब्रह्म प्रकाश शर्मा भी हैं । उक्त गिरफ्तारी असंवैधानिक, अनियमित तथा राज्य सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध की गयी है । उक्त घटना से प्रदेश क गुड़ गन्ना सम्बन्धित किसानों के अतिरिक्त अन्य लोगों में भी पुलिस के इस निरंकुश तथा गैर कानूनी रवैये के प्रति रोष व्याप्त है । अतः सदन का आज का कार्य स्थगित करके इस अविलम्बनीय महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर विवाद करना चाहता हूं ।"

इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि सरकार की घोषित नीति जो है और जब कोई कानून बन गया है तो जो भी सत्याग्रह करेगा वह पकड़ा जायेगा । अगर कोई गिरफ्तारी कानून के विरुद्ध कार्य करने पर होती है तो उसके संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसन (जिला देवरिया)--

संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून बनेगा तो उसको तोड़ा जायेगा, व कोई डकैती डालने नहीं गये थे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव अब समाप्त हो गये, अब नियम ५२ के लिये जायेंगे। (श्री गेंदासिंह क खड़े होने पर) गेंदा सिंह जी, अब मजबूरी है, आपको मुझे सुनना तो पड़ेगा, लेकिन वह नियम के विरुद्ध होगा। एक बार जो व्यवस्था दे दी, उसके संबंध में अब कुछ कहना ठीक न होगा। मैं नियम ५२ के प्रस्ताव ले लूं, उसके बाद आप कह लें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं आपकी रूलिंग के खिलाफ या नियम के विरुद्ध काम न करूं, लेकिन इस समय मेरी मजबूरी है। जो घटना कल घटी है वह इतने महत्त्व की है कि उस पर विचार करना ही चाहिये था। अब आपकी रूलिंग के प्रति आदर करते हुये मैं १० मिनट के लिये सदन त्यागना चाहता हूं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे विरोध प्रकट करने का यही तरीका है।

(श्री गेंदासिंह ने समाजवादी दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हम और हमारी पार्टी भी इसके विरोध में सदन त्याग करती है।

(श्री भगवान सहाय ने निर्दलीय दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, इस रूलिंग के विरोध में हम और हमारी पार्टी भी सदन का कुछ मिनट के लिये त्याग करती है।

(श्री शारदाभक्त सिंह ने जनसंघ दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री उग्रसेन—

हमारी पार्टी भी इसके विरोध में सदन का त्याग करती है।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तथा हमारे दल के सदस्य आप के निर्णय का आदर करते हुए इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(स्वतन्त्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इस पर विवाद होना चाहिये था। अतः आप की व्यवस्था के प्रति आदर करते हुये हम सदन का त्याग करते हैं।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्दर कई सूचनायें आयी हैं जिनको मैंने अस्वीकार किया है। किन्तु एक माननीया किश्वर आरा बेगम के प्रस्ताव को उचित कार्यवाही के लिये मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

[श्री अध्यक्ष]

इसको पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"सेवा में निवेदन है कि रामपुर में ११ वर्ष पहले एक संस्था 'रामपुर बैंकर्स' के नाम से स्थापित हुई थी, जिस पर हुकूमत ने छापा मार कर बन्द कर दिया था, इस मुकदमें में इस संस्था के मालिक श्री मुश्ताक अली खां लोधी को सजा भी हुई थी तथा सजायाबी की मुद्दत समाप्त होते ही उन्होंने रिहा होकर फिर वही पुराना काम शुरू कर दिया है, अब एक के बदले सात देने के स्थान पर एक के चार दिये जा रहे हैं। रामपुर बैंकर्स को रजिस्टर्ड भी कराया गया था, लेकिन मौजूदा फर्म जो रामपुर फाइनेंशियर्स के नाम से है उसको रजिस्टर्ड कराने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। रामपुर फाईनेंशियर्स ने रामपुरी अवमा के लाखों रुपया एक के चार देने के नाम पर जमा कर लिये हैं तथा इस रकम के तहफ्फुज की कोई जमानत नहीं है। अवाम का सरमाया बिल्कुल गैर महफूज है। मैंने कई बार इस विषय में हुकूमत के जिम्मेदारों को ध्यान दिलाया, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया। अगर हुकूमत ने जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो रामपुर की तबाही में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, इसलिये यह एक ऐसा लोक महत्व का विषय बन गया है कि विधान सभा में तत्काल इस विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत विचार किया जाय अथवा सम्बन्धित मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगा जाय।"

यह मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

*बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में गवर्नमेंट की पालिसी क्या है, इसकी वजाहत कर दी जाय कि आया गवर्नमेंट इस फर्म को बन्द करना चाहती है या नहीं। अगर बन्द करना चाहती है तो गवर्नमेंट फौरन बन्द करे वरना ६ महीने पीछे बन्द करने से ५० सौं हजार आदमी उससे इफेक्टेड हो जायेंगे, बरबाद हो जायेंगे। अगर बन्द करने का इरादा न हो तो स्पष्टीकरण दे दिया जाय ता कि वह खुद ही फेल हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसको शीघ्रातिशीघ्र देख लिया जाय।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

इसको देख लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

उसका जो रवैया सजा पाने के पहले था वही रवैया उसने अब फिर अख्तियार किया है। इसको देख लिया जाय।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

वह देखा जा रहा है। उसमें कानूनी सलाहकारों की भी सलाह ली जा रही है।

बेगम किश्वर आरा—

उसको ६ महीने हो गये हैं। फिर तो सेशन समाप्त हो जायगा। मैं मिनिस्टर साहब से दसियों बार मिल चुकी हूं। इस बारे में हाउस में स्पष्टीकरण दिला दिया जाय। पब्लिक में हमारी पोजीशन बहुत खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अगर परसों तक आपको जवाब न मिले तो आप मुझ से मिल लें।

---

*सदस्या ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ जो विधान सभा द्वारा १२ दिसम्बर, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज (१७ दिसम्बर, १९६३ को) वापस प्राप्त हो गया है।

विभिन्न विधेयकों के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति ने जो फैसला किया है उसको मैं सुना देता हूं—

"१९ दिसम्बर, १९६३ को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य लिया जाय और इसके बदले में २३ दिसम्बर, १९६३ को वह असरकारी कार्य लिया जाय जो १९ दिसम्बर, १९६३ को निर्धारित किया गया था।

दूसरे उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार—१९ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे अपराह्न तक, और तीसरे उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण—१९ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे अपराह्न से ५ बजे अपराह्न तक और चौथे गोरखपुर गोलीकांड जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा—१९ दिसम्बर, १९६३ को ५ बजे अपराह्न से ७ बजे अपराह्न तक।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों के लिये कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है:

"(१) १९ दिसम्बर, १९६३ को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य लिया जाय और इसके बदले में २३ दिसम्बर, १९६३ को वह असरकारी कार्य लिया जाय जो १९ दिसम्बर, १९६३ को निर्धारित किया गया था;

(२) उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार—१९ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे अपराह्न तक;

(३) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण—१९ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे अपराह्न से ५ बजे अपराह्न तक;

(४) गोरखपुर गोलीकांड जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा—१९ दिसम्बर, १९६३ को ५ बजे अपराह्न से ७ बजे अपराह्न तक।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों के लिए कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :—

[श्री अध्यक्ष]

"(१) १९ दिसम्बर, १९६३ को असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य लिया जाय और इसके बदले में २३ दिसम्बर, १९६३ को वह सरकारी कार्य लिया जाय जो १९ दिसम्बर, १९६३ को निर्धारित किया गया था;

(२) उत्तर प्रदेश कार्नियल ग्राफ्टिंग विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार---१९ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे अपराह्न तक;

(३) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण---१९ दिसम्बर, १९६३ को ३ बजे अपराह्न से ५ बजे अपराह्न तक;

(४) गोरखपुर गोलीकाण्ड जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा---१९ दिसम्बर १९६३ को ५ बजे अपराह्न से ७ बजे अपराह्न तक।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य सरकार एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय संकट का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा करने हेतु सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब नियम ५३ की मैं एक सूचना स्वीकार कर रहा हूं जो इस प्रकार है कि "राज्य सरकार एवं उसके अधिकारी राष्ट्रीय संकट का दुरुपयोग कर रहे हैं।"

व्याख्यात्मक टिप्पणी---"(१) राज्य के कई नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत केवल इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया है कि वह श्रमिकों की उचित मांगों को मनवाने के लिये प्रयत्नशील थे।

(२) जिन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें वह सुविधायें, जो नजरबन्द बन्दी को प्राप्त होनी चाहिये, नहीं दी जाती हैं और उनमें से कितनों के केसों को रिव्यू भी नहीं किया गया।

(३) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग करके गाजीपुर जिला के चार कम्युनिस्ट नेता श्री पब्बरराम (भूतपूर्व विधायक) श्री राजनाथ सिंह, श्री शिवमूर्ति सिंह और श्री जन्नत खां को जिले से अनिश्चित काल के लिये निकाल दिया है, क्योंकि वह लोग स्थानीय पुलिस की बर्बरता एवं अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे।

(४) राष्ट्रीय संकट की स्थिति के नाम पर हर प्रकार के लाइसेंस एवं परमिट प्राप्त करने वालों से मनमाने ढंग से रुपया वसूल किया जा रहा है जिसकी रसीदें तक नहीं दी जाती हैं और इस प्रकार प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सस्ते गल्ले की दूकान, चीनी की दूकान, भट्ठे के लाइसेंस प्राप्त करने वालों से सुरक्षा कोष के नाम पर बड़ी-बड़ी रकमें प्राप्त की जाती हैं और फलस्वरूप वह दूकानदार अपनी दी गयी रकम की वसूली के लिये चोर बाजारी करते हैं।

(५) राष्ट्रीय संकट के नाम पर राज्य की नौकरशाही निरंकुश होकर काम कर रही है विशेष रूप से पुलिस मनमाने ढंग से काम कर रही है जिसके कारण जनसाधारण में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है।"

यह सर्व श्री चन्द्रजीत यादव, रामकिशोर त्रिपाठी, ऊदल, भीखालाल, विजयपाल सिंह आदि की तरफ से आया है। इसको कब के लिये रखा जाय, इस पर मैं २ घंटे का समय रख रहा हूं।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इसका सम्बन्ध मुख्य मंत्री जी से है उनसे पूछ कर ही समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है उनसे पूछ कर समय रख दिया जायगा।

बापू इंटर कालेज, कोपागंज (आजमगढ़) के विद्यार्थी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र कुमार जैन नाम का कोई विद्यार्थी बापू इन्टर कालेज, कोपागंज में नहीं है। एक विद्यार्थी गजेन्द्र कुमार जैन पिछले वर्ष से बापू इन्टर कालेज, कोपागंज में पढ़ता था। वह इस वर्ष नवीं श्रेणी में पढ़ रहा था। नवम्बर के शुरू में उसका दिमाग कुछ खराब हो गया। उसके अभिभावक श्री वृन्दावन अग्रवाल ने जो स्कूल के मैनेजर भी हैं, यह देखकर कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है उसको कलकत्ता भेजने का निश्चय किया। तदनुसार ३–१२–६३ को श्री सत्यनारायण प्रसाद मुनीम फर्म सर्व श्री विश्वनाथ प्रसाद, शांतिलाल के साथ लड़के को उन्होंने कलकत्ता भेज दिया। श्री सत्यनारायण प्रसाद के दो पुत्र श्री वृन्दावन अग्रवाल के पास आए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि लड़का कलकत्ता में है। पुलिस ने न तो इस लड़के को कभी थाने ही बुलवाया और न इसको कभी मारा पीटा। इस लड़के के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं था और न इसको थाने में बुलवाने की कोई आवश्यकता ही थी।

कोपागंज विद्यालय तथा गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ के विद्यालयों में न कोई क्षोभ व्याप्त है और न शान्ति भंग होने का कोई अन्देशा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यह छात्र अभी १०, १५ दिन पहले इस स्कूल में पढ़ता था और जब उसका नाम इसलिये काट दिया गया कि उसका दिमाग खराब हो गया है तो उसने सिविल सर्जन, आजमगढ़ का सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को दिया कि वह ठीक है। क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है?

*गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इस लड़के के बहनोई उस स्कूल के मैनेजर हैं और चूंकि दिमाग खराब हो गया इसलिये उन्होंने उसको दूसरे बहनोई के पास जो कलकत्ता में रहते हैं दवा कराने के लिये भेज दिया।

*श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह सही है कि उसका नाम १०, १५ दिन पहले खारिज हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि नवम्बर के महीने में उसका नाम इस स्कूल में था कि नहीं? और खारिज करने का कारण बता रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया, लेकिन लोगों के अनुसार तो उसने आजमगढ़ के सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट दिया कि दिमाग खराब नहीं है इसका नाम रखा जाना चाहिये, क्या इसकी जानकारी है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरगोविन्दसिंह---

पता नहीं यह आपको कैसे मालूम हो गया, क्योंकि आप ने कहा था कि वह गायब हो गया है।

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न यह है और जिसके कारण मैंने उसे स्वीकार किया था कि राजेद्रकुमार जैन, विद्यार्थी बापू इन्टर कालेज, कोपागंज, पुलिस स्टेशन कोपागंज निरपराध हाथ पैर बांध कर बुरी तरह से पीटा गया। दूसरे यह कि बेहोश हो जाने पर पुलिस स्टेशन की हवालात में उसको बन्द कर दिया। तीसरी बात आपने यह कही कि मरणासन्न जान पुलिस ने उसे कहीं गायब कर दिया, नाम कट गया, यह तथ्य आप की सूचना से नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

हमने सवाल इसलिये कर दिया कि उत्तर दिया है सरकार ने कि उसका नाम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कलकत्ता भेज दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

वही जानना चाहता हूं। हमारी जानकारी है कि २ तारीख को मारा गया १० बजे रात को और हवालात में बन्द कर दिया और दूसरे दिन वित्त मंत्री जी उस रास्ते जाने वाले थे इसलिये उसको गायब कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह घटना सही है कि नहीं कि वह विद्यार्थी उस स्कूल का था? इस साल उसका नाम नवम्बर में खारिज हुआ और २ तारीख को उसे मारा गया। अगर सरकार इसकी जानकारी करे तो जनता को सन्तोष मिलेगा और काफी सहायता मिल सकेगी।

*श्री हरगोविन्द सिंह---

जो आपने कालिंग अटेन्शन नोटिस दिया वह इतना भयानक था कि मैं स्वतः आजमगढ़ गया। यहां से मैंने एस० पी० को आर्डर दिया कि तुम अभी जाओ और अपने से पता लगाओ। एस० पी० वहां गया। दूसरे रोज मैं सुबह खुद आजमगढ़ पहुंचा और एस० पी० ने मुझसे कहा, उसके शब्द दोहराऊं कि तिल्ली का पहाड़ हो सकता है, लेकिन यह चीज जिसकी कोई बुनियाद नहीं, अखबार में भी निकल गई, पुलिस बदनाम हो गई कि ऐसे मार कर फेंक दिया।

*श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न किया था वह दूसरा था। मैं जानना चाहता हूं कि इस विद्यार्थी का नाम स्कूल से कब खारिज हुआ था और क्या नवम्बर, १९६३ में उस विद्यार्थी का नाम स्कूल में रहा या नहीं?

श्री अध्यक्ष---

इसका ताल्लुक क्या है?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, ये कह रहे थे कि लड़का कलकत्ते में है।

श्री अध्यक्ष---

क्या मैं यह समझूं कि अगर कोई आदमी शहर से बाहर चला जाता है तो उसका नाम काट दिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

वह तो .....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने, जब नवम्बर के महीने में नाम खारिज किया गया जो परिस्थिति वहां थी उन सारी परिस्थितियों के खिलाफ उसने एक एजीटेशन पैदा किया, इस के बारे में उस लड़के से, कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की ?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि वह कलकत्ता चला गया ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

माननीय गृह मंत्री जी सदन को बता रहे हैं कि इस प्रश्न के महत्त्व को देखते हुये वे स्वयं आजमगढ़ तशरीफ ले गये । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ जाने के बाद वे लड़के के अभिभावकों से जोकि स्कूल के मैनेजर भी हैं उनसे मिले, वहां के विद्यार्थियों से और किन-किन लोगों से मिले और साथ ही साथ क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इस विद्यार्थी का दिमाग कब खराब हुआ और दिमाग खराब होने पर उसने क्या-क्या उपद्रव किये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं । मैं नहीं मिला, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उनका पत्र यहां मौजूद है ।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय गृह मंत्री जी, जब आप आजमगढ़ तशरीफ ले गये तो क्या आपने पता लगाया कि वे किस तारीख को कलकत्ते भेजे गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

३ दिसम्बर को वे कलकत्ते भेजे गये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस लड़के के बारे में इतनी बड़ी चर्चा है और माननीय गृह मंत्री स्वयं आजमगढ़ गये, वह लड़का मऊ में आ गया और वहां जनसंघ के दफ्तर में ठहरा हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह तो मुझे सूचना नहीं है ।

श्री रामायणराय--

इस विद्यार्थी का नाम इसलिये काटा गया कि उसका दिमाग खराब हो गया था । उस स्कूल के अध्यापकों को या उसके अभिभावकों को कैसे इस बात का पता चला कि उसका दिमाग खराब हो गया और उसने उपद्रव किया ।

श्री हरगोविन्द सिंह--

मुझसे इसका कोई मतलब नहीं था कि नाम कैसे काटा गया, क्यों काटा गया। कहा यह गया था कि विद्यार्थी को थाने में मार डाला गया और गायब कर दिया गया। इसलिये मैं वहां गया था।

श्री ऊदल--

माननीय सदस्य का कहना यह है कि चूंकि मंत्री जी जाने वाले थे तो इसलिये लाश को फेंक दिया गया और माननीय मंत्री जी का कहना है कि वह कलकत्ता में चला गया तो क्या माननीय मंत्री जी किसी को कलकत्ता भेज कर उस लड़के को सदन में पेश करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या यह सही है कि २ तारीख को बन्द कर लिया गया था और तीसरे दिन मार खाने के बाद पुलिस ने उसे बाहर भेजा दिया ? अगर जानकारी नहीं है तो फिर से इन्क्वायरी की जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह बिलकुल झूठ है। न वह थाने लाया गया और न थाने वाले जहां वह था वहां गये। वह मैनेजर साहब का साला था और जब वह बीमार हुआ तो उन्होंने अपने मुनीम के साथ उसे अपने दूसरे बहनोई के पास दवा के लिये कलकत्ता भेज दिया।

श्री राममूर्ति 'अंचल'--

जब मंत्री जी वहां तशरीफ ले गये तो पुलिस कप्तान साहब बहादुर से उन्होंने क्या यह मालूम करने की कोशिश की कि किस सोर्स और किन-किन तरीकों से उन्होंने जांच करने की कृपा की ?

श्री अध्यक्ष--

यह अदालत नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि वह मारा गया, मारा गया तो इतना कि वह मरणासन्न हो गया और उसकी लाश गायब कर दी गई। इसी को देखना था। इससे इन्कार है। बात खत्म हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

किस आधार पर वह कहते हैं कि यह बिल्कुल झूठी बात है कि उसको थाने में नहीं लाया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह इस आधार पर कहा गया है कि पुलिस कप्तान जब वहां पर गये तो उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा और प्रिंसिपल ने लिख कर दिया है कि लड़के का दिमाग खराब हो गया था। वृ दावन दास जो उनके बहनोई हैं वह भी यही कहते हैं। डाक्टर कुन्दनलाल, प्राइवेट प्रेक्टीशनर हैं जो पड़ोस में रहते हैं वह भी यही कहते हैं कि यह सही बात है कि वह कलकत्ते गया है। चिट्ठियों की नकलें हमारे पास हैं। सब ने रिटिन दिया है। कलकत्ते से उसकी पहुंच भी आई है। शिवनाथदास और शिवनारायण प्रसाद की ७ और १० को चली चिट्ठियां हैं वे दोनों चिट्ठियां भी आ गयी हैं कि उस लड़के का दिमाग अब भी वैसा ही खराब है जैसा कोपागंज में था और वह यहां पर है।

बहीखातों के सील मुहर करने की प्रार्थना

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस सदन में एक बहीखाता १९६१-६२ का श्री उपाध्यक्ष को दिया था और उनके आदेश से वित्त मंत्री जी को दिया था। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सारे आपोजीशन पार्टीज के लीडर्स के सामने आप हमारे बहीखाते को सील मुहर करा दीजिये, क्योंकि अब श्रीमन्, हमारा रिकर्ड टैम्पर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

कहां है, किसके पास है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

अब गृहमंत्री जी के पास है। अब मुझे शुबहा हो गया है, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि उसको सील मुहर विरोधी पार्टियों के नेताओं और अपने सामने करा दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

वह तो अध्यक्ष की कस्टडी में है उसमें टेम्पर होने का कहां सवाल है, श्रीमन् ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप सील मुहर हो जाने की व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष--

हो गयी बात।

†उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३ (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष--

कल होम-गार्ड्स विधेयक पर माननीय रक्षपाल सिंह जी बोल रहे थे। आज वह नहीं हैं इसलिये लखी सिंह जी आप बोल लें। लेकिन आपने जो संयुक्त प्रवर समिति का संशोधन दिया उसमें आप परिधि बढ़ाने के लिये कहते हैं। वह नहीं हो सकता, क्योंकि जो मूल विधेयक होते हैं उनमें परिधि बढ़ाने का सवाल नहीं होता है। परिधि बढ़ाई जाती है जहां संशोधन आता है कि फलां दफा को दुरुस्त कर दो या बहुत सी दफायें दुरुस्त करनी हैं लेकिन जो मूल विधेयक है उसमें क्या परिधि बढ़ेगी। तो यह हिस्सा आपका अनियमित है और आप केवल इतना कह सकते हैं कि यह संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आप का आभारी हूं कि मुझे आपने इसको पेश करने का मौका दिया। इस विधेयक का नाम "होमगार्ड्स विधेयक" है। होमगार्ड्स क्या चीज है, इसे तो हम जानते ही नहीं। सोशलिस्ट पार्टी की नीति के अनुसार तथा सदन की जो भाषा है उसके अनुरूप इस नाम को गृह रक्षक दल होना चाहिये था। लिहाजा पहले तो यह सरकार ठीक इसका नाम रखे।

---

†२१ अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

**९ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत जी ने एक प्रान्तीय रक्षक दल बनाया था। अगर उसे सरकार ताकत देती और मुर्दा न बनाती और देश के नेता सुभाषचन्द्र बोस ने जैसा कहा कि घर-घर व गांव-गांव में सेना बन जाय उसके अनुसार अगर उस प्रान्तीय रक्षक दल को प्रोत्साहन दिया जाता तो फिर चीन की हिम्मत न होती कि हमारी भारत माता की ३० हजार वर्ग मील भूमि को रौंदता चला आता और फिर अपने मन से वापस चला जाता।

मैं इसके उद्देश्य समझ नहीं पाया। आप की आज्ञा से मैं इसके उद्देश्य दुबारा पढ़े देता हूं "वर्तमान आपतिकालीन स्थिति के प्रसंग में और भारत सरकार की सलाह से, यह निर्णय किया गया है कि इस राज्य में होमगार्डों का एक परिनियत स्वेच्छिक संगठन आयोजित किया जाय, ताकि ऐसे व्यक्तियों का एक दल बनाया जा सके जिनकी सेवाओं का उपयोग आपात काल में विभिन्न कार्यों के लिये और शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिये किया जा सके। यह संघटन देश की संकट की घड़ी में क्लेश और संकट का सामना करने की जनता की इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिये एक शक्तिशाली साधन होगा। होमगार्ड्स का निर्माण, संघटन, अनुशासन तथा प्रशिक्षण ऐसे सामान्य ढांचे पर होगा जिसका सुझाव भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त संगठनों की बहुलता को बचाने के उद्देश्य से प्रान्तीय रक्षक दल का एकीकरण होमगार्ड्स के साथ करने का भी विचार है। विधेयक के खंड १५ में इसके सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।"

अब प्रान्तीय रक्षा दल को भी शामिल करने की बात इसमें कही गयी है। हम इसको पूरे तौर से समझ नहीं पाये और न इसमें बिल्कुल साफ ही किया है कि प्रान्तीय रक्षा दल के बड़े-बड़े अफसरान को ही शामिल किया जायगा या उसके जो समस्त सेवक हैं उन सबको शामिल किया जायगा। मुझे इस विधेयक में एक थोथापन मालूम दिया है। जहां तक मैं इसको थोड़ी देर पढ़ कर समझा हूं इसमें कोई ठोस बात नहीं है। अगर समस्त प्रान्तीय रक्षा दल को शामिल कर लिया जाय तब तो यह ठीक है और यह होना चाहिये। स्वर्गीय पंत जी के जमाने में इसका निर्माण हुआ था जिसमें स्वयंसेवक हमने गांव-गांव में भर्ती कराये थे और उसने काम भी बहुत किया था। मैं आपको पश्चिमी जिलों की बात बताऊं। एक बहुत जबर्दस्त गुंडागर्दी वहां मची हुई थी पाकिस्तान के सम्बन्ध में। कुछ लोगों ने कहा कि हम गंगा जी में पानी पियेंगे, हम यह करेंगे, हम अपना पाकिस्तान बनायेंगे। उस वक्त प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने पश्चिमी जिलों में जो पंजाब की सीमा पर हैं अपना सीना अड़ा दिया था। अगर वह दल गांव-गांव में शक्तिशाली बना दिया जाता और उसको यह सरकार पूरा सामान देती, वेतन देती तो आज इस सरकार को ही नहीं, बल्कि भारत सरकार को भी यह रोना नहीं पड़ता कि वह अफीमची चीन हमारी भारत भूमि पर कब्जा कर लेता .....

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि आपके प्रस्ताव का मतलब यह है कि जो सिद्धान्त इस विधेयक में निहित हैं वह हमें स्वीकार हैं। हम केवल इन कारणों से इसको प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। प्रांतीय रक्षा दल की महिमा सब जानते हैं।

श्री लखीसिंह—

आपकी आज्ञा से मैं वही कहूंगा। देश की रक्षा के लिये यह चीज जरूरी है, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरा मकान है मथुरा में और उसी के पास होमगार्ड्स का कार्यालय है। वे लोग मेरे पास आते हैं। इस दल के लोग मुझ से रोते हैं। मुझको एम० एल० ए० समझ-कर मुझ से शिकायत करते हैं कि अभी तक सरकार ने उनको दो दो वर्दियां भी नहीं दी हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़े दिन हुये, जब विधान सभा चलने वाली थी तो किसी तारीख में एक वर्दी सरकार ने उन को दी है। खाली कागज में बनाने से या विधेयक के बनाने से काम नहीं चलेगा।

वही हालत होगी जो चौकियों पर निहत्थे लोग इस चीनी दुश्मन से गुत्थमगुत्था लड़ रहे थे और उनके पास जर्सियां तक नहीं थीं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम है।

एक मुझे निवेदन करना था। यह विधेयक साढ़े पांच बजे तक समाप्त होना चाहिए। बहुत से अमेंडमेंट आये हैं। मैं चाहता हूं कि साढ़े तीन बजे तक जनरल डिस्कशन हो जाय और आध घंटे में रेप्लाइज हो जायं, और उसके बाद ....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर वह बात स्पष्ट हो जाय तो बहुत जल्दी हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १५ (सी) वह डिलीट करने जा रहे हैं। अगर माननीय मंत्री जी कह दें तो बहस करीब-करीब समाप्त हो जायगी और विधेयक बहुत जल्द पास हो जायगा।

गृह मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—

हां, ठीक है।

श्री लखीसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह विधेयक नया आया है। इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की बात मैंने कही है। वह इसलिए कही है कि हमें बहुत भय मालूम होता है। एक तो पुलिस का नाम लिया जा रहा है कि पुलिस का सहायक होगा 'होम गार्ड' पुलिस बड़ी छूत की बीमारी है। अगर होमगार्ड को पुलिस के साथ जोड़ देंगे तो वह सड़ जायगी। प्रान्तीय रक्षक दल में बड़े-बड़े देशभक्त हैं। इस पुलिस को इससे मत जोड़ो। मेरा यह मोटा सा सुझाव है। अगर जोड़ना ही है तो फौज से जोड़ो जिससे देश की रक्षा हो सके। राष्ट्रीयता के भाव इसमें बढ़ सकें। उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जरा इन बातों को नोट करते जायं। यह प्रान्तीय रक्षक दल की बात मैंने क्यों कही। प्रान्तीय रक्षा दल की बात है इसलिये कह रहा हूं कि सन् १९५१ से सन् १९५५ तक इस दल ने श्रमदान एवं विकास कार्यों तथा निर्माण-कार्यों के द्वारा प्रदेश के गांव-गांव में इतने व्यापक कार्य किये कि इसका एक अलग विभाग बना। एक लम्बी कहानी है। यदि प्रान्तीय रक्षा दल के निर्माण कार्यों का लेखा जोखा किया जाय तो उसके निर्माण कार्य करोड़ों में हो सकते हैं लाखों में नहीं। सिर्फ श्रमदान कार्य १९५७-५८ में ३७ लाख रुपये का, १९५८-५९ में लगभग २३ लाख रुपये का और १९५९-६० में २८ लाख रुपये का सम्पादित हुआ। उपरोक्त श्रमदान मूल्यांकन में वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी श्रमदान सम्मिलित नहीं है। यह प्रान्तीय रक्षा दल का कार्य था जो इस सरकार ने बिल्कुल चौपट कर दिया और आज प्रान्तीय रक्षा दल की इस विधेयक में यह सफाई नहीं की कि सारे प्रांतीय

[श्री लखी सिंह]

रक्षा दल को सम्मिलित कर रहे हैं या बड़े बड़े आफिसरों को ही सम्मिलित कर रहे हैं। यही नहीं, प्रान्तीय रक्षा दल ने रहीमाबाद जंगल काटने का महान् अभियान शुरू किया था। रहीमाबाद वह स्थान है जो लखनऊ और हरदोई की सीमा पर स्थित है। यहां एक छोटा सा स्टेशन है। वहां उस छोटे से स्टेशन पर उतरकर यदि कोई आज जा कर देखना चाहे तो देख सकता है कि उस स्थान पर ८ हजार एकड़ भूमि का सरकारी फार्म लहलहा रहा है और धीरे धीरे हरा भरा होता जा रहा है। यह प्रान्तीय रक्षा दल का कार्य है। इसलिये प्रान्तीय रक्षा दल को शामिल करो और कभी-कभी इस सोशलिस्ट पार्टी की सही नीति को माना करो। सोशलिस्ट पार्टी ही एक पार्टी है जो आपको सुझाव देती है और सही सुझाव ही नहीं, मैं आपको बताता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो जनाब, आप की रक्षा नहीं हो सकती थी।

समाजवादी पार्टी ने बताया कि एक अन्न सेना बनाओ, एक भूमि सेना बनाओ और भूमि सेना का संचालन कौन कर सकता है? भूमि का संचालन करने वाली यही सेना हो सकती है जो प्रान्तीय रक्षा दल था। अन्न पैदा करने वाली भूमि सेना बन जाय तो फिर हमको देशों से अनाज मंगाना न पड़े और हमारे देश में अन्न का उत्पादन बढ़े, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो। यह भूमि सेना की बात सोशलिस्ट पार्टी ने कही और बहुत जोर से कही, लेकिन यह सरकार न चेती और अब भी हम कह देना चाहते हैं कि यह दल कहीं अफसरों का दल ही न रह जाय, यह दल कहीं शहरों का दल ही न रह जाय। यह दल अगर जागृत होता, यह दल अगर साकार होता, स्वर्गीय माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के जमाने का, तो ये डकैतियां, चोरी, और कत्ल जो हो रहे हैं, जिनका रोज हल्ला मचता है और पुलिस मंत्री जी इसमें गड़बड़ा जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं और जवाब देते हैं तो तिरछा जवाब देते हैं, अगर प्रान्तीय रक्षा दल होता तो, फिर इस भ्रष्ट पुलिस से कोई आशा रखने की आवश्यकता न होती।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय लखीसिंह जी, जरा समय का ख्याल रखें।

श्री लखीसिंह--

मैं समय का ख्याल रखूंगा। आप घबरायें नहीं। शान्ति स्थापित हो जाती तो हमारी आशा पूरी होती। हम लोग सन् १९३६ में कहा करते थे कि जब स्वराज्य होगा तो घरों में ताला नहीं लगेगा और सुख की नींद सब लोग सोयेंगे। कोई चोर डकैत नहीं रहेगा। पर क्या हम इसको राम राज्य कह सकते हैं? राम राज्य में एक चोरी हुई थी और वह सीता की चोरी हुई थी। सीताहरण हुआ था, लेकिन एक चोरी के ऊपर सारी लंका का विध्वंस हो गया था। वह राम राज्य की चोरी थी। आज एक चोरी नहीं, आज एक कत्ल नहीं, रोजाना हो रहे हैं। अंग्रेजी वाला नाम मुझे ठीक नहीं लगता है। इसका नाम गृह रक्षा दल होना चाहिये। अगर यह गृह रक्षा दल गांव-गांव में सारे हिन्दुस्तान में बन जाय तो फिर वह हम सपना देखें लेंगे। इस भ्रष्ट पुलिस को बीच में न डालें। आज दारोगा लोग लाखों वाले हो गये जैसी कि गुड़ के समय में बात कही गई। माननीय मन्त्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं। हम माननीय मन्त्री जी से कहते हैं कि हमारी बात आप मानें तो हम दिखायें कि कितना अच्छा काम होता है। पुलिस में इसको डालने से कहीं यह छूत की बीमारी इन होमगार्ड्स को भी न लग जाय। इसलिये इसको पुलिस के साथ न जोड़ें।

अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कोई भी भूखा सिपाही काम नहीं कर सकता। भूखा सिपाही बेईमानी करता है। भूखा सिपाही रोटी के लिये खूंखारी करता है। अगर आपने यह दल बनाया और इसके लिये तनख्वाह न दी और हथियार नहीं दिये तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर आप अहिंसावादी हैं तो कमण्डल लें लें। विनोबा जी की तरह रहें। अगर फौज रखना है तो वह फौज रखें जिससे चीन और पाकिस्तान के छक्के छूटते रहें। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि सेना तो बनायें और सेना के बनाने पर निःशस्त्रीकरण की बात

करें। सेना के लिये शस्त्र होने चाहिये और वह शस्त्र होने चाहिये जिससे दुश्मन अपने घरों पर बैठे घबराते रहे और हिन्दुस्तान की तरफ, भारतमाता की तरफ आंख उठाकर भी न देख सकें। हम यह और निवेदन करेंगे कि सिपाही की और किसी भी सैनिक की तनख्वाह १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। बहुत बड़े अफसर की और बहुत बड़े सैनिक अफसर की तनख्वाह १ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। जब तक १०० और १ हजार का प्रबन्ध नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तभी वह गोली के सामने अपना सीना रख देता है और उसका परिवार बैठा देखता रहता है। वह वर्ग है जो दुश्मन को ललकारा करता है इसकी गवाही इतिहास देता है। उसने जर्मनों के छक्के छुड़ाये हैं। वह आज भी लड़ने के लिये तैयार है। उस वर्ग को ज्यादा से ज्यादा होम गार्ड में भर्ती किया जाय तभी इस देश की रक्षा हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे उसमें ठीक विकास हो और विद्वान् लोग इसको ठीक बनायें। यह लंगड़ा, लचर और लकवा मार विधेयक है।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक इस बिल का सम्बन्ध है, इसमें बहुत ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं है, लेकिन सिविल डिफेंस के लिये होमगार्डस् का संगठन हो रहा है। यह एक नया प्रश्न है और इसलिये इसकी पालिसी के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं। खुशी की बात है कि पी० आर० डी० के बारे में जो गलतफहमी थी उसे मन्त्री जी ने साफ कर दिया है। जहां तक होमगार्डस् का ताल्लुक है मेरा निजी विचार है कि इसका नाम बदल कर कुछ और रखा जाना चाहिये, क्योंकि यह बहुत अच्छी भावनायें पैदा नहीं करता। दूसरी लड़ाई में होम-गार्डस् का विकास हुआ और उनका कोई प्रेरणात्मक इतिहास नहीं है। उनसे ज्यादातर काम आजादी की लड़ाई को दमन करने का लिया गया। उसके ट्रेडीशन्स अच्छे नहीं हैं। नाम इसका गृह रक्षक दल हो या कुछ और, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि ट्रेडीशन्स अच्छे नहीं रहे हैं इसलिये यह नाम प्रेरणा नहीं देता। उदाहरण के लिये कंट्रोल सेंकिड वर्ल्डवार में आया और जनता उससे मतलब करप्शन का ही समझती है। करप्शन उससे जुड़ा हुआ है। तो उन परिस्थितियों में उसका अच्छा असर नहीं पड़ा है और इसलिये कोशिश होनी चाहिये कि इसका नाम बदल दिया जाय।

अब किस काम के लिये ये भरती किये जा रहे हैं? इनकी स्थापना का उद्देश्य है रक्षा की दूसरी पंक्ति बनाना, सिविल डिफेंस करना। इस पर भी काफी छानबीन की जरूरत है, क्योंकि इसका पुराना कंसेप्शन बदल रहा है। चीन की लड़ाई में कई नयी बातें हुईं। वहां का जो फौजी ढांचा है उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। उनका आर्गनाइजेशन और टेक्निक दूसरे हैं जब कि हमारी फौज की दूसरे और इसीलिये हमको पीछे हटना पड़ा। अभी तक सिविल डिफेंस का मतलब ट्रेंचेज खोदने का, आग बुझाने का और मुखबरी करने का था और यह काम होमगार्डस् के जिम्मे था। अब हमें इस कंसेप्शन को बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात निजी बात न समझी जाय। मैं समझता हूं कि अब सिविल डिफेंस पर अधिक थिंकिंग की जरूरत है और इसके लिये पुराने पुलिस आफिसर्स आउट आफ डेट हैं। उनमें विजन नहीं होता, उनके सोचने का ढंग दूसरा है और वे सिविल डिफेंस के लिये जनता को तैयार नहीं कर सकते। इसके लिये उनको टेक्निक बदलनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा काम रयूमर मांगरिंग को रोकना है। सिविलियन आबादी का नैतिक स्तर कैसे स्थिर रहे और उनमें अगर पीछे हमको झटका भी लगे तो उनको नैतिक कैसे बनाया जाय। मारेल उठाने के खिलाफ रयूमर मांगर्स कैसी-कैसी गलत खबर फैलाते हैं, लोगों में बेचैनी फैलाते हैं, उसको चेक करने के लिये सिविल डिफेंस के ऊपर किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाय अलावा कवायद वगैरह के, यह सब उसमें आता है। अगर सिविल डिफेंस वाले आदमी लोगों को नहीं समझा सकते हैं तो पापुलेशन में भगदड़ मच सकती है। इसलिये गम्भीरतापूर्वक हमें सोचना पड़ेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहाय]

कि मौजूदा सिविल डिफेंस का आधार क्या हो और जो उसका संगठन करे उनका दिमागी दृष्टिकोण क्या हो, उनमें लोगों और नवयुवकों को प्रेरणा देने की कोई तरबियत है या नहीं । उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर आये तो यहां काफी खंदकें खोदी गयीं, क्योंकि पुरानी सिविल डिफेंस की किताबों में था कि खंदकें खुदती हैं । आबादी जिन शहरों की ज्यादा होती है वहां ही सिविल डिफेंस की तैयारी करने की बात उन किताबों में थी, नतीजा यह हुआ कि जो शहर छांटे गये उनमें नजीबाद, कोटद्वार और ऋषिकेश का नाम ही नहीं था । जब पूछा गया तो बतलाया गया कि इनकी आबादी इतने हजार से कम है इसलिये यहां तैयारी नहीं होगी, हालांकि यही तीन शहर हैं जहां पर अगर चीनी हमला हो सकता है यही गेटवे हैं । तो इस तरह से हमारे रेजीमेंटेड आइडियाज हैं । इसलिये परसोनेल में कुछ ताजगी हो, दिमाग में और सोचने समझने में । जब आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें सेकेंड लाइन आफ डिफेंस बनाने जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि टैक्सपेयर के पैसे का सही उपयोग हो और एक सही रक्षा पंक्ति बन सके ।

सिविल डिफेंस का ताल्लुक दूसरी चीजों से भी है, जैसा कि अभी अन्न-आर्मी की बात कही गयी । लेबर कोर का बनना, इन सब चीजों को उसमें जोड़ना पड़ेगा । तो जहांतक पालिसी का सवाल है आपको सिविल डिफेंस की अप्रोच को ध्यान में रखना पड़ेगा । महज कवायद और पुराने ढंग की ट्रेनिंग आउट आफ डेट हो चुकी है । लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि खंदकों का खुदना इंगलैंड में आउट आफ डेट हो गया है, उन्होंने कहा कि यहां भी आउट आफ डेट है । पहले ट्रेंचेज खोदी गयीं, बाद को वह भी एक प्राब्लम बन गयीं । लोग उनमें टट्टी जाने लगे । एक हाइजनिक सवाल बन गया । इसलिये रूटीन कोई चीज नहीं होनी चाहिये, एक नया थाट, दृष्टिकोण और अप्रोच हमारे सामने होनी चाहिये । इसलिये पालिसी और परसोनेल को हम ध्यान में रखें तो ज्यादा से ज्यादा हम इस स्कीम से लाभ उठा सकेंगे ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक ले मैन की तरह से थोड़ा सा समय लेकर २/१ बात कहना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय में मेरा कोई दखल नहीं है । प्रदेश के भीतर जितने भी ज्यादा लोग हथियार बन्द होंगे उतना ही प्रदेश सुखी होगा और मजबूती के साथ देश की रक्षा कर सकेगा । कुछ दिन पहले हमारे यहां प्रान्तीय रक्षक दल बना था और उसके पीछे लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मुझे मिला । उसकी दो चार मीटिंग्स को मैंने ऐड्रेस भी किया था । पर मालूम नहीं बाद को उसमें क्या कठिनाइयां पड़ीं जिनके कारण इस संगठन को कमजोर हो जाना पड़ा ।

श्रीमन्, अब प्रान्तीय रक्षकदल का संगठन क्या हो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है । मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि प्रान्तीय रक्षकदल का स्थान हमारे इस संगठन में क्या हो, उसका क्या काम हो, इन सब बातों का निर्णय हमें जरूर पहले कर लेना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि होम गार्डस् के मानी में यह समझता हूं कि घर-घर की रक्षा करना उसका मतलब है । तो घर-घर में अगर रक्षा करने वाले इन्सान बन सकें तो यह बहुत अच्छी बात है । यह तभी हो सकता है कि जब निर्भय होकर घर-घर में लोग उसकी हिफाजत करने वाले बन जायं । मैं समझता हूं कि इसके लिये जरूरी यह है कि हर शरीफ आदमी को हथियार रखने का अधिकार होना चाहिये । उसकी नेकचलनी की जांच पुलिस को नहीं करनी चाहिये । अगर कोई सचमुच में नेकचलन आदमी है तो उसकी जांच नहीं होना चाहिये और आसानी से उसको हथियार रखने का लाइसेन्स मिल जाना चाहिये । हां, जो बदचलन लोग हों, जो थोड़े से ही हो सकते हैं, उनकी एक फेहरिस्त होनी चाहिये और उनकी जांच जरूर होनी चाहिये । जो नम्बर ८ के रजिस्टर में दर्ज होते हैं उनकी फेहरिस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो। मेरी राय में एक तो उनकी फेहरिस्त हो जो गांव-गांव में नेकचलन लोग हों, एक दूसरी फेहरिस्त उनकी हो जिनके बारे में संदेह हो। उनकी फेहरिस्त बना कर जिले का जो लाइसेंसिंग आफिसर हो उसके पास रखी जाय। जिस वक्त नेकचलन लोगों में से किसी की दरख्वास्त आये तो उनको लाइसेंस बिना किसी जांच के दे दिये जायं। अगर उनके अलावा किसी को लाइसेंस देना हो तो उसके चलन के बारे में जांच होनी चाहिये कि उसको लाइसेंस दिया जाय या नहीं।

श्रीमन्, यह मैं यहां इसलिये निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो मैं कमरे में जाकर भी कह सकता था कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा जब चीन का बड़ा तूफान मचा हुआ था। चोरों और बदमाशों को हथियारों की जरूरत नहीं है, उनके पास तो हैं। आजकल की डकैतियों में शायद ही कोई डकैती बिना बन्दूक के पड़ती हो। शरीफ आदमी बन्दूकों का मुकाबला कर नहीं पाता है। तो चीफ सेक्रेटरी को मैंने अपनी अकल के मुताबिक यह लिखा कि अपने कलेक्टरों को कह दीजिये कि हर गांव से १०, १५ आदमियों की फेहरिस्त मंगा लें जिनके ऊपर शुबहा न हो कि ये देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं या उनकी बन्दूक डकैती में जायगी, और जब दरख्वास्त पड़े तो उनको लाइसेंस दे दें, बिना तहकीकात किये। १,५०० रुपये में बन्दूक मिलती है जो कि रिपोर्ट कराने में भी खर्च हो जाता है। उससे बचाने की बात मैं कह रहा हूं। होता यह है कि डी० एम० लिखता है—एस० डी० एम० टू रिपोर्ट, एस० डी० एम० लिखता है तहसीलदार टू रिपोर्ट, तहसीलदार लिखता है कानूनगो टू रिपोर्ट, कानूनगो लिखता है कि पटवारी टू रिपोर्ट, और दारोगा भी उसमें आ जाता है। हरगोविन्द सिंह जी ३ वर्ष तो मिनिस्टर रहेंगे ही, हमारे रोकने से वह रुक नहीं सकते हैं। हमारा उग्रसेन जी का तय हो गया है कि जब बहुमत में होंगे तभी उधर जावेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस तीन साल की अवधि में मन्त्री जी ऐसा करदें कि हर गांव में ५, ७ भले आदमियों के पास बन्दूक हो जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

चीफ सेक्रेटरी का जवाब आया?

श्री गेंदासिंह—

उनका बूढ़े की तरह से जवाब था, वह पुराने आदमी हैं। वह बहुत खराब था। उसे जाने दीजिये।

मैं मन्त्री जी को इत्मीनान दिलाता हूं कि जिस समय हर गांव में ३, ४ आदमियों के पास बन्दूक हो जायगी तो डकैतियों की संख्या बहुत कम हो जायगी और हो सकता है कि डकैतियां बिल्कुल न हों। कांग्रेस का संगठन आज १५ वर्ष राज्य करने के बाद भी गांव-गांव में बना हुआ है और उसे यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि गांव वाले बन्दूक से उसे नुकसान पहुंचावेंगे। अगर ऐसी आशंका सरकार करती है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि २ वर्ष के भीतर कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ३, ४ बन्दूकें न हों।

श्री नेकराम शर्मा—

२ साल नहीं, १ साल में होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—

१ साल में हो जाय तो और भी अच्छा है।

इन बातों को कहते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। अगर हमको इस मुल्क में सीधे खड़े रहना है तो हमें जवानों की एक पंक्ति तैयार करनी चाहिये। हम खेती और पानी की तरफ भी उसे लगा सकते हैं। उस शक्ति का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी दरख्वास्त पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वक्ता महोदय ने बिल का समर्थन किया है या विरोध ?

श्री गेंदासिंह—

मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव बिल का सोलह आना विरोध नहीं है। मैंने बिल का समर्थन किया है।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गेंदासिंह जी ने इस बिल का स्वागत और समर्थन करते हुए यह कहा है कि २, ३ वर्ष में ऐसी व्यवस्था हो जाती कि प्रत्येक गांव में कम से कम ५ व्यक्तियों के पास बन्दूक हो जाती जिससे वे गांव की रक्षा कर सकते। उसके साथ मेरा यह भी संशोधन है कि होम गार्ड विधेयक का यह स्पष्ट आबजैक्टिव होना चाहिये कि हमारे प्रदेश में २ ३, वर्ष में किसी भी शहर या गांव में ऐसा कोई भी नवयुवक नहीं रहना चाहिये जिसे कुछ न कुछ मिलीटरी ट्रेनिंग न मिल गई हो। उनको मार्च कराना, बन्दूक चलाना आ गया हो और जैसे डिसिपलिन्ड सोलजर्स रहते हैं वैसी ट्रेनिंग उनको न दी गई हो। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के आबजैक्ट्स में यह रख दिया जाता। लेकिन चूंकि सारा विधेयक कुछ बननेवाले रूल्स और रेग्यूलेशन्स के आधार पर निर्धारित है, ऐसी स्थिति में इन सब चीजों की व्यवस्था की जा सकती है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि माननीय गृह मन्त्री जी ने जब इस विधेयक को सदन के सामने उपस्थित किया, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था, एक छोटा सा वक्तव्य दिया। जिस पर माननीय रक्षपाल सिंह जी ने उसका विरोध किया और कहा कि इस विधेयक को क्यों रखा जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण मन्त्री जी की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन हमारी समझ में यह चीज पूर्णरूप से वैज्ञानिक थी। होम गार्ड ऐसी संस्था है, जिसका विदेशों में चाहे जो इतिहास रहा हो, हमारे देश और प्रदेश में इसकी कोई परम्परा नहीं रही है। तब इस संस्था के निर्माण की अवस्था में अगर उन्होंने अपने कोई विचार नहीं रखे और माननीय सदस्यों को अपने-अपने रचनात्मक सुझाव देने का अवसर दिया तो ठीक ही किया। मेरा ऐसा विचार है कि इस विधेयक में १५ धाराओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल तीन धाराओं की आवश्यकता थी। पहली प्रीलिमिनरी, दूसरी रूल मेकिंग पावर की और तीसरी मूल धारा कि इस प्रदेश में होम गार्डस् की स्थापना की जा रही है जो सरकार द्वारा बनाये गये नियमों पर आधारित होगा।

जब मैं यह बात कहता हूं तो इसके पीछे इतिहास भी है। इंगलैंड में होमगार्डस् की स्थापना सन् १९४० में हुई, उस समय उसके लिये वहां कोई विधेयक नहीं था। केवल देश के डिफेंस के नाम पर उसको स्थापित कर दिया गया था और १९४०–४५ के बीच में एक बड़े भारी होम गार्डस् संगठन की स्थापना हो गयी थी और लड़ाई के जमाने में इसके द्वारा वहां के नागरिकों की इस संस्था ने बड़ी सेवा की। हालांकि उसके लिये इंगलैंड के पास कोई ऐक्ट नहीं था। होम गार्डस् का पूरा संगठन बन जाने के ११ वर्ष बाद १९५१ में यू० पी० में होम गार्डस् ऐक्ट आया। उसके बाद ४ क्लाज का ऐक्ट बनाया गया और उसमें भी यह कहा गया कि इसके द्वारा जो होम गार्डस् बनाये गये हैं, उनको रेग्युलेराइज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहां भी कोई बहुत बड़ा विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी।

आज हमारे देश की स्थिति यह है कि हमें एक बहुत बड़े दुश्मन से मुकाबला करना पड़ रहा है। चीन का एक अजीब सैनिक संगठन है। एक प्रकार से सारे देश के सभी एबिल बाडीड स्त्री-पुरुष सैनिक हैं। वहां प्रत्येक कम्यून में खेती को एक जगह कर दिया गय है। लोग उसमें श्रमिक की हैसियत से काम करते हैं और उसके बाद ३–४ घंटे मिलिटरी परेड करते हैं। इस प्रकार ६० करोड़ की आबादी में से अगर ३० करोड़ बूढ़े और बच्चे निकाल दिये जायं तो ३० करोड़ एबिल बाडीड स्त्री-पुरुष के, चाहे वे खेतों में काम करने वाले हों या कारखानों में,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलिटरी ट्रेनिंग पाये होने की आशंका है। इसीलिये जब चीन किसी देश पर आक्रमण करता है तो चींटी के दल की तरह उसकी सेना चलती है। ऐसे क्रूर से हमारा मुकाबला है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में अवश्य ही कोई ऐसा संगठन होना चाहिये जो प्रत्येक एबिल बाडीड स्त्री-पुरुष को मिलिटरी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और बन्दूक चलाने की पूर्ण रूप से शिक्षा दे सके। यह १५ सेक्शन का विधेयक मन्त्री जी ने हम लोगों के सामने रखा है, लेकिन फिर भी इस में एक बड़ी कमी रह गई है जिसकी ओर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा। आप देखें कि इसमें जो शैड्यूल दिया गया है, उसमें दिया हुआ है "सन-आफ" यानी जो लोग फार्म भरेंगे वह केवल पुरुष ही होंगे, इस समय चाहे वह केवल पुरुषों के लिये ही कर रहे हों, लेकिन आगे चलकर जब स्त्रियों को भी वह इसमें सम्मिलित करना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। इसमें ऐसी व्यवस्था हो जाय कि सन-आफ या डाटर-आफ दोनों ही हो। यदि वह इंगलैंड का होमगार्ड ऐक्ट को देखने की कृपा करें तो उसमें लिखा है कि एवरी पर्सन, मेन आर वुमेन हु वालंटीयरीली आफर्स हिम सेल्फ विल बी मेम्बर आफ होमगार्ड अर्थात् यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने को होमगार्ड के लिये स्वविवेक से आफर करता है तो वह होमगार्ड का मेम्बर बन सकता है। हमारे देश में स्त्रियों की भी एक ऐतिहासिक परम्परा रही है और यदि समय आये तो ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में रहनी चाहिये कि मुहल्लों और गांवों में स्त्रियां भी इसमें भाग ले सकें और उस हालत में शैड्यूल में जहां सन-आफ लिखा है डाटर-आफ भी रख दिया जाय।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में लिखा है कि जो होमगार्ड के सदस्य होंगे उनको एक फार्म भरना होगा और उस में सन-आफ लिखा है डाटर-आफ नहीं है। अगर इस अर्थ में शैड्यूल संशोधित कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि २–३ वर्ष में वह एक ऐसा संगठन हो जायगा जिसमें प्रदेश के नवयुवक फौजी प्रशिक्षण प्राप्त कर के उपयोगी बन सकेंगे।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण आरम्भ करूं मैं पत्रकारों को बताना चाहता हूं कि वह लोग अखबार में मेरे नाम के आगे (कम्युनिस्ट) लिख देते हैं, लेकिन मैं माननीय कम्युनिस्ट भाइयों के साथ सदन में बैठता अवश्य हूं, परन्तु मेरी विचारधारा उनसे बिल्कुल विपरीत है। मैं स्वतन्त्र पार्टी का सदस्य हूं और प्रत्येक बार मेरे भाषण के बाद मेरे नाम के आगे कम्युनिस्ट लिखा गया। आगे के लिये वह इस बात को कृपा कर नोट कर लें। सारे पेपर्स में यही निकलता है। मुझे स्वतन्त्र पार्टी का सदस्य लिखा करें।

श्रीमन्, अभी माननीय लखीसिंह जी ने जो बात सदन के सामने रखी कि राम राज्य में केवल एक ही चोरी हुई थी और उस के ही कारण सारी लंका का विध्वंस हो गया, लेकिन मैं बता दूं कि वह तो राम राज्य था अब तो कामराज है, उसमें और इसमें बड़ा अन्तर है। आज संकटकालीन समय में हमारी सेकिन्ड लाइन आफ डिफेंस बनाने के लिये जो यह होमगार्ड्स बिल आया है यह बहुत आवश्यक है। यह सही है कि इसके द्वारा जनता में शांति व्यवस्था बनी रहेगी जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में बताया भी गया है। परन्तु इस संगठन में जो खराबी हो रही है वह यह है कि इसमें ऐसे लोग आ गये हैं कि जो समाज के लिये अपेक्षित नहीं हैं। इसमें मिलिटरी के रिटायर्ड और ट्रेन्ड लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिये। सरकार की ओर से मनमानी हो रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से नियुक्तियां हो रही हैं। जैसा अभी हाल का केस है कि यहां पर सीतापुर जिले के श्री पी० पी० सिंह मिलिटरी के रिटायर्ड मेजर थे उनको सरकार ने बिना उनकी अनुमति के चुन लिया था। पर न मालूम किस कारण से जब माननीय गृह मन्त्री वहां दौरे पर गये तो उनको उस स्थान से पिछले महीने की ८ तारीख को अलग किया गया। सरकार इसको ठीक तरह से नहीं चलाना चाहती केवल दलबन्दी को मजबूत करना है। अभी-अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि यह विचार धारा हमारी पुराने लोगों की आउट आफ डेट हो गई है। ठीक ही कहा है और शायद उन्होंने अपना हाथ भी शासन से इसीलिये खींच लिया है कि उनकी विचारधारा अवस्थानुसार बदली हुई है।

[श्री विजय सिंह]

इसलिये मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ४० वर्ष से अधिक उम्र वाले सब आउट आफ डेट हो रहे हैं। नये विचारों की आवश्यकता है और नये लोगों को आना चाहिये। श्रीमन्, आप भी उपरोक्त कैटेगरी में आते हैं। यह भी कहा गया कि होम गार्ड के साथ पुरानी नीतियां, रीतियां हैं, इसीलिये यह बिल बदनाम है। अतः नाम बदल कर लाया जाय। केन्द्रीय सरकार से Grant प्राप्त करने के कारण इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं कि जब होम गार्ड्स का ही संगठन होगा तभी केन्द्र से सहायता देंगे। सरकार ने इसको पार्टी के मजबूत करने के लिये एक आधार बनाया है, पोलिटिकल करप्शन पैदा किया गया है। हर जगह से शिकायतें हैं कि ऐसे लोग भरती किये गये हैं जिनके चरित्र का वैरीफिकेशन नहीं हुआ है। अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि बन्दूकें उन्हीं को दें जिनका चरित्र अच्छा हो। जब बन्दूकों के लिये चरित्र आवश्यक है तो Home guards के नौजवानों का चरित्र अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। भरती का कोई ोटिफिकेशन नहीं किया और न समाचार पत्रों में प्रचार कराया और न कैरेक्टर का वैरीफिकेशन ही भर्ती के बाद हुआ है। ऐसे भी लोग भर्ती हो गये हैं जिनको जुए चोरी में, तथा अन्य जरायमों में सजा हुई है। जिलाधीश ने ऐसे लोगों को मनमाने ढंग से कम्पनी कमान्डर बना दिया है जो राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हैं, अधिकारी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये था और उनके चालचलन की जांच भी अवश्य होनी चाहिये। जो लोग गलत व मनमाने ढंग पर पार्टी आधार पर आ गये हैं उनके चरित्र का अब भी वैरिफिकेशन होना चाहिये अन्यथा जैसे पुलिस संगठन बदनाम है उसी तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा यह होम गार्ड संगठन बदनाम हो जायगा। हम चाहते हैं मन्त्री जी वैरिफिकेशन जरूर करायेंगे और जो लोग पार्टी की आड़ में संगठन में घुस गये हैं उनको निकाल बाहर करेंगे। तभी यह सेकेन्ड लाइन आफ डिफेंस बन सकती है, अन्यथा नहीं। अगर पोलीटिकल करप्शन इसमें जबरन लाया गया है तो मैं इस संगठन का विरोध करूंगा।

मान्यवर, हरएक ब्लाक में दो, दो कम्पनियों को रखा है जिसमें २२० आदमियों की ट्रेनिंग होती है। यह उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ है केवल कागजी बात है। अगर इन आदमियों को ट्रेनिंग जिले के एक स्थान पर ही दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी इसमें गांव के लोग कम आये हैं उसका कारण यह है कि उनको पता नहीं चला और अभी पूर्ण प्रचार नहीं हुआ। शायद पेपर में दिखा दिया गया हो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में गांवों के लोग नहीं पहुंचे हैं। इसलिये मन्त्री जी इसमें गांव के अच्छे लोग लें जिसके लिये जगह-जगह प्रचार हो। और अधिक प्रचार कराने की जरूरत है। तो जो लोग लिये जायं उनका चरित्र देख लिया जाय। अच्छे आदमियों का आना ही जरूरी है अन्यथा इससे बड़ी हानि की भी संभावना हो सकती है। सरकार बहुत लम्बा खर्चा कर रही है, रेकरिंग और नान-रेकरिंग मिला कर १ करोड़ ८२ लाख के ऊपर खर्चा है। इसलिये ऐसा इन्तजाम किया जाय जिससे इस रुपये का मिसयूज न हो पाये और खास कर इमर्जेन्सी को ध्यान में रख कर इसका पूरा उपयोग किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सरकार इसको अच्छे रूप में सामने लाये जिससे जनता में मनोबल बढ़े राष्ट्र हित हो और प्रदेश का गौरव बढ़े। इसको राजनीतिक आधार बनाकर पार्टी को लाभ न पहुंचाया जाय।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई दूं। यह विधेयक कितना आवश्यक है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी आवश्यकता को प्रत्येक सदस्य अनुभव करता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है कि गांव की हालत ऐसी हो गयी है कि एक तरह से हर एक ग्रामवासी अपने को असुरक्षित समझता है। यदि ५–१० डाकू भी किसी गांव में आ जाते हैं और वे हवाई फायर करना आरम्भ कर देते है क्योंकि उनके पास हवाई फायर वाली बन्दूकें ही होती हैं, तो उस गांव का

हर आदमी अपने अपने घर में घुस जाता है, किवाड़ें बन्द कर लेता है और डाकू जितना धन मिलता है लूट कर आराम से चले जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कैसे इसका निकारण करें? यह विधेयक इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। जैसा मैंने निवेदन किया है, इसलिये गृह मंत्री जी बधाई के पात्र है। इसमें एक बात खटकने वाली थी, जिसे सदन का हर एक माननीय सदस्य महसूस करता था, इसमें प्रान्तीय रक्षक-दल के एकीकरण का जो प्रश्न है, उसका विरोध, मैं समझता हूं, करीब-करीब प्रत्येक सदस्य यहां करता है। मैं भी उसका विरोधी था, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि वे इसको डिलीट कर रहे हैं, उस धारा को विधेयक से निकाल रहे हैं। इसलिये अब आवश्यकता नहीं है कि प्रान्तीय दल के संबंध में कुछ बात कही जाय। एक बात मैं और निवेदन करुंगा, माननीय उपाध्यक्ष, आपकी आज्ञा से कि इसका नाम जो होमगार्ड्स रखा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। होमगार्ड के स्थान पर राष्ट्रीय रक्षक दल "या केवल रक्षक दल" रखा जा सकता है। "होम गार्ड्स" शब्द से तो मालूम होता है जैसे कि हमारा साहित्य इतना तंग है कि इसमें इतनी कमी है कि "होम गार्ड्स" के स्थान पर हम कोई शब्द नहीं रख सकते। अतः मेरा अनुरोध है, माननीय मंत्री जी से कि इन शब्दों को हटा दिया जाय। मैं जानता हूं और सरकार की कठिनाई को भी समझता हूं। हो सकता है, भारतीय सरकार इसको पसन्द न करे, पर मेरा यह अनुरोध होगा कि माननीय गृह मंत्री "होम गार्ड" के स्थान पर कोई भी दूसरा शब्द जो भी वे उपयुक्त समझें, रख दें और "होम गार्ड" शब्द को निकाल दें।

इस विधेयक का नाम "रक्षक दल" रखा जा सकता है। हमारे मित्रों ने कहा कि आप प्रोपोज कर दें तो इसके लिये मैं इसका नाम "रक्षक दल" प्रोपोज करता हूं। यह काफी कौम्प्रिहेन्सिव है। इसके अन्दर वे भाव भी आ सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी की जो राय है मैं उसका समर्थन करता हूं उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक गांव में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ५-६ व्यक्तियों को बन्दूक का लाइसेन्स दे दे। ५ न सही तो भी कुछ न कुछ व्यक्तियों को बन्दूक का लाईसेन्स हर गांव में दिये जाने चाहिए। लाइसेन्स कैसे आप दें इसके लिये भी उन्होंने एक सुझाव प्रस्तुत किया है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। आपके पास कोई लिस्ट होनी चाहिये, ताकि जो प्रार्थना पत्र आते है उनके संबंध में तत्काल निर्णय हो सके, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जांच होने में बड़ी परेशानी होती है और भ्रष्टाचार भी उसमें बहुत होता है। इसलिये मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे हर गांव में कुछ न कुछ बन्दूक चलाने वाले रहें, ताकि गांव की रक्षा में वे हाथ बटा सकें। हर गांव में ऐसा दल तैयार होना चाहिये, जिसे कोई नाम दीजिये, ग्राम रक्षक दल, उनका नामकरण कीजिये या और कुछ, लेकिन ऐसा दल अवश्य होना चाहिये जो फसलों की चोरी से रक्षा कर सके, फसलों की चोरी गांवों में बहुत होती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर दी जाय।

कृष्णानन्द जी की राय से मैं सहमत हूं कि दूसरी रक्षा पंक्ति हमें तैयार करनी चाहिये। उन्होंने चीन की बात बतलाई। चीन ने सचमुच इतनी बड़ी सेना तैयार की है और वे उसका समय-समय पर दुरुपयोग करते हैं। इसका उन्होंने एक ही तरीका अपनाया है कि हर गांव में उन्होंने हर बालिग को मिलिटरी ट्रेनिंग दी है। मेरा मंत्रीजी से अनुरोध होगा कि हर गांव में हर बालिग चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उसको मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाय। प्रस्तुत विधेयक में कोई न कोई ऐसा प्राविधान होना चाहिये जिसके द्वारा हम हर नवजवान को मिलिटरी ट्रेनिंग दे सकें, जिससे वे समय पर अपनी तथा देश की रक्षा कर सकें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति हो जायगी जिससे प्रेरित होकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

माननीय कृष्णानन्द जी ने 'सन आफ' वाली बात कही। यहां आत्मज शब्द का प्रयोग है जिसमें स्त्री, पुरुष दोनों आ जायेंगे। चूंकि इस पर बहुत से साथी बोलना चाहते हैं सबको समय मिलना चाहिये। इसलिये मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो धारा १५ की उपधारा (सी) को निकालने की स्वीकृति दी है यदि वह निकालते और यह बात निश्चित कर देते कि प्रान्तीय रक्षक दल के जितने भी लोग इस समय नौकरियों में नहीं है उनको होम गार्ड्स में ले लिया जायगा और उनका वही वेतन-क्रम होगा, तो प्रान्तीय रक्षक दल का भी कल्याण होता लेकिन वह न हो सका। उसका कारण यह है कि आजकल जो होमगार्ड्स के कमान्डेन्ट हैं वह किसी समय पुलिस के आई० जी० थे और उन्होंने हर समय पी० आर० डी० को समाप्त करने की चेष्टा की थी। उनके मन में यह शक था कि कहीं उनका पद न समाप्त कर दिया जाय या हमारा वेतन-क्रम कम न कर दिया जाय। इसलिये उन्होंने इस धारा का विरोध किया है। अगर उन्होंने उस धारा को रखा होता तो प्रान्तीय रक्षक दल हमारा बड़ा सहायक हो सकता था होमगार्ड्स की ट्रेनिंग में, क्योंकि वे काफी ट्रेन्ड लोग होते।

इसके अलावा बड़े बड़े नगरों में जहां ४–५ और ५, ५ बटालियन्स हैं आज उनका एक कमान्डेन्ट जनरल है और डिवीजन इन्चार्ज है अगर सभी बटालियन्स का एक इन्चार्ज नियुक्त कर देते तो सभी बटालियन्स के कोआर्डिनेशन करने में बड़ी आसानी होती। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अपने प्रान्त के जो ८ बड़े नगर हैं उनमें हम एक सिटी कमांडेन्ट नियुक्त करें जो उनमें कोआर्डिनेशन कर सके। आपातकालीन समय के लिये हम दूसरी रक्षा पंक्ति खड़ा कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन होना चाहिये। १५ दिन की ट्रेनिंग बराबर होती रहे, परेड होती रहे, शहरों में तो अनुशासन बराबर बना रहेगा अन्यथा अनुशासन कायम नहीं रह सकता। इसलिये देहातों में महीने भर और शहरों में १५ दिन में या ७ दिन में एक ट्रेनिंग होनी चाहिये और उसके लिये भत्ता दिया जाना चाहिये।

नाम बदलने की बात बहुत आवश्यक है क्योंकि सिविक गार्ड्स का इतिहास हमारे सामने है। कोई यूनिफार्म का प्राविजन अभी नहीं है, उसका प्राविजन होना चाहिये और होम गार्ड्स के लिये जर्सी का कोई प्राविजन नहीं है। आफिसर्स को वर्दी का भत्ता दिया जाना चाहिये। सब लोगों को भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन प्लाटून कमान्डर को कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है लिहाजा इसका भी प्राविजन होना चाहिये।

प्रत्येक जिले में एक जीप का भी इन्तजाम होना चाहिये जिससे दौड़ भाग हो सके और काम हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने दो दिन पहले एक वक्तव्य दिया है। उसमें स्पष्ट तरीके से यह कहा है कि चीन रजामन्दी से आक्यूपाइड टेरिटरी नहीं छोड़ेगा, उससे उसे लेना होगा। इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखकर उत्तर प्रदेश को सेकिंड लाइन आफ डिफेन्स आर्गनाइज करना चाहिये। मेरा अपना विचार है कि प्रधान मंत्री के भाषण पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। मेरा खयाल है कि चीन व पाकिस्तान दोनों से जबरन ही वह जमीन खाली करायी जायगी, जिस पर दोनों ने कब्जा कर रखा है। प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का हिन्दुस्तान स्वागत करता है कि हमारी खोई हुई जमीन जब तक वापस नहीं मिलती है तब तक देश चैन नहीं लेगा। इस दृष्टिकोण को नजर में रख कर सैकिंड लाइफ आफ डिफेन्स के लिये लाखों नौजवानों को तैयार करना होगा। डेढ़ लाख नौजवान होम गार्ड्स की शक्ल में हैं, उनसे ही सैकिंड लाइन आफ डिफेन्स नहीं बन सकेगी। २० लाख नौजवान प्रान्तीय रक्षक दल के भी हैं। उनको लेकर साढ़े २१ लाख की फौज बन जाती है जिसे हम सिविल डिफेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइसेन्स होल्डर्स हैं जिनका इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। लाइसेन्स दिये गये हैं ग्राम रक्षा के लिये, देश रक्षा के लिये और आत्म रक्षा के लिये। मेरी यह तजवीज है कि उत्तर प्रदेश के लाइसेन्सदारों

की ट्रेनिंग का भी इन्तजाम होना चाहिये। जिनकी उम्र ज्यादा हो गयी है उनको छांट दीजिये लेकिन १८ साल से ४५ साल की उम्र के हर नौजवान को होम गार्ड बना देना अत्यन्त आवश्यक है। हर शख्स पैसा नहीं मांगेगा। जिनके हृदयों में देश रक्षा की लगन है वे आपसे पैसा नहीं मांगेंगे।

माननीय कृष्णानन्द राय जी की इस तजवीज को कि औरतों को भी होम गार्ड्स में लीजिये मैं समझ नहीं पाता। वह असेम्बली, कौंसिल या राज्य सभा नहीं है। वहां गोली का मुकाबला करना पड़ेगा और गोली का मुकाबला माननीय कृष्णानन्द राय जी औरतों से करायें मैं इसके विरोध में हूं। जो औरतों का काम है वह उन्होंने किया। चीन के एग्रेशन के वक्त वे सामने आयीं, उन्होंने सिपाहियों की मदद की। अब आप उनको बन्दूक न पकड़ाइये। इस देश और प्रदेश के करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो देश के लिये बलिदान होने के लिये तैयार हैं। मैं कहता हूं कि फौज जितनी आपकी है वह बहुत नाकाफी है। १५ करोड़ नौजवानों की फौज चीन से मुकाबला करने के लिये खड़ी करनी पड़ेगी चाहे वह रेगुलर आर्मी हो, आग्जिलरी फोर्स हो, प्रान्तीय रक्षा दल हो या सिविल डिफेन्स हो। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए १ करोड़ ८२ लाख की जगह अगर आप १५-२० करोड़ सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स को आर्गेनाइज करने के लिये खर्चा करें तो वह ज्यादा नहीं है। डेढ़ लाख आपके होम गार्डस हैं, ठीक है। सेक्शन १५ से क्लाज (सी) जो एंटीग्रेशन, ऐबसार्प्शन का है उसको आपने निकाल दिया, स्वागत है। पी० आर० डी० का कमाडेन्ट जनरल अलग, होम गार्ड्स का अलग। उनकी १५-२० लाख की संख्या अलग और इस डेढ़ लाख का आप अलग इन्तजाम कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रधान मंत्री के वक्तव्य के आधार पर सिविल डिफेन्स की तैयारी करें और तेजी से कदम उठायें। बहुत सुस्ती है हममें और हमारे आर्गेनाइजेशन में। आज विधेयक पास होगा, दो, तीन साल में आर्गेनाइजेशन खड़ा होगा। अगर जनवरी में सीमा पर गोली चलने लगी और चीन ने हमला कर दिया तो सारा काम कैसे आगे बढ़ा पायेंगे, यह सब बड़ा खतरा है। इसलिये तैयारी कीजिये, फौरन कीजिये, कल से कीजिये, रात से कीजिये। माननीय प्रधान मंत्री ने जो कहा है उसको अमली शक्ल देनी है और चीन और पाकिस्तान से जबरन जो हमारी खोयी हुई जमीन है उसे वापस लेना है। उसके लिये हमें कुरबानी करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा देश और प्रदेश को।

अब मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सब को मिल कर एक राय से इसके ऊपर निर्णय करना पड़ेगा कि सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स में कितना जीवन और जागृति पैदा हो।

श्री नेकराम शर्मा—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि वे प्रदेश के रक्षा दल को होम गार्ड्स से नहीं मिलायेंगे। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को आप देखें तो उसमें गृह मंत्री जी ने लिखा है कि भारत सरकार की सलाह और संकट-कालीन अवस्था देश में आ जाने के कारण हमने होम गार्ड्स की स्थापना की। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि और प्रदेशों में प्रदेशीय रक्षा दल नहीं थे। तो हो सकता है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के दिमाग में यह बात आयी हो क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था उस समय होम गार्ड्स की रचना की गई थी और १९४७-४८ में इस ऐक्ट को पी० आर० डी० ऐक्ट से रिपील किया। भारत सरकार को पता न हो कि उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक रक्षा दल है। इसलिये गृह मंत्री जी को लिख देना चाहिये था कि हमारे यहां आलरेडी प्रादेशिक रक्षा दल है। इसके प्रिएम्बिल को देखिये इसके एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स को मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि

"Whereas it is expedient to provide for the constitution of a force known as th United Provinces Rakshak Dal for the preservation of public peace, training of men in the use of arms to inculcate self-help and discipline and

[श्री नेकराम शर्मा]

protection of the life of the community and property within the United Provinces."

श्रीमन्, इसी प्रकार के होम गार्ड्स के एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स हैं। जब दोनों के एम्स एन्ड आब्जेक्टस एक ही हैं तो फिर इनको अलग-अलग रखने की क्या आवश्यकता थी। श्रीमन्, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन आफ आर्गेनाइजेशन्स नहीं होना चाहिये। हमारे यहां एन० सी० सी०, एन० सी० सी० (आर), पी०ए० सी० और पी० आर० डी० हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी क्या आवश्यकता थी। सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में होम गार्ड्स की पुरानी तस्वीर थी इसलिये इमर्जेंसी में उन्होंने इसको रख दिया। पी० आर० डी० में ही भर्ती कर सकते थे। गृह मंत्री जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उनको मालूम होगा कि इस रक्षा दल ने कितने अच्छे काम किये और ब्यूरोक्रेसी ने इसको तोड़ने की बात कही तो माननीय स्वर्गीय पंत जी और संपूर्णानन्द जी ने विरोध किया था। एक दफा इसको बजट से निकाल दिया था लेकिन फिर से रखा गया।

इसलिये इसकी बड़ी महत्ता है। जे० पी० मिश्रा जी ने जैसा कहा है कि चीनियों से अपनी भूमि वापस लेने में लड़ाई होगी और पाकिस्तान से भी युद्ध हो सकता है। लेकिन जिस तरह से होम गार्ड्स को दाखिल कर रहे हैं वह यह काम नहीं कर सकते हैं। यह तो किसान का लड़का ही है जो मैदान में भी लड़ेगा और शहर तथा गांव की रक्षा भी करेगा। आप इसको पुलिस के हाथ से बचाइये। माननीय लहरी जी ऐज आई० जी० बहुत विद्वान रहे हैं और जैसी उनकी भावना रही है, वह संकट के समय में भी पुलिस के जैसे ही कार्य करेंगे। पंजाब में मुख्य मंत्री ने होम गार्ड्स का काम रिटायर्ड मिलिटरी आफिसर्स के हाथ में रखा है उसी तरह से यदि आप ईमानदारी से देश की रक्षा करना चाहते हैं और संकट के समय शत्रुओं से और फिफ्थ कालम से देश की रक्षा करना चाहते हैं तो इस संगठन को रिटायर्ड मिलिटरी आफिसर्स को देना चाहिये। ऐसा निर्णय भी हुआ था लेकिन फिर वही पुराना तरीका अख्तियार किया जा रहा है। अगर रिटायर्ड आई० जी० आयंगे तो इसका संचालन करेंगे तो उसी तरह से करेंगे। पुलिस की तीन शाखायें हैं। सी० आई० डी०, पी० ए० सी० और सिविल पुलिस। सी० आई० डी०, और पी० ए० सी० की बहुत प्रशंसा की जाती है लेकिन सिविल पुलिस की मुखालफत होती है। श्रीमन्, इससे इसका जो मकसद और उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पावेगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मिलिटरी के रिटायर्ड आफिसर्स काफी हैं, मैं नाम भी दे सकता हूं, पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज आफर कीं। अगर माननीय गृह मंत्री तैयार हों तो बहुत सी अर्जियां आ सकती हैं। पुलिस से इस संगठन को बचाएं चाहे पुलिस के रिटायर्ड आफिसर्स हों या मौजूदा आफिसर्स हों।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि होम गार्ड्स और पी० आर० डी० सब अलग हो जायं। हर एक का कमाडेन्ट अलग हो और रेस्पांसिबिल हो मिनिस्टर को। अगर आई० जी० को रेस्पांसिबिल कर दिया तो जो हालत आई० जी० साहब ने सिविल पुलिस की कर रखी है वही इसकी भी होगी। इसलिये माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि पी०आर०डी०और होमगार्ड्स की डाइरेक्ट रेस्पांसिबिलिटी वह लें उनके आफिसर्स आपके प्रति रेस्पांसिबिल हों। जहां तक होम गार्ड्स नाम का संबंध है होम गार्ड्स के पीछे बहुत दुखदायी स्मृतियां हैं। इस नाम को अगर आप बदल दें तो बड़ा अच्छा होगा। माननीय गृह मंत्री जेल गये हैं। उनका होम गार्ड्स से काफी मन मुटाव रहा होगा। उसी नाम को फिर ले आएं कुछ जंचता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही संगठन रहे तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को लिख सकते हैं हमारे यहां प्रान्तीय रक्षक दल है इसलिये प्रान्तीय रक्षक दल के नाम से चलेगा। उसी के नाम से शहरों और देहातों में संगठन होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जिलों में जायं और देखें कि हमारा सिविल डिफेन्स की कहां तक तैयारी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उनका स्टाफ होना चाहिये, उनको तनख्वाहें मिलनी चाहिये। यह तो दो घंटे की ट्रेनिंग होगी। आप को ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिये। चीन की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमला करने की। मेरा निश्चित मत है

कि जो इंटरनेशनल स्थिति है उसमें चीन हिम्मत नहीं करेगा हमला करने की। जहां तक पाकिस्तान से भय की बात है पाकिस्तान भी समझता है कि हिन्दुस्तान ऐसा देश है कि उसकी तरफ एक दम आंख नहीं उठाना चाहिए, बहुत विशाल देश है, विशाल जन संख्या है। लेकिन सब कुछ होते हुए कोई भी संगठन तब तक अच्छी तरह कार्य नहीं कर पायेगा जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी और वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता लें जिनका फौज से संबंध रहा हो। वह उचित ढंग से कार्य करेंगे। जैसा माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि आज ट्रेंचेज खुदी हुई बेकार पड़ी हुई हैं। तो आजकल जो नये तरीके से अच्छी तरह से अवगत हों ऐसे व्यक्तियों को आपको इस विभाग में लेना चाहिये और पुलिस विभाग के जो लोग हैं उनको पुलिस विभाग में वापस कर देना चाहिये। तो अन्तिम निवेदन मेरा यह है कि फौज वालों को आप लें, उनको बुलायें, वह काफी मिल जायेंगे। दूसरा यह है कि होम गार्ड्स का नाम बदल दें और प्रदेशीय रक्षक दल और इनको मिलाकर दोनों का एक संगठन बना दें.....

(व्यवधान)

इसलिये मैं कह रहा हूं कि प्रदेशीय रक्षक दल के नाम से यह हो और रिटायर्ड आर्मी के आदमी इसको करें... (व्यवधान) गृह मंत्री जी, मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। समझाने में शायद गलती हो रही हो। मेरा निवेदन यह है कि आप एक ही संगठन बनायें लेकिन उसमें पुलिस के आफिसर्स न हों और आर्मी के रिटायर्ड आफिसर्स हों और देहात का और शहर का एक ही संगठन हो। पी० आर० डी० में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वह कार्य करते रहें, अगर अयोग्य हैं तो उनको निकालिए लेकिन जो ठीक कार्य कर रहे हैं उनको कार्य करने दीजिये। नया संगठन कायम करने की आवश्यकता कोई नहीं थी और न यह बिल लाने की ही कोई आवश्यकता थी।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की रक्षा के विषय पर मुझे बोलने का मेरे अनुभव के कारण अधिकार है। मैं देश की रक्षा की समस्या के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरा एक लड़का और दामाद आर्मी में मेजर हैं। और मेरा बड़ा लड़का हाल ही में मेजर जनरल नियत हुआ है। और मेरे जिले गढ़वाल से इस वक्त २५ हजार आदमी सशस्त्र सेना में किसी न किसी सैनिक विभाग में हैं। हमारे देश की रक्षा के लिये मौजूदा सेना काफी नहीं है। इसीलिये यह होम गार्ड्स का बिल सरकार लायी है। इसका मंशा यही है कि जब हमारी आर्मी देश की रक्षा के लिये दुशमनों से लड़ती रहेगी उस समय होम गार्ड्स घर में हमारी रक्षा करेगा। अभी शर्मा जी ने कहा कि अब चीन में शिथिलता आ गई है, कोई डर नहीं है, मैं दो बार गढ़वाल और कुमायूं के बार्डर तक जा चुका हूं। अब भी स्थिति ऐसी नहीं है जैसी की नेकराम शर्मा बताते हैं हमारे प्रान्त के परली तरफ चीनी बहुत बड़ा अड्डा जमाये हुये बैठे हैं और वह यह देख रहे हैं, कि जिस वक्त हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो जैसी कि शर्मा जी की है, कि. चीनी हम पर अब आक्रमण करने वाले नहीं हैं, उसी वक्त वह आ धमकेंगे, इसीलिये हमें अपनी सेना को बोर्डर एरिया में रखना चाहिये और बढ़ाये रहना चाहिये, और हमें होम गार्ड्स को बनाने की बड़ी जरूरत है, यह इसलिये है कि जब कभी हमारे देश में ऐसी स्थिति हो कि हमारी सारी सेना देश की रक्षा में (मशगूल) बिजी रहे तो उस वक्त देश की रक्षा होम गार्ड्स करेगा। मैं तो यह सोचता हूं कि इस होम गार्ड्स बिल को अक्षरश: जल्दी पास होना चाहिये। और इस सदन के हर एक मेम्बर को इसका पूर्णतया से समर्थन करना चाहिये। इसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। यह यूनियन गवर्नमेंट ने इसको होम "गार्ड्स" नाम दिया है। हमारे यहां पहले से प्रान्तीय रक्षक दल था। वह जानते थे कि हमारे यहां वह है। उसके होते हुये भी होम गार्ड स्थापित करने की सलाह दी है। सरकार ने जरूरत महसूस की कि एक और होम गार्ड क्रियेट किया जाय। जैसा आप नियमों में देखेंगे उनमें उन तमाम बातों को रखा जायगा जो जरूरी हैं। इसमें ३ साल के लिये एक व्यक्ति को रहना पड़ेगा। हमारे रिटायर्ड सिपाही भी इसमें आ सकेंगे। हमारे रिटायर्ड अफसर हैं वह भी आयेंगे। उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है।

[श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर]

दूसरी बात यह है कि हमारे जो नवयुवक हैं उनको इसमें आना चाहिये और सिपाही बनना चाहिये और देश की रक्षा के लिये लड़ना चाहिये। होम गार्ड में वही लोग आयेंगे जो सिपाही नहीं बन सकते हैं और जो सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं। और भी लोग इसमें आयेंगे। कई बहादुर लोग ऐसे हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं। अगर वे दफ्तरों में नौकर न होते तो वे सेना में होते। इस बिल के अन्दर यह भी प्रोवाइड किया गया है कि हमारे जो व्यक्ति दफ्तरों में नौकर हैं या कारखानों में काम करते हैं उनको सरकार होम गार्ड में ले सकती है। उनको होम गार्ड में भर्ती किया जाय। और उनको होम गार्ड में अवश्य भर्ती किया जाना चाहिये। उनके जो पद दफ्तरों में और व्यवसाय में हैं उनको सुरक्षित रखा जायगा। इसके बाद जो आदमी भर्ती होते हैं अगर वे सहमत हों तो वे तीन वर्ष के बाद भी होम गार्ड्स में रह सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि होम गार्ड की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके नाम के विषय में आपत्ति की गई है। मैं तो यह कहता हूं कि नाम से क्या रखा है। हमको आम खाने से मतलब है। हमको पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। आम मीठा फल है या नहीं इस बात को देखना चाहिये। होम गार्ड का नाम नहीं बदलना चाहिये। यह आल इंडिया संस्था बन रही है। आज इस किस्म की संस्था की देश को बड़ी जरूरत है। इस तरह के रक्षा दल सारे भारत वर्ष में तैयार किये जा रहे हैं। होम गार्ड इसी कारण से रखा गया है कि हर एक स्टेट में होम गार्ड तैयार हों। पंजाब में है और दूसरी स्टेटों में भी होगी। यह जो होम गार्ड बनाने का विधेयक उपस्थित है इसको कमेटी के पास न भेजा जाय। इसको फौरन पास किया जाय और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको पास किया जाय। हमारे गृह मन्त्री जी को चाहिये कि इस होम गार्ड की स्थापना जल्द से जल्द करें।

*श्री छांगुर (जिला आजमगढ़) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के देखने से यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि यह होम गार्ड का संगठन जो हमारे देश में हो रहा है वह केवल संकटकाल के लिये है। इस संगठन का हम संकटकाल में उपयोग कर सकते हैं। श्रीमन्, आज जब कि हमारे देश पर चीन के आक्रमण का संकट आया है तो सरकार को यह अनुभव होने लगा है कि देश के अन्दर होम गार्ड का संगठन होना जरूरी है। मैं समझता हूं अगर संकट न आता तो होम गार्ड का संगठन तुरन्त न किया जाता। संकट के समय में देश में हर एक नागरिक को सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिये। लेकिन यह अभाग्य इस देश का है और यहां के नागरिकों का है कि सैनिक शिक्षा से इसको बिलकुल वंचित रखा जाता है। ऐसे देश में श्रीमन्, आज नहीं बहुत पहले से एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो जनता से सम्पर्क रखकर जनता को सैनिक शिक्षा दे और नवयुवकों का एक संगठन कायम करे और विकास के कार्यक्रम की सरकार की योजनाओं के प्रति जनता के अन्दर एक विश्वास की भावना पैदा करे जिससे उनकी योजनायें अच्छी तरह से सफल हों और देश का विकास हो लेकिन सरकार की नीति जो प्रारम्भ होती है उससे हमारी सरकार कोई व्यवस्था इस देश के अन्दर नहीं कर सकती है।

आज यह जो होम गार्ड का संगठन सरकार करने जा रही है संकटकाल के लिये यह बिलकुल गलत है। इसका नाम कुछ भी हो लेकिन संकटकाल के नाम पर नहीं बल्कि हमारे देश में इसका संगठन स्थायी रूप से होना चाहिये। उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन स्थायी रूप से ऐसा संगठन होना चाहिये। इसके उद्देश्य में कोई बात स्पष्ट नहीं है। इसके क्या उपयोग होंगे यह स्पष्ट होना चाहिये। २२ दिसम्बर को एक आदेश गया है सरकार की ओर से ग्राम स्वयंसेवक दल की स्थापना के लिये। उस योजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाये गये हैं और उसका त्रिसूत्री कार्यक्रम है ग्राम की रक्षा करना, उत्पादन में वृद्धि करना आदि। इसी प्रकार इसका उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिये। इसका ध्येय होना चाहिये शान्ति और व्यवस्था कायम रखना, राष्ट्रीय घोषित नीतियों को पुष्ट करना, धर्म निरपे-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षिता की भावना बढ़ाना, समाजवादी ढांचा स्थापित करने में मदद करना, छुआछूत आदि की कुरीतियों को समाप्त करना आदि ।

श्रीमन्, इसमें भले ही दस लोग हों, उन को आप इस प्रकार ट्रेन्ड करके जनता में छोड़ते कि उसका असर होता और वे जाकर गांव में एक भावना पैदा करते और रूढ़िवादिता समाप्त करते। सन् १९४८ में जब इस सरकार के हाथ में शासन आया तो इसने पी० आर० डी० का एक संगठन कायम किया पुलिस के अतिरिक्त, लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने उसे तोड़ दिया और आज जनता को उसमें विश्वास नहीं है। अगर सरकार उस संगठन को कायम रखती तो इस नये संगठन की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह पैसा किसी विकास कार्य के लिये उपयोग किया जा सकता था। लेकिन हमारी सरकार की नीति लुंजपुंज रही है और उसकी कोई योजना स्थायी रूप से नहीं चल सकी। शिक्षा विभाग में आपने अनेक परिवर्तन किये, हाई स्कूल कक्षा में पहले एडवांस अंग्रेजी रखी गयी थी, फिर एलीमेंटरी अंग्रेजी रही और अब फिर उसको ही कर दिया है। इसी प्रकार हिन्दी लिपि में आपने परिवर्तन किया, उसमें मात्रा और अक्षरों में परिवर्तन किया और जनता का सहयोग न मिलने पर फिर उसको बदला। इसी तरह से सरकार में जनता का विश्सास उठता जा रहा है और इसी कारण सरकारी नीतियां सफल नहीं हो पातीं। जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि जो समय की आवश्यकता थी उसके अनुरूप इस बिल को उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही उनसे यह भी निवेदन बहुत अदब से करना है, जैसा कि दूसरे सदस्यों ने कहा है कि इस संगठन को पुलिस के आधिपत्य से और प्रभाव से बचाना बहुत आवश्यक है। जन साधारण की राय के विरुद्ध पुलिस के रिटायर्ड आफिसर्स को उन जगहों पर बैठाना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है, जब कि प्रदेश में फौज के योग्य रिटायर्ड अफसर मौजूद हैं। उसके साथ ही प्रान्तीय रक्षक दल को समाप्त न करके उस धारा को हटा लिया, इसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। उसके महत्व और कार्य-प्रणाली का ध्यान रखते हुये आशा है कि उसको भी आप अवसर देंगे जिससे वह भी समानान्तर रूप में संगठित रह सके।

मैं अधिक न कहकर केवल इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से इन रिटायर्ड पुलिस अफसरों को भरा जा रहा है आपकी रक्षा पंक्ति में यह बात अच्छी नहीं है। आशा करता हूं कि आप इसका खयाल रखेंगे। मैं पुन: आपको इस बिल के प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं।

(श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) —

श्रीमन्, देहात में तीन उड़ान पर तीतर पकड़ा जाता है, मगर मैं आपकी आंखें नहीं पकड़ सका !

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है, आप को भी समय मिलेगा।

*श्री शिवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला सीतापुर) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार ने होम गार्ड्स की स्थाना की घोषणा की थी तो मने समझा था कि यह पी० आर० डी० की ओर, विशेष दल की ओर न खयाल करके सभी नागरिकों को फायदा पहुंचाने की योजना है, परन्तु जब उसकी वर्किंग देखी तो पता चला कि यह आर्गेनाइजेशन भी पी० आर० डी० की भांति ही एक विशेष दल की तरह से काम कर रहा है तथा जनता का इसमें समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है। श्रीमन्, उद्देश्य और कारण अगर आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवेन्द्रप्रतापसिंह]

देखें तो उसमें दिया है कि यह संगठन देश की संकट की घड़ी में क्लेश और संकट का सामना करने की जनता की इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिये एक शक्तिशाली साधन होगा। मेरे विचार से यह जनता की इच्छा को शक्तिशाली बनाने में कोई साधन न हो सकेगा, इसके कई कारण हैं। जैसा हमारे यहां सभी माननीय सदस्यों ने कहा, इस संगठन के अन्दर रिटायर्ड पुलिस आफिसर्स को भर कर सरकार गलती कर रही है, मैं भी इस राय से सहमत हूं। हमारे प्रदेश में जब मिलिटरी आफिसर्स मिल सकते थे उस समय क्यों पुलिस वालों को भरा गया ? मैं मानता हूं कि रिटायर्ड मिलिटरी आफिसर्स लेने में परेशानी अवश्य होगी और शायद यह मन्त्री जी की बात न मानते जैसी कि पुलिस वाले मानते हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे जिले में मेजर प्रतिपाल सिंह को पहले नियुक्ति की गयी जिसके लिये उन्होने अप्लाई भी नहीं किया था और न ऐक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन उनसे जब कई संभ्रान्त नागरिकों ने कहा तो कमांडर की पोस्ट स्वीकार की। जब गृह मन्त्री ५ नवम्बर को सीतापुर गये वहां से लौट कर ८ तारीख को आर्डर जाता है कि थोर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड।

श्रीमन्, एक आदमी रिटायर्ड मिलीटरी आफिसर था, जिसको डिफेन्स आदि का काफी ज्ञान था, जो योरोपियन कन्ट्री में भी काम कर चुका था, किन्तु उसकी सर्विसेज को एकाएक समाप्त कर दिया गया इसलिये कि वह इस संगठन में कांग्रेस के उलटे सीधे लोगों को नहीं भरता था। आज आप देखें, ऊपर से लेकर नीचे ब्लाक लेविल तक यह आर्गेनाइजेशन भारत सेवक समाज का दूसरा अंग हो रहा है। इसके अन्दर विशेष तबके लोगों की ही जगह दी जाती है। हमारे जिले के अन्दर कांग्रेस के उन लोगों को, जिन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती थी, उनको इस संगठन में रखा गया है और उसी पार्टी के ही व्यक्तियों को कम्पनी कमान्डर आदि के पदों पर रखा गया है। अभी कम्पनी कमान्डेट आदि कुछ पदों पर नियुक्तियां होने को थीं। इस इरादे से कि उन जगहों पर एक ही दल विशेष के लोग रखे जायें, उन जगहों पर भर्ती के लिये कोई एडवरटाइजमेंट तक नहीं किया गया। यह इस बात का सबूत है कि सरकार अपने ही लोगों को वहां पर रखना चाहती थीं। सरकार ने जिन लोगों को चाहा उनको रख लिया।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। कागज पर बड़ी बड़ी फिगर्स लिखी रहती हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है और मैं जानता हूं, अगर माननीय मन्त्री जी यह कमान्डर साहब सरप्राइज विजिट करें तो देखेंगे परेड में एक भी आदमी नहीं मिलेगा, किन्तु कागज में ७०–८० आदमी मिलेंगे। तमाम रुपये का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं। वहां पर कई बार यह प्रोग्राम बना कि जिले के आफिसर्स पहुंच रहे हैं, मगर वे नहीं पहुंचे। मैंने मालम किया लिख कर, तो जवाब आया जीप नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, डी० पी० ओ० नहीं मिले, या किसी का कोआपरेशन नहीं मिला आदि। तो अगर मान्यवर इस संगठन को चलाना है तो इसके अन्दर आप रिटायर्ड मिलीटरी आफिसरों को रखें जिनको इस चीज का काफी एक्सपीरियन्स भी रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका भी पी० आर० डी० की तरह हाल होगा जिसमें कि पता नहीं चलता कि यह आर्गेनाइजेशन है भी या नहीं और हजारों रुपये का व्यय होता है।

श्री मैनेजरसिंह —

मैंने देखा मान्यवर, कि हमारे कई माननीय मित्रों ने इस बिल का स्वागत किया, मगर मैं नम्रता पूर्वक इस बिल का सख्त विरोध करना चाहता हूं। मैंने इस बिल को पढ़ा, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। इसके उद्देश्य में तीन बातें हैं। एक तो आपतकालीन स्थिति में सेवा, एक पुलिस की सहायता, तथा एक प्रान्तीय रक्षक दल का इसमें विलयन। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह बिल पंचायत राज्य की भावना को ठेस पहुंचा रहा है। यह इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि सर्विसेज के लोग सरकार की नीतियों पर हावी हो रहे हैं। हमारे नेता लोग अधिकारियों

के चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं फलस्वरूप इस प्रदेश की राजनीति को ही अधिकारी मोड़ दिया करते हैं। पुलिस की सहायता के लिये होम गार्ड का संगठन होगा। अभी जैसा कि माननीय नेकराम जी शर्मा ने कहा कि प्रान्तीय रक्षक दल के उद्देश्य को आप देखें इसमें सारी बातें वही हैं जो इसमें आप रख रहे हैं केवल आपत्काल की बात को छोड़कर। होम गार्ड संगठन के लिये जो केन्द्र से निर्देश मिले हैं उनको आप इसी प्रान्तीय रक्षक दल के ढांचे में पिरोये होते, संजोये होते तो शायद सूबे का ज्यादा कल्याण हुआ होता। एक ढांचा जो सूबे में बना है और जो बराबर सर्विसेज के लोगों से मार खाता रहा है, जिसको बराबर पुलिस के डंडे चोट पहुंचा रहे हैं। जिस पी० आर० डी० को उमंग से कायम किया गया था और सरकार की पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने जिस की उन्नति का स्वप्न देखा था उसी को कब्र में दफनाने के लिये आज यह विधेयक लाया गया है। इससे बढ़कर अनर्थकारी और क्या कानून आ सकता है। मैं इसका विरोधी हूं और आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस में पुलिस के अधिकारियों को कतई न रहने दें। चाहे वह रिटायर्ड हो या मौजूदा सर्विस के आदमी हों।

मेरा मन्त्री जी से सुझाव है कि बिहार का जो विलेज वालंटीयर फोर्स है उसका वह अध्ययन करें जो उद्देश्य आपके हैं उससे भी अधिक व्यापक उद्देश्य उसके हैं और बिहार के उस ग्राम रक्षक दल ने काफी वहां काम किया है। गाढ़े समय में उसनें बिहार सरकारी बड़ी मदद की है, जमशेदपुर की हड़ताल के समय में काफी वहां के लोगों ने जाकर मदद की है। कोसी प्रोजेक्ट में भी काम किया और आग लगने पर, डकैती के समय वह काम करते हैं। वह पंचायतों का एक पुलिसफोर्स जैसा दल है। उस का पंचायतों के हर स्तर से सम्बन्ध है। उन का एक अपना केडर है, चीफ आफिसर और तमाम अधिकारी उसके बाकायदा हैं, पटना में उन का डायरेक्टर है। उन का एक स्वतन्त्र संगठन है, इसलिये आप उसी तरह की कोई चीज यहां बनायें। उस की भावना को लेकर और केन्द्र के निर्देश के अनुसार आप पी० आर० डी० में ही इस को संजोवें। इसलिये मैं इस बिल का तो सख्त विरोध करता हूं और इस के जो उद्देश्य हैं उन में से २ का तो मैं सख्त विरोध करता हूं और जो पहला उद्देश्य है वह ठीक है। इसको पी० आर० डी० से मिलाया जा सकता है। उसके ही ढंग पर इस को संशोधित कर के लाया जाय। जो इसका नाम रखा गया है वह भी गुलामी का चिन्ह है, विरासत में यह गुलामी का नाम न रखें। बल्कि ग्राम रक्षक दल या प्रान्तीय रक्षक दल ही ठीक है। इस के अलावा जो कम्पनी कमान्डर वगैरा हैं वही ट्रेनिंग दें तो अच्छा है, इससे कोई पार्टीबाजी का मौका न रहेगा।

(श्री रक्षपालसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

अनेक सदस्य—

२ मिनट दे दीजिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जिनका प्रस्ताव है जब कह रहे हैं कि दो, दो मिनट दे दिया जाय तो आप उनका समय काट लीजियेगा आपका कुछ बिगड़ता नहीं है और न आप पर हमला होने वाला है। तो आप क्यों डरते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, दो, दो मिनट बोल लें।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा) —

इन दलों का जो निर्माण हो रहा है, जैसा भी है आप कीजिये। लेकिन इस बात पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला वे किस भावना के लोग हों। आजकल तीन प्रकार की भावनायें पनप रही हैं। अगर उन भावनाओं के लोग उसमें आयेंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। एक तो ऐसे हैं जिनकी भावना है कि हिन्दू का हिन्द है। दूसरे ऐसे हैं जो यहां बैठे हुये गाना गा रहे हैं कि "न अब जानजहमत वतन की सहेगी। यह तूती अरब के चमन में रहेगी"। ऐसे लोगों को न जाने दीजिये। तीसरे ऐसे हैं जो चीन के पक्षपाती हैं और कहते हैं कि, "उठो साथियो

[श्री लोकपालसिंह]

चीन का बीन बाजा। हुकूमत का अब तो निकाल जनाजा।" अगर इस भावना के लोग इस संगठन में पहुंच गये तो देश का कल्याण नहीं है। देश को मैं समझता हूं रक्षा की आवश्यकता है। आपने तरह तरह के संगठन बना रखे हैं, पी० ए० सी०, ए० सी० सी०, एन० सी० सी०, होम गार्ड आदि। वास्तव में कमजोर देश की लिये रक्षा की आवश्यकता है किन्तु यह मूंज का बाना और सूत का ताना काम नहीं देगा। एक अंधी बुढ़िया के एक लूला लड़का था, उसने उसके ५ नाम रखे, जंगजीत, रणजीत, रणवीर, सूरमा आदि। उसने कहा कि मैं जब रात में पुकारूं तो ५ तरह की आवाज देना। एक रात उसके घर में डकैत आ गये तो उसने पांच नाम ले कर पुकारा और उस लड़के ने हर आवाज पर कहा हां मां, हां मोसी, हा बुआ। डकैत डर कर चले गये। लेकिन दूसरे दिन जब उनको असलियत पता चली तो उसके घर को लूट लिया। तो बुढ़िया की नीति एक दिन चल सकती है, रोज रोज नहीं। इसलिये ५ दल जो आपने बना रखे हैं इनको एक में संगठित करें तब तो देश की रक्षा हो सकती है और वह बलवान दल भी बनेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, दुनिया के प्रजातन्त्री मुल्कों में जहां फौज और पुलिस होती है वहां सेकेन्ड लाइन आफ डिफेंस की आवश्यकता होती है और यही सोच कर सरकार इस बिल को लायी है। जो भी दल का नाम रखें, चाहे होम गार्ड हो, प्रान्तीय रक्षक दल हो, या ग्राम दल हो, वह सक्रिय तरीके से काम करें तभी ठीक होगा। लेकिन यदि यह थाने की समितियों की तरह बनाये जा रहे हैं कि जब जरूरत पड़े तो थाने में पहरा देना ही इनका काम रहेगा तो बेकार है। अगर वाकई में सेकेन्ड लाइन आफ डिफेंस बनाना है और ग्राम रक्षा दल के लोग सही तरीके से सिंचाई का काम कर सकें, खेत का काम कर सकें और जरूरत पड़ने पर लड़ सकें तो उनको निश्चित वरदी, निश्चित हथियार तथा जीवकोपार्जन के लिये निश्चित धन देना पड़ेगा। जब वह जा कर सेकन्ड डिफेन्स लाइन बन सकेगी।

एक सिद्धान्त की बात और कहूं। प्रान्तीय रक्षक दल अब रिवाइज होगा तो उसमें सरकार अपने ही तरीके से लोगों को रख देगी। अपने जिले में मैं देखता हूं कि कोई रिटायर्ड डाक्टर है, कुछ नहीं कर सकते तो उनको कमांडेंट बना दिया। ब्लाक का प्रमुख है उसे कुछ बना दिया, विकास अधिकारी को या हेड क्लर्क को कुछ बना दिया। तो यह सब मखौल की भावना है। अगर आपको दूसरी रक्षा पंक्ति बनानी है तो होम गार्ड्स और पी० आर० डी० को एक करके सही साज-सज्जा के साथ, निश्चित वर्दी के साथ, निश्चित कार्यक्रम के साथ उसे चलाना चाहिये। विधान सभा के कर्मचारियों ने बतलाया कि उन लोगों को पहले तो मौका दिया गया फिर रोक दिया गया, यह गलत है।

द्वितीय रक्षा पंक्ति अगर खड़ी की जाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन सक्रिय रूप उसको दिया जाय केवल कागज पर मन बहलाव के लिये उसका रूप नहीं होना चाहिये। समाजवादी मुल्कों में द्वितीय रक्षा पंक्ति की बड़ी जरूरत होती है अगर उसका सही रूप हो तो बहुत ही लाभप्रद भी होती है।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है करीब करीब सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये। खास बात तो इस लड़ाई झगड़े में मैं भूल गया लेकिन एक बात कहता हूं। एक बार बहुत गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी करना चाहता था। उसके पड़ोसी सेठ साहूकार थे। उसको सबने यह सलाह दी कि यह करो, वह करो, पचासों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातें उससे कही गयीं । लेकिन वह गरीब आदमी उतनी बातें पूरी करने में असमर्थ था । इसी तरह से यह होम-गार्ड का संगठन है । मैं उसका एक सिपाही होने के नाते उसकी परेडों में गया हूं । मैं कह सकता हूं कि वहां काठ की बन्दूकों पर ट्रेनिंग दी गयी । जब संकटकालीन अवस्था चल रही थी उस वक्त राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की । प्रान्तीय गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी खूब रुपया बटोरा सुरक्षा फंड में लेकिन इसके लिये कोई सामान मुहइया नहीं किया गया । न उनको वर्दी दी गयी, न भत्ता दिया गया । इस तरह की कार्यवाही हुई जिससे उनका मनोबल गिरा । सरकार को उनको पूरी सुविधायें प्रदान करनी चाहिये । एक सिपाही को ६ महीने की तनख्वाह नहीं दी गयी और उसका बच्चा दवा की कमी की वजह से मर गया । ऐसी अवस्था में लोगों के मनोबल में क्या भावना आयेगी । उसको उठाने की आवश्यकता है । १५–१५ और २०–२० रुपये महीने की तनख्वाह दे कर आप द्वितीय रक्षा पंक्ति को कैसे मजबूत करेंगे । होम-गार्ड्स को हर तरह से प्राथमिकता देनी चाहिये । उनके लिये हर प्रकार का साधन और हर प्रकार का सामान मुहइया करना चाहिये ।

श्रीमन्, इसके कमान्डेन्ट की जो वर्दी देने की बात है उसके लिये मैं कहता हूं कि कोई वर्दी की व्यवस्था वहां नहीं है । जो खिचाव अनुशासन की दृष्टि से एक सोल्जर के लिये होना चाहिये उसकी बहुत बड़ी कमी है । मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पचासों चिट्ठियां लिखीं, सिटी मैजिस्ट्रेट को बुलाकर दिखाया और उनसे प्रार्थना की कि जहां तक मेडिकल का प्रश्न है इसको ठीक कीजिये, लेकिन वह नहीं हुआ और ७ मील की दूरी पर मेडिकल सेन्टर बनाया गया । सरकार ने आदेश दिया तब मेडिकल इन्चार्ज की नियुक्ति की जाय जिससे कि वह मौके पर जाकर मुआयना करे कि आया वह मेडिकली सक्षम है या नहीं । लेकिन इस आर्डर के उपरान्त भी उसकी उपेक्षा की गयी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिटी मैजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

दूसरी बात. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी बात नहीं, अब आप खत्म कीजिये ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

भरती का तरीका देखिये । जो चोर, गिरहकट थे तमाम ऐसे आदमियों की उस समय भरती की गयी । उनका कमान्डेन्ट कहता है कि इसको कम्पनी कमान्डर कर दो, इसको असिस्टेन्ट कमान्डर कर दो, लेकिन वह नहीं होता है । इसलिये इसमें भी कोई अच्छा और ठीक तरीका भरती के अपनाने की जरूरत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

माननीय लखीसिंह, आप दो मिनट में खत्म करिये ।

*श्री लखीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कोई जवाब होता है ? इस विधेयक पर लगभग १५ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों उन्होंने करीब-करीब मेरी चीज का समर्थन ही किया है । मैं उनका आभारी हूं और उनका स्वागत करता हूं । उधर से कुछ लोग दो, चार बातों को चबा जाते थे, इस सरकार के डंडे की वजह से छिपा जाते थे । मैं उनका स्वागत इसलिये करता हूं कि उन्होंने करीब करीब मेरे सुझावों को माना । अब मंत्री जी भी जरा मेरी बात पर ध्यान दें । एक तो होम गार्ड अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है । सब ने एक मत से कहा है कि इसको बदल डालना चाहिये । दूसरे पुलिस की छूत इसको न लगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

तीसरे जब प्रान्तीय रक्षा दल था ही तो इसकी क्या जरूरत थी । वह तो स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत ने बना ही दिया था और उसी दल की तैयारी थी कि १८ हजार स्वयं सेवकों ने एक कंधे पर राइफल और दूसरे कंधे पर फावड़ा रखा था । फावड़ा अन्न पैदा करने के लिये था ।

मेरे अन्दाज में यह सरकार और मंत्री जी इस विधेयक को निजी स्वार्थ के लिये लाये हैं ताकि कांग्रेस को वोट देने वाला महकमा बने । एक और भी रहस्य है । बलिया जिले में तो जो कांग्रेस के हारे उम्मीदवार थे उनको कमान्डर बना दिया । इस विधेयक में तो खाक भी नहीं है । तभी मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज देना चाहिये क्योंकि इसमें सारी गलतियां हैं । मैं मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि न तो वे और न माननीय उपाध्यक्ष जी मेरे बोलने से घबरायें । मैं गांधी जी का परम भक्त हूं और अहिंसा का पुजारी हूं । लेकिन अगर ऐसे ऊटपटांग विधेयक हमारे सामने आयेंगे तो हम उनका घोर विरोध करेंगे । यह हमारा पुराना सिद्धान्त है कि मारेंगे नहीं पर मानेंगे नहीं । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय और जितने माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं उनको माना जाय और जो बहुत पुराना रक्षक दल है जो स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी वाला है उसी को प्रमुख स्थान दिया जाय । यदि इसको पूरा-पूरा स्थान दिया जायगा तब ही देश की और प्रदेश की रक्षा हो सकेगी । माननीय गृह मंत्री जी मेरे सुझाव को मानें ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह देखकर कि थोड़े से माननीय सदस्यों के अतिरिक्त सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की जरूरत समझी और इसका समर्थन किया कि हमारे प्रान्त में अन्य प्रान्तों के समान एक ऐसी संस्था बनाई जाय । इसका एक छोटा सा इतिहास है और इसका मैंने प्रयत्न किया था कि अपने प्रारम्भिक भाषण में उसको आपके सामने रख दूं और मैंने रखा भी । लेकिन फिर भी जो भाषण हुये उनसे मैं आवश्यक समझता हूं कि उसको फिर से दोहरा दूं ।

यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि प्रान्तीय रक्षा दल की स्थापना उस समय हुई थी कि जब कि अन्य किसी प्रान्त में ऐसी संस्था की स्थापना नहीं हुई थी और उसी को देखकर पंजाब में भी एक संस्था बनी । इसका एक ऐक्ट भी यहां बना था और इसके मातहत इसका निर्माण हुआ था । इसने अद्वितीय और बहुत काम किये । थोड़े दिनों के बाद इसमें कुछ शिथिलता आई । जब होम गार्ड्स की स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया से आई तो हमने प्रयत्न किया कि प्रान्तीय रक्षा दल में इसका समावेश कर दिया जाय जिसमें होम गार्ड्स एक शाखा के रूप में हो जाय और यह भी प्रयत्न किया कि इसको होम गार्ड्स की संज्ञा न देकर इसको प्रान्तीय रक्षा दल रखा जाय ।

माननीय सदस्य नेकराम शर्मा जी चले गये, वह समझते थे कि शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया नहीं जानती थी कि हमारे प्रदेश में प्रान्तीय रक्षा दल है । उसकी स्थापना उस समय हुई थी जब हमारे यहां माननीय लाल बहादुर यहां पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और अब वे वहां पर मिनिस्टर हैं । जब हमारे यहां यह होम गार्ड्स की स्कीम आई तो उस समय केबिनेट ने यह प्रयत्न किया था । लेकिन बावजूद सब प्रयत्नों के, चूंकि सारे हिन्दुस्तान में जो यह संस्था बनाई गई सब जगह इसका नाम होम गार्ड्स रखा गया । किसी प्रान्तीय भाषा के अनुकूल इसका नाम नहीं रखा गया । लिहाजा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारी प्रार्थना अस्वीकार कर दी और यह कहा कि होम गार्ड्स ही इसका नाम रखा जाय । और हम लोगों ने यह ठीक नहीं समझा कि प्रान्तीय रक्षक दल को इसमें मिला कर उसका नाम खत्म करके होम गार्ड्स ही में उसको मर्ज कर दिया जाय । इस बिल में हमने यह प्रयत्न किया कि किसी प्रकार से ऐसा रूल बनायें और बाद को बनाते भी क्योंकि यदि आप इस बिल में इसका संगठन देखें तो इसमें बहुत सी धारायें केवल ऐसी हैं जिसमें रूल मेकिंग पावर ली गयी है । जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा यदि इसमें केवल तीन ही धारायें

रही होतीं, होम-गार्ड का डेफिनीशन, रूल मेकिंग पावर, और कुछ उद्देश्य तब भी कोई हर्ज नहीं था लेकिन हमारे यहां डेलिगेटेड लेजिस्लेशन की एक सीमा होती है । हमारे यहां जो केसेज हो गये हैं सुप्रीम कोर्ट और फेडरेल कोर्ट के उनमें बताया गया है कि डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कहां तक जा सकता है । उसकी परिधि है उसके बाहर नहीं जा सकता । इसलिये केवल उतने ही से संतोष न करके चार पांच से बढ़ कर १५ हो गयी । तब भी कोई बात नहीं । उसमें होम-गार्ड का निर्माण कैसे होगा उतना ही रखा गया है ।

यह बात सही है कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिये उत्तर प्रदेश के स्त्री और पुरुषों को किसी न किसी प्रकार की मिलिटरी ट्रेनिंग हो जाय । यह शुभ बात है । चीन के आक्रमण से सबसे बड़ा सबक हमें यह मिला है कि चाहे किसी देश की विस्तार नीति भले ही हो, हम लोग शान्तिप्रिय हैं, धर्म का गहरा पुट है, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन यदि हम अपनी सीमाओं के अन्दर शान्ति से रहना चाहते हैं तो यह तभी सम्भव है जब कि सैनिक दृष्टि से भी हम बहुत मजबूत हों । वरना शायद आज की दुनिया में सम्भव नहीं है कि कोई देश शान्ति से रह सके । यह जो होम गार्ड्स की व्यवस्था की जा रही है यह नहीं कह सकते कि केवल टेम्पोरेरी है । इस बिल में इसका आभास भी नहीं है कि यह अस्थायी है । यह कहा गया है कि इस आपतकालीन स्थिति में यह आवश्यक हो गया है । लेकिन मेरा खयाल है कि यदि सम्भव हुआ और आर्थिक कठिनाइयां न हुईं तो ऐसा आर्गनाइजेशन है जिसको स्थायी रूप से रखना चाहिये । यदि मिलिटरी जरूरी है तो होम गार्ड्स ऐसी संस्था भी होनी चाहिये । इसको स्थायी रूप से रहना चाहिये । यह प्रयत्न है । आपने देखा कि आपके एजूकेशन में हर सीढ़ी पर एक न एक प्रकार की ट्रेनिंग रखी हुई है । छोटे लड़कों के लिये ए०सी०सी०, जूनियर लड़कों के लिये जूनियर एन०सी०सी०, कालेज के लड़कों के लिये कम्पलसरी एन०सी०सी० । इसके अलावा पी० ई० सी० । उसके अलावा होम गार्ड और प्रान्तीय रक्षक दल तो है ही । तो इस तरह से इस बात का प्रयत्न तो किया जा रहा है लेकिन यदि आप ऐक्ट को देखेंगे तो उसमें तीन वर्ष के लिये जो प्राविजन किया गया है उसकी भर्ती करने का तो उसको फार्म भरना पड़ेगा कि तीन वर्ष होम गार्ड में जरूर काम करेंगे । तीन वर्ष के बाद क्योंकि अवैतनिक है, यह हमारे लिये सम्भव नहीं है कि हम उसको हमेशा के लिये बांध लें । इसके बाद वह रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन हम कानून से उसको बाध्य नहीं कर सकते कि एक दफा होम गार्ड में भर्ती हो गया और फार्म भर दिया तो हमेशा के लिये उसको उसमें रहना पड़ेगा । ऐसा प्राविधान इसमें नहीं है । तीन वर्ष ही का है । तीन वर्ष में मैं यह नहीं कहता कि सारे प्रान्त के कुल नवयुवकों को होम गार्ड में भर्ती करके उनको एक प्रकार की सैनिक शिक्षा या ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वह दे सकूंगा । यह सम्भव नहीं है ।

अब वह नाम की बात मैं बता दूं । होम गार्ड चूंकि सारे हिन्दुस्तान में एक संस्था बनने जा रही है और हर एक प्रान्त ने अपने यहां उसका नाम होमगार्ड ही रखा है तो यू० पी० की दृष्टि से मैं यह ठीक नहीं समझता कि इसका कोई दूसरा नाम रखा जाय क्योंकि उसमें शायद कन्फूजन हो सकता है । आप ऐक्ट में देखें कभी कभी आवश्यकतानुसार इनको दूसरे प्रान्तों में भी भेजना पड़ सकता है और वहां पर होम गार्ड्स नाम की एक संस्था होगी, वहां इनका दूसरा नाम रक्षक दल या और कोई नाम रहे, तो उससे भी एक प्रकार का कन्फ्यूजन हो सकता है । इसलिये यह ठीक नहीं होगा । प्रान्तीय रक्षक दल आपके यहां है । उसी में एक गृह रक्षक दल और रखा जाय तो उससे कन्फ्यूजन होने की बात हो सकती है । इसलिये मैंने देखा कि कुछ लोगों का यह मत था और मैं अपनी जगह पर चाहता भी था कि अगर कोई इस तरफ का या उस तरफ का माननीय सदस्य यह आशंका करता है कि हमारे बिल से यह हो रहा है कि हम प्रान्तीय रक्षक दल का गला घोंटना चाहते हैं तो मैं १५ (सी) को निकाल दूंगा क्योंकि प्रान्तीय रक्षक दल के साथ एक हमारी हमदर्दी है, एक लगाव है और हम किसी तरह से यह नहीं चाहते कि उसका गला घोंटा जाय और हमारे प्रान्त में उसका अस्तित्व खत्म हो जाय । इसलिये मैं भवन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन भावनाओं से यह किया गया । जहां तक और बातें कही गईं वह इस बिल से कम सम्बन्ध रखती हैं । लेकिन उसके बारे में चूंकि बातें कही गईं मैं यह कह देना चाहता हूं

[श्री हरगोविन्दसिंह]

कि यह नामुमकिन है कि आप इस संस्था को मिलिटरी के साथ सम्बन्धित कर सकें । मिलिटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया की होती है । मिलिटरी शायद ऐसी चीज अपने साथ सम्बन्धित करना ठीक भी नहीं समझेगी । इसलिये जो माननीय लखी सिंह जी ने कहा कि इसे मिलिटरी से सम्बन्धित किया जाय (व्यवधान) वह सम्भव नहीं हो सकेगा । होम गार्ड्स का नाम बदल दिया जाय इसकी निस्बत तो मैंने आपसे कहा कि चाहते हुये भी इच्छा रखते हुये भी चूंकि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम है और गवर्नमेंट आफ इंडिया इसमें काफी इन्टरेस्ट ले रही है हर एक तरीके से, तो यह सम्भव नहीं हुआ कि हम इसका नाम बदलकर रक्षक दल या और कुछ रखें और किसी और प्रान्त ने रखा भी नहीं है । सब ने होम गार्ड ही रखा है इसलिये उसी पंक्ति में यू० पी० भी खड़ा हो जाय यही यू० पी० के लिये भी मेरे खयाल से अच्छा और कल्याणकारी है ।

सिविल डिफेंस कन्सेप्ट की चर्चा गोविन्द सहाय जी ने बहुत की । उसका इससे कोई सम्बन्ध तो नहीं था लेकिन सिवल डिफेंस कन्सेप्ट के बारे में मैं यह कह दूं कि वह जो यह खाइयां वगैरह खोदी जाती थीं वह असल वाकया तो यह था कि भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार में किसी को लड़ाई का अनुभव तो था नहीं । वह जो पुरानी लड़ाई के समय की किताबें बनी थीं, उसमें एक सिविल डिफेंस की भी किताब बनी हुई रखी है । वह जब लड़ाई शुरू हुई तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसी किताब में से लेकर हिदायत सब स्टेट्स को शुरू कर दिया । लिहाजा यहां की स्टेट्स उसको करने लगी । बाद को इंगलैण्ड के सिविल डिफेन्स के एक आदमी यहां आये और उन्होंने कहा कि यह चीज पुरानी हो गई है, लड़ाई का तरीका बदल गया है इसलिये अब इसकी जरूरत नहीं है । तो तब उसको छोड़ दिया गया । अब गोविन्द सहाय जी इसके पूर्व इसको जानते थे तो वह यहां के कैबिनेट के मिनिस्टर थे, वह कह सकते थे कि इसकी जरूरत नहीं है । लेकिन जब जवाहरलाल जी यहां लौटकर आये तो उन्होंने कहा । तब तक वह भी चुप थे । तो वह इसका कन्सेप्ट सामने नहीं था । लेकिन यह बात जरूर है कि आजकल हमारे यहां अच्छे सैनिक हों जिनको अपने कर्त्तव्य का ज्ञान हो और उद्देश्य का ज्ञान हो । मशीनरी फोर्स आजकल नहीं चलता यह बात अपनी जगह पर सही है लेकिन क्या कन्सेप्ट हो इसके लिये मैंने कहा कि रूल मेकिंग पावर इसमें रखी गई है । इसमें बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया गया है लेकिन और सब बातें रूल मेकिंग पावर के अन्तर्गत हैं । मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूंगा कि रूल बनाने में आप अपने सुझाव दें । म सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका अध्ययन करें और विचार करें । यदि आवश्यक होगा तो उनको रूल के अन्दर रखा जायगा, जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जायगा । उन रूल्स को भवन के सामने भी प्रस्तुत किया जायगा । इसमें किसी कन्सेप्ट को भूल जायेंगे यह बात नहीं है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

यह जो गांव में अनडिजायरेबिल एलीमेन्ट होता जा रहा है उसका क्या होगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने कल कहा था कि अगर हम लोग सम्मिलित होकर सब राजनैतिक दल इस बात का प्रयत्न करें तो उसका कुछ निराकरण निकल सकता है लेकिन उस समय तक उसका निराकरण या उसका हल निकलना मुश्किल है जब तक कि आप लोग देहातवालों से इस बात को कहें नहीं । अगर देहात में जिन लोगों का असर है वह काम नहीं करते हैं तो प्रजातंत्र में यह मुश्किल है । हम सब को वोट की जरूरत होती है । देहात में अब एक लीडरशिप खत्म हो गई । जमींदारी टूट गई । वह अच्छी थी या बुरी लेकिन वह एक लीडरशिप देहात में प्रोवाइड करते थे । वह लीडरशिप टूट गई । अभी तक उसका सबस्टीट्यूट नहीं बन पाया है । उसका हल अभी तक नहीं निकल पाया है । लेकिन सब माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि कोई लीडरशिप उसकी जगह नहीं बन पाई है । इसलिये यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिस तरीके से वह व्यवस्था

पैदा हो गई है वह आज हम सब के लिये चिन्ता का विषय है । उसका निराकरण एक तरह से ही हो सकता है जैसा गेंदासिंह जी ने बताया था । वह तरीका मैं उनके बताने से पहले ही सोच रहा था । वह तरीका यह है कि हम यह सोच रहे हैं कि गांव में लोगों को अधिक से अधिक लाइसेन्स दिये जायं । यह भी हम सोच रहे हैं कि भाले और बल्लम कांते पर नियंत्रण लगाया जाय । आज जो कत्ल हो रहे हैं उनमें भाले और बल्लम से ही अधिक चोट लगाई जाती हैं । मैं इतना मानता हूं कि कोई शरीफ आदमी आज भाला और बल्लम चलाना नहीं चाहता है । उसी तबके के लोग चलाते हैं जिनके बारे में आज हम सब को यह चिन्ता हो गई है कि किस प्रकार से स्थिति को सुधारा जाय । दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि निकट भविष्य में हम एक बिल सदन के सामने लेकर आयें और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करें कि यह अधिकार दे कि भाले और बल्लम पर नियंत्रण लगाया जाय । इस पर हम विचार कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर वह कोशिश की जायगी और मैं इसमें आप लोगों का सहयोग चाहूंगा । चाहूंगा कि आप बतावें कि किस प्रकार इस बिगड़ी स्थिति पर काबू पाया जा सकता है । इसके अलावा आपने वेरीफिकेशन के लिये कहा । वह कराया जाता है, लेकिन कुछ डर कर । जब यह बिल ऐक्ट बन जायगा तो अधिकृत रूप से वेरीफिकेशन करायेंगे और इस में भी हमें आपका सहयोग चाहिये । अगर कोई गलत आदमी इसमें आ जाता है तो आप बताइये, हम उसे निकालेंगे । लेकिन प्रार्थना है कि इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिये । अभी सीतापुर के एक माननीय सदस्य ने जो कहा था, उसे मैंने देखा और उनसे कहा कि आप इस्तीफा दीजिये । वह कैन्डीडेट थे कई जगह और होम-गार्ड लिये हुये थे । वह मेरे बड़े भारी दोस्त थे, क्लास फेलो थे, लेकिन मैंने उन से कहा कि इस्तीफा दीजिये । मैं यह लांछन नहीं चाहता था कि हमारा एक कमांडेंट होम गार्ड को राजनीति का अखाड़ा बना रहा है । यूं तो मजबूरी है । हर एक के पास वोट है और हर कोई किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित है ऐसा आदमी ढूंढ़ निकालना मुश्किल होगा जो किसी दल से संबंधित न हो । तो इसमें आने वाले राजनीतिक दल से संबंधित हो सकते हैं लेकिन अगर वे इससे राजनीति का काम लेना शुरू करेंगे तो वह मैं नहीं होने दूंगा । इसका आपको विश्वास दिलाता हूं । और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप इसमें मुझे सहयोग दें ।

प्रान्तीय रक्षक दल की बड़ी तारीफ की गयी और बड़े संतोष की बात है लेकिन उसका संगठन एक पुलिस अफसर को ही दिया गया था और उसी ने उसको इतना क्रियाशील और कुशल बनाया था । तो यह व्यक्ति की बात होती है । मैं उन व्यक्तियों में हूं कि जो यह छिपाते नहीं कि देश में बड़ा भ्रष्टाचार है और यह संतोष की बात नहीं है । ऐसे ही देश में क्रान्तियां होती हैं और हम धीरे-धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं इसमें संदेह नहीं । लेकिन प्रान्तीय सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर सकी है । केन्द्र ने कुछ कदम उठाया है । यह एक सोशल इविल है और जब तक समाज इस रोग, दोष को हटाने के लिये तैयार नहीं होगा तब तक इसका समाप्त होना मुश्किल है । लेकिन सरकार एक छोटे से दायरे में प्रयत्न कर सकती है, उसको करना चाहिये और वह कर रही है । इसलिये मैं कहता हूं कि जब एक ही झाड़ू से आप हर डिपार्टमेंट को साफ करते हैं तो यह न तो आपके प्रान्त के लिये, न समाज के लिये और न देश के लिये ही कल्याणकारी है । इससे अच्छे आदमी का भी दिल टूट जाता है । अगर आप यह कहें कि पुलिस को कोई नहीं चाहता तो यह भी नहीं है, सब लोग यही चाहते हैं कि पुलिस उनकी रक्षा करे और आपको रोष इसलिये है कि पुलिस आपकी रक्षा नहीं करती । जितनी इमदाद उससे आपको मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती । इसलिये पुलिस आपकी विश्वासपात्र नहीं है । किन्तु मेरा निवेदन यह है कि हम लोग यहां बैठकर कानून बनाते हैं, आपके विश्वासपात्र बनकर ही हम सरकार चला रहे हैं, उसमें आपका भी हाथ है, किन्तु जो यह परम्परा सी पड़ गयी है कि चाहे समय अनुकूल हो या नहीं, चाहे विषय कोई भी हो, खड़े होकर एक ही तरह की आपत्ति कर देना, न तो उनके मोरेल को उठाना है, और न ही उससे देश का कल्याण होने वाला है । इस प्रान्तीय रक्षा दल का श्रेय जब कि एक पुलिस आफिसर को ही है, और उसी का आदमी उसका कमान्डेंट जनरल है तो उसके लिये ऐसी बात कह देना ठीक नहीं है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको

[श्री हरगोविन्दसिंह]

प्रवर समिति में न भेजा जाय और जितनी जल्दी हो सके इसे पास किया जाय ताकि यह काम तेजी से हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

२---विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में---

(क) "बटालियन के कमान्डेंट" (commandant of battalion) का तात्पर्य नियमों के अधीन बटालियन के रूप में नामोद्दिष्ट होम-गार्ड्स में इकाई (unit) के समादेशाधिकारी (officer commanding) से है;

(ख) होम-गार्ड् के रूप में "कर्त्तव्य" या "सेवा" के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है ;

(ग) असार्वजनिक सेना के संबंध में "सेवायोजक" का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेंट या प्रबन्धक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (association) की दशा में, इसके अन्तर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव या अन्य व्यक्ति भी है जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिए प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो ;

(घ) "अत्यावश्यक सेवाओं" का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल (pioneer and engineering corps), अग्निशामक दल (fire brigades), उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत् सम्भरण अधिष्ठान का परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिए अत्यावश्यक विज्ञापित की जायें ;

(ङ) "होम-गार्ड" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप में भरती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी है ;

ऐक्ट संख्या ५, १८६१

(च) "पुलिस" का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट १८६१ में शब्द "police" के लिए दिया गया हो ;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) "असार्वजनिक सेवा" का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से भिन्न किसी सेवा से है ;

(झ) "ग्रामीण क्षेत्रों" का तात्पर्य राज्य के नागर-क्षेत्रों से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों से है ;

(ञ) "राज्य के अधीन सेवा" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १२ में यथापारिभाषित "राज्य" के अधीन सेवासे है और इसके अन्तर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; और

(ठ) "नागर-क्षेत्रों" का तात्पर्य नगरों तथा ऐसी नगरपालिका, छावनी तथा अन्य क्षेत्रों से है जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित किये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

होमगार्ड्स का संगठन

३--उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स नाम से, जिसे आगे "होम गार्ड्स" कहा गया है, एक स्वयंसेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायगा और यह ऐसी रीति से सघंटित किया जायगा जो नियत की जाय ।

श्री रघुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने जो इस खंड में संशोधन प्रस्तुत किया है उस संबंध में माननीय मंत्री जी ने सदन में अपना आश्वासन दिया है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

उनकी इस बात पर मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं कर रहा हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि नियमों में जो सुझाव हम लोग देंगे वह उन पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और मेरे संशोधन नियमों से ही सम्बन्धित हैं। अगर मेरे संशोधन पास भी हो जाते तो मंत्रीजी के आश्वासन से मेरे संशोधन पिछड़े हुए होते । तो मैं अपने संशोधन को मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

कृत्य

४--होम-गार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होंगे--

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे ;

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे ;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे,

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिये कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे; और

(ङ) वे लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

कमान्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

५—राज्य सरकार, होम गार्ड्स के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे "कमान्डेन्ट जनरल" कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायें ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ के अन्त में पूर्ण विराम के बजाय कामा लगाकर यह जोड़ दिया जाय: "प्रतिबन्ध यह भी है कि कमान्डेन्ट जनरल ऐसे व्यक्ति को ही सरकार नियुक्त करेगी जो भारतीय सेना में कम से कम करनल के पद पर सेवा कर रहा हो, या कर चुका हो, या इसी पद के बराबर के पद पर भारतीय वायु-सेना या जल-सेना में सेवा कर रहा हो या कर चुका हो ।"

मान्यवर, यह बहुत ही जरूरी संशोधन है और सदन को इसे, जरूर ही स्वीकार कर लेना चाहिये । आज हमारे सामने रक्षा दल की बात मौजूद है कि किस तरीके से रक्षा दल उभरा और चला । माननीय मंत्रीजी चाहें कुछ भी समझें और कैसे ही समझें, लेकिन रक्षा दल आज भी नहीं हैं, कहीं भी नहीं हैं चाहे कागज पर भले ही हो । गांवों में नहीं है । मंत्री जी ने खुद ही बताया कि उसका कमान्डेन्ट जनरल एक पुलिस का अफसर है । तो जब पुलिस के अफसर के मातहत रक्षा दल की यह हालत है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वह कैसे होम गार्ड्स को चला सकेगा । हम सबकी शुभकामना इस दल के साथ है और हम चाहते हैं कि यह फले फूले । दल की व्यवस्था सही तरीके से तभी चल सकती है जब कि इसके कमान्डेन्ट-जनरल फौजी होंगे जो कि इसके अन्दर फौजी अनुशासन और आत्मा पैदा कर सकेंगे ।

(इस समय ४ बजकर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए ।)

सिवाय मंत्री जी के किसी सदस्य ने भी पुलिस के ऊपर अपना विश्वास प्रकट नहीं किया है और यही समझा कि अगर पुलिस इस दल के साथ नत्थी रही तो यह दल सफल नहीं हो सकेगा । ईश्वर ऐसा न करे । तो इसका कमाडनेन्ट जनरल एक फौजी अफसर जरूर होना चाहिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, खन्ड ५ में कोई यह प्रतिबन्ध नहीं है कि फौजी अफसर न रखा जाय । हमारे यहां रीजिनल कमान्डेन्टों की जरूरत है लेकिन फौजी अफसर नहीं मिलते हैं । अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने प्रतिबन्ध लगा दिया कि फौजी के सिवाय दूसरा हो ही नहीं सकता तब तो यह योजना लंगड़ी ही पड़ी रह सकती है। मैं इस संशोधन को नहीं मानता हूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार से फौजी अफसर क्यों नहीं डेपुटशन पर ले सकते। मेरे खयाल से केन्द्रीय सरकार जरूर इस चीज की स्वीकृति देगी और फौजी अफसर भेज देगी।

*श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। उनकी योग्यता नहीं रखी है और शायद नियमों में रखने की बात जवाब में कही जाय। हम ऐसी आशंका करते हैं कि वही आई० सी० एस० और पी० सी० एस० के पिटे-पिटाये लोग रिटायर होकर कमांडेन्ट-जनरल हो जावेंगे। अपना पाप वहां से उठाकर यहां रखेंगे। वही रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की बातें यहां भी होंगी। यह विधेयक में होना चाहिये न कि नियमों में कि उनकी योग्यता क्या होगी। नियमों के लिये मंत्री जी कहेंगे कि १४ दिन के लिये सदन की मेज पर रख दिया। खड़गवासला या देहरादून का पढ़ा हुआ अफसर होना चाहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

शंका तो आदमी की बड़ी भारी हो सकती है और शंका का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्त में पूर्ण विराम के बजाय कामा लगा कर यह जोड़ दिया जाय : 'प्रतिबन्ध यह भी है कि कमान्डेन्ट जनरल ऐसे व्यक्ति को ही सरकार नियुक्त करेगी जो भारतीय सेना में कम से कम कर्नल के पद पर सेवा कर रहा हो, या कर चुका हो, या इसी पद के बराबर के पद पर भारतीय वायु सेना या जल सेना में सेवा कर रहा हो, या कर चुका हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप १ मिनट में अपनी बात कह लें क्योंकि यह साढ़े ५ बजे तक समाप्त होना है।

श्री कमलासिंह यादव—

एक मिनट का सवाल नहीं है, आपने पहले मुझे मौका नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता—

कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर सदन में जो समय निर्धारण हुआ है उसके अनुसार यह साढ़े ५ बजे समाप्त हो जाना चाहिये, जनरल डिस्कशन में ही समय अधिक लग गया, अभी आगे और संशोधन है जो पास होने हैं इसलिये आप बहुत संक्षेप में एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव ---

एक मिनट का सवाल नहीं है यह हमारे राइट्स का सवाल है और उस को हम अवेल कर रहे हैं। जिस तरह से यह धारा ५ इस विधेयक में दी है उसका मैं विरोध करता हूं। धारा ५ इस प्रकार है कि 'राज्य सरकार होम गार्ड्स के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे, "कमान्डेन्ट जनरल" कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायं।" मंत्री जी ने सदन के सामने कहा था कि कमान्डेन्ट जो होगा वह पुलिस का अधिकारी होगा।

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह मैंने नहीं कहा था।

श्री कमलासिंह यादव---

आप पुलिस के आदमी को रखेंगे वह रिटायर्ड हो या कोई हो इससे हमारा मतलब नहीं है लेकिन पुलिस से सम्बन्धित अधिकारी इस का इन्चार्ज है। अभी तक हम ने देखा कि प्रदेश में जितनी अव्यवस्था है उसका खास कारण यहां की पुलिस ही रही है और इस के लिये मैं मंत्री जी को ही जिम्मेदार ठहराता हूं और अगर मंत्री जी जो ऊपर के अधिकारी आई० जी०, डी० आई० जी या एस० पी० को ट्विस्ट करें तो नीचे के अधिकारी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं लेकिन सारी गड़बड़ी इन ऊपर के तीन कैटेगरी के लोगों की वजह से ही होती है। दौरा करते समय उन का लन्च डिनर हजारों रुपया खर्च कर के होता है और उस के लिये एस० पी० साहब ५-१० रुपये का बिल आई० जी० साहब को देते हैं, वह कहते हैं कि आप ने यह बहुत कम रखा है तो वह कह देते हैं कि आप ने तो १ रुपया का ही खाया था हम ने तो आपसे ५ रुपया ले लिया है। फिर उस के बाद यह जो हजारों रुपया खर्च होता है वह एस० पी० साहब इंसपेक्टर सब-इंसपेक्टर और हेड कांस्टेबिल के द्वारा मजबूर कर के वसूल कराते हैं और वह लोगों को लड़ा लड़ा कर १०७ के मुकदमे फर्जी चलवाते हैं और इस तरह से वह रुपया जमा होता है। इस तरह से खुद करप्शन को जारी किया जाता है इन अफसरों के जरिये से। इस तरह की पुलिस की भावना होम गार्ड्स में नहीं जाना चाहिये।

दूसरे मंत्री जी ने कहा कि पहले जो यह गड्ढे खोदे गये खरगोश के बिल उनकी जानकारी पहले मंत्री जी को नहीं थी और न अधिकारियों को थी। उस के बारे में पहली बार में नेहरू जी के मुंह से यह चीज निकली तब मालूम हुआ। नेहरू जी को जानकारी नहीं है तो कांग्रेस सरकार को भी जानकारी नहीं है और अधिकारियों को भी नहीं है। जिस तरह से नेफा और लद्दाख में हुआ कि जहां जिम्मेदारी की बात आती है तो कहते हैं कि हमे जानकारी नहीं हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से आदेश आये लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और एक दूसरे पर टालते हैं। जहां जिम्मेदारी की बात आती है यह परिपाटी पड़ गई है कि दूसरे के कन्धे पर वह डाली जाती है। मंत्री जी ने जो यह कहा कि इस सरकार ने गड्ढे बनाने के लिये खरगोश के आदेश दिये थे जिस में करोड़ों रुपया बरबाद हो गया। आज एटम बम्ब का जमाना है और ऐसे जमाने में कोई शेल्टर की जगह ऐसी होनी चाहिये जहां अपनी बचत जनता कर सके। मिलिटरी का जो अफसर होगा जिसको प्रेक्टिकल ऐक्सपीरियेंस होगा अगर ऐसा आदमी इस विभाग का इन्चार्ज बनाया जाय तो अच्छा होगा क्योंकि उसे बैटल फील्ड का तजुर्बा होता है।

श्री अधिष्ठाता ---

मंत्री जी संक्षेप में जवाब दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरगोविन्दसिंह —

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६—८

होम-गार्ड्स का अधीक्षण और प्रशासन

६—(१) होम गार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

(२) संपूर्ण राज्य में होम गार्ड्स का प्रशासन कमान्डेन्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम गार्ड्स का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के संबंध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमान्डेन्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करे।

(३) किसी क्षेत्र में जिला मैजिस्ट्रेट के संपूर्ण नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए, उस क्षेत्र में होम गार्ड्स का नियंत्रण और निदेश ऐसे अधिकारियों में निहित होगा जो नियत किये जायं।

भर्ती आदि

७—(१) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होम गार्ड के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए सक्षम हो।

(२) होम गार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण-पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे जो नियत किया जाये और जिसके आधार पर उसे होम-गार्ड के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से निहित किया जायगा तथा उसे होम-गार्ड के कर्त्तव्यों का पालन करना होगा।

(३) होम गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय।

होम गार्ड्स को बुलाना

८—इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए—

(क) जिला मैजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होम गार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिये बुला सकता है;

(ख) होम गार्ड्स का कमान्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, किसी होम गार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिये बुला सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

(माननीय मुमताज मुहम्मद खां) आप संक्षेप में भाषण करें नहीं तो बाद के संशोधनों पर गिलोटीन करना पड़ेगा ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन् मेरा संशोधन है कि खंड ६ के उपखण्ड (२) में 'निहित होगा' के आगे कामा के बजाय पूर्ण, विराम लगा दिया जाय और शब्द व चिन्ह "सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम गार्ड्स का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसका कमान्डेन्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करे ।, निकाल दिये जायं ।"

मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या सोच कर रखा गया है और क्यों रखा गया है बिल्कुल मिस्टीरियस है कि पैरलल ऐडमिनिस्ट्रेशन कायम किया जाय और क्यों किसी एरिया को नोटिफिकेशन के जरिये निकाल दिया जाय । फौजें भी जो बाहर लड़ती हैं उनका ऐडमिनिस्ट्रेशन एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है । इसलिये यह बिलकुल फिजल है और इसको हटा दिया जाय ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे यह कहना है कि स्टेट का एक कमान्डेन्ट जनरल होगा । लेकिन कभी ऐसी हालत आ सकती है कि उससे जूरिडिक्शन से कोई भू-खंड निकालने की जरूरत हो तो निकाल दिया जाय । अतः इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । मान लिया जाय कोई क्षेत्र ऐसा है जिसको जरूरी समझा जाय कि मिलिटरी कमान्ड करे और हमारा प्रदेश जो सरहद का है, ऐसी हालत आ सकती है जैसे बाराहुती है वहां लड़ाई होने लगे, तो उस एरिया को मिलिटरी कमान्ड करेगी । यही इसका मतलब है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखण्ड (२) में 'निहित होगा' के आगे कामा के बजाय पूर्ण विराम लगा दिया जाय और शब्द व चिन्ह 'सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित करदे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम गार्ड्स का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसका कमान्डेन्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करे ।' निकाल दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ६,७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९–१०

होम-गार्ड्स के अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण

९—(१) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई होमगार्ड धारा ८ के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिए या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाया जाय, तो उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राप्त हों, और ऐसे अनुमेलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट, १८६१ और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू हों मानों ऐसा होम गार्ड पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण किये था जो वह तत्समय होम गार्ड्स में किये हुए हैं। ऐक्ट संख्या ५, १८६१

(२) होम-गार्ड के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी होमगार्ड के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहां होम-गार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये।

१०—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम-गार्ड इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझा जायगा। होम-गार्ड्स लोक सेवक होंगे, किन्तु असैनिक सेवक नहीं होंगे ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

स्पष्टीकरण--होम-गार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण कोई होम गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ९ तथा १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

११—(१) होम-गार्ड, एतदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक होम गार्ड्स की किसी ऐसी इकाई में सेवा करने के लिये बाध्य होगा जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो। सेवा करने का दायित्व

(२) आरंभिक अवधि, जिसमें होम-गार्ड से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(३) प्रत्येक होम-गार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिए बुलाया जाय, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी होम गार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो।

(४) काम के लिये बुलाये गये होम-गार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(५) होम-गार्डों को साधारणतया उन क्षेत्रों में जहां वे भर्ती किये गये हों सेवा करने के लिये और केवल अंशकालिक काम के लिए बुलाया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

मुमताज खां साहब, अपने दोनों संशोधन ७ और ८ नंबर के साथ ही रख दें।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां--

ठीक है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (२) "तीन" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय तथा खंड ११ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में "राज्य के किसी भाग में"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

के बाद "या राज्य के बाहर" बढ़ा दिया जाय और "किसी भी होम गार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की जब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो", हटा दिये जायं ।

मान्यवर, इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहूंगा कि भरती होने के पश्चात् होम गार्ड में सेवा करने के लिये केवल ३ साल की अवधि रखी गयी है । हम किसी होमगार्ड के सदस्य को ट्रेन करें और जब उसे तर्जुबा हो जाये तो वह अलग हो जाय और ३ साल के बाद उसे छुट्टी मिल जाय यह गलत है । ईश्वर न करे कोई ऐसा वक्त आ जाय जब वह अपने घर पर चला जाय और नये रक्षक हमारे पास रहें तो वह ठीक नहीं होगा । लिहाजा कम से कम ५ साल का वक्त होना चाहिये ।

इसके साथ साथ, जो इसमें स्टेट से बाहर भेजने में इजाजत वाली बात है वह भी गलत है । किसी इमर्जेन्सी के वक्त कहीं भी भेजा जा सकता है । बिलफर्ज अगर वह इन्कार कर दे तो हम उसको नहीं भेज सकेंगे । यह चीज ठीक नहीं रहेगी ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, मालूम होता है कि माननीय सदस्य को यह गलतफहमी है कि यह एक वैतनिक फोर्स होगी । यह अवैतनिक फोर्स होगी । इसमें तीन वर्ष के बाद उसको रिन्यू करने का अधिकार होगा, अगर वह चाहे तो वह रहेगा । लेकिन ३ वर्ष का इसलिये रखा है ताकि उसको यह भान न हो कि हम उस पर जबर्दस्ती लादने जा रहे हैं ।

स्टेट से बाहर भेजने वाली बात में भी यही । स्टेट के अन्दर भेजने वाली बात तो बिल में प्रोवाइडेड है लेकिन स्टेट के बाहर तो हम उसी सूरत में भेज सकते हैं जब वह जाने के लिये स्वतः तैयार होगा । इसीलिये यह इजाजत वाली बात है कि अगर वह चाहे तो भेज देंगे । इसीलिये यह जरूरी है और यह रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है खंड ११ के उपखंड (२) में "तीन" के स्थान पर "पांच" रख दिये जांय; तथा

प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (३) के दूसरी पंक्ति में "राज्य के किसी भाग में" के बाद 'या राज्य के बाहर' बढ़ा दिया जाय और "किसी भी होम गार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की जब तक अपेक्षा नहीं की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो" हटा दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

सेवोन्मुक्ति, निलम्बन और त्याग-पत्र

१२--(१) कमान्डेंट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होमगार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्त या निलम्बित करने का अधिकार होगा । कोई होमगार्ड ऐसे अधिकारी को, जो नियत किया जाय एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग पत्र दे सकता है ।

(२) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक होम-गार्ड धारा ११ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम-गार्ड्स से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा ।

(३) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम-गार्ड्स का सदस्य न रह जाय, कमान्डेंट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाय या जिन्हें कमान्डेंट जनरल निदेशित करे, अपनी नियुक्ति का प्रमाण-पत्र और शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा (a coutrements), वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा ।

(४) कोई मैजिस्ट्रेट, इस प्रकार न लौटाये गये किसी प्रमाण-पत्र, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहां-जहां भी वे पाये जायें, तलाशी लेने और उन्हें अधिगृहीत करने के लिए वारंट जारी कर सकता है । इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारंट जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायगा । ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(५) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू न समझी जायगी जो कमान्डेन्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की संपत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा लगा कर यह जोड़ दिया जाय "परन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि त्याग-पत्र देने का कोई उचित या विशेष कारण होना अनिवार्य होगा ।'

इस विषय में मेरा निवेदन है कि बिल में यह दिया हुआ है कि किसी भी समय वह त्याग पत्र दे सकता है बिना किसी कारण को दिखाये तो मैं समझता हूं कि यह अनुशासन के खिलाफ है । मैं चाहता हूं कि यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय कि जब वह त्याग पत्र दे तो कारण अवश्य बतलाये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी फोर्स के लिये यह जरूरी है कि अनविलिंग आदमी न रखा जाय । वह और लोगों को भी खराब कर सकता है । अगर कोई आदमी इस्तीफा देना चाहता है तो जल्दी से जल्दी उसे हटा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा लगा कर यह जोड़ दिया जाय 'परन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि त्याग-पत्र देने का कोई उचित या विशेष कारण होना अनिवार्य होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा लगा कर यह जोड़ दिया जाय 'परन्तु किसी संकट या आपत्ति में उसको, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, या कोई और विशेष कारण न हो, किसी भी समय सेवा के लिये बुलाया जा सकता है ।'

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुमताज मुहम्मद]

इसमें यह कहीं नहीं दिया हुआ है कि कोई डिसचार्ज हो तो फिर बुलाने पर वह चाहे आये या न आये ऐसे समय जब कोई संकट का समय आये। यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि सरकार जब उनको तलब करेगी तो जब तक उचित कारण न हो या स्वास्थ्य खराब न हो उनका वापस आना अनिवार्य होगा। मैं समझता हूं कि इतना आवश्यक संशोधन यह है और सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह--

जैसा मैंने पहले उत्तर दिया यह तो कहीं नहीं है कि वह आना चाहे तो हम उसे रोक देंगे। अगर वह नहीं आना चाहता है तो जबरदस्ती हम उसे नहीं लाना चाहते एमरजेंसी के कारण। ऐसे आदमी को अगर हम लायें और उसने कहना शुरू किया कि उसे जबरदस्ती लाया गया है तो इससे दूसरों का भी उत्साह कम होगा।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री ने कहा कि यह कहां लिखा है कि अगर वह आना चाहे तो हम उसे रोक कहां रहे हैं। तो कानून स्पेसिफि ली बनता है। दूसरे अगर कोई गंभीर बात होगी और चिट्ठी उनके पास जायगी तो वह सहर्ष दौड़ेंगे, जबरदस्ती का इसमें सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

फौज के अन्दर भरती होती है और लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं तो जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके बुलाया जाता है। आखिर फौज के अन्दर भी यही कह दिया जाय कि ऐसे अनविलिंग लोगों की जरूरत नहीं है तो काम कैसे चलेगा? यह कोई बात नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा लगा कर यह जोड़ दिया जाय 'परन्तु किसी संकट या आपत्ति में उसको, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, या कोई और विशेष कारण न हो, किसी भी समय सेवा के लिये बुलाया जा सकता है।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३-१४

शास्तियां १३--(१) यदि कोई होम-गार्ड--

(क) धारा ८ के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो;

या

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी (superior officer) या अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करे या इंकार करे या जब वह काम पर हो तो होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करे; या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे : या

(घ) कायरता का दोषी हो; या

(ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अननुमत शारीरिक बल प्रयोग (unwarranted personal violence) करे; तो वह प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक की अवधि का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है। अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर धारा १२ की उपधारा (३) का पालन करने में उपेक्षा करे या उसका पालन न करे, तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(३) कमान्डेन्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (१) या (२) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायगा।

(४) बटालियन के कमान्डेन्ट के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (१) या (२) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो।

(५) जब अधिकारी से भिन्न होम-गार्ड्स का सदस्य उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, तो बटालियन का कमान्डेन्ट या ऐसा अन्य अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायगी और तदुपरान्त उक्त कमान्डेन्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात् :

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिए ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय;

(ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्ड-स्वरूप कवायद (ड्रिल) अतिरिक्त कार्य, कठोर परिश्रम (फेटीग) या अन्य काम; और

(ग) भत्तों की जब्ती।

होम-गार्ड को कार्य ग्रहण की अनुमति देने पर सेवायोजक की आपत्ति

१४—(१) उस स्थिति के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम-गार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होम-गार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होम-गार्ड के बीच हो, किसी बात के होते हुए भी उसकी कार्य अवधि ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये, जायें ऐसे सेवा योजना में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी।

(२) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम-गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(३) जो कोई उपधारा (१) या (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर पर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवायोजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान करे और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ-दण्ड हो।

(४) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक उसने किसी सम्बद्ध कर्मचारी का होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए प्रार्थना-पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवायोजन के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय होम-गार्ड्स का सदस्य होने की सूचना न दे दी हो।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (१) के भाग (ङ) के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

'या

(च) वह किसी राजनीतिक पार्टी का होमगार्ड के सदस्य रहते मेंम्बर बन जाय सक्रिय रूप से कार्य करने लगे, या

(छ) किसी चुनाव में हिस्सा लेने लगे या अपने मत का प्रभाव डालने लगें।'

ऐसे व्यक्ति को भी वही सजा मिलनी चाहिये जो इसमें अयोग्य व्यक्ति के लिये लिखी हुई है। यह संशोधन जोड़ने की जरूरत इसलिये पड़ी कि यह लोकतंत्र का मुल्क है, यहां कई राजनीतिक पार्टियां हैं। इधर के लोगों को अनुभव होगा कि जब इलेक्शन होने लगता है तो कांग्रेस पार्टी के लोग तमाम सरकारी कर्मचारियों को लगा देते हैं, तमाम सरकारी वाहन लगा दिये जाते हैं। माननीय गृह मंत्रीजी को जब जौनपुर के एलेक्शन की बात याद आती होगी तो उनको याद आता होगा कि हमने क्या किया था। यहां तो उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक पार्टी का कोई मेंबर नहीं होगा, ठीक है। मैं तो उनकी मंशा को केवल यह चाहता हूं कि लिख दिया जाय ताकि जब वे नहीं रहेंगे तो दूसरों के लिये हो जायगी। मैं चाहता हूं कि इसको जोड़कर सारे हाउस और खुद मंत्रीजी के मन्तव्य को पूरा कर दूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्रीजी बहुमत के बल पर इस बिल को पास कर ही लेंगे लेकिन अगर सचमुच इस बिल को, जैसा कि मंत्रीजी ने खुद कहा है, राजनीति से अलग रखना चाहते हैं तो इस संशोधन को मान लें, क्योंकि इन सारे संशोधनों में माननीय उमाशंकर जी का यह संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सही माने में होमगार्ड्स की संस्था को एक सेकेंड डिफेंस लाइन बनाना चाहते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य होगा कि आप इसको राजनीति से अलग रखने के लिये माननीय उमाशंकर जी के संशोधन को मानें क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे ही क्षेत्र में जो सज्जन मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गये थे, वे आज कमांडर बना दिये गये हैं और जब मंत्रीजी वहां जाते हैं तो आगे पीछे सलामी देते फिरते हैं। ठीक है, सलामी दें, लेकिन जब आम चुनाव हो तो यह नहीं कि वह होम गार्ड का बिल्ला उतार कर कांग्रेस का झंडा ले लें और वोट मांगने लगें।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह आपके, आपके राज्य के और इस बिल के हक में होगा कि इस संशोधन को आप मानें जो माननीय उमाशंकर जी ने पेश किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर वह राजनीतिक पार्टी में हिस्सा लेने लगेगें तो उसको निकाल दिया जायगा और उस पर पैनाल्टी लगेगी जिसको सेक्शन १३ में कहा गया है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मेरी दिक्कत यह है कि जहां तक हिन्दुस्तान में और जगहों पर होम-गार्ड्स ऐक्ट बना है उसमें कहीं ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है और बम्बई के ऐक्ट में तो यहां तक. . . .

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी के कहने से ऐसा मालूम होता है कि सारे सूबे के होम-गार्ड्स ऐक्ट में भी यही धारायें आई होंगी, क्या ऐसी बात है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा कर बैठ जाइये वह आप की बात का ध्यान रख कर उत्तर दे देगें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि यह तरीका खराब है कि कोई बोल रहा है और वे खड़े हो कर बोलने लगें. . .

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मंत्री जी ने आप का काम कब से करना शुरू कर दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जाइये। मैं स्वयं कह रहा था।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि मेरी दिक्कत यह है कि किसी जगह के इस ऐक्ट में यह प्रतिबंध नहीं लगा है और बम्बई में तो यहां तक है कि लेजिस्लेचर का मेम्बर भी इसमें आ सकता है। दिक्कत यह होगी कि अगर होम-गार्ड्स में कोई आदमी आये तो वह क्या करता है, किसी पार्टी का मेम्बर तो नहीं है इसको जानने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाय तो यह चीज नामुमकिन और इम्प्रैक्टीकेबिल हो जायगी। अगर किसी ने दरख्वास्त दे दी कि फलां फलां पार्टी का मेम्बर है तो बड़ी दिक्कत हो जायगी और इंक्वाइरी बिठाते फिरो। इससे हम जो काम जल्दी करना चाहते हैं उसके रास्ते में दिक्कत पैदा होगी। इसलिये मैं कोई ऐसा प्रतिबन्ध ऐक्ट में नहीं लगा सकता हूं कि वह किसी पार्टी का मेम्बर न हो। आप लोग अपनी पार्टी की तरफ से ऐसा कर दें कि वह मेम्बर न हो तो बात दूसरी है, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ा रहा हूं, इसलिए कि इस बिल को आज पास होना है। विरोधी दलों से मैं उम्मीद करता हूं कि वे सहयोग देगें। आज नियम ५० के अन्तर्गत एक प्रश्न पर भी बहस होना है। इसके अलावा सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग है और पार्लियामेंटरी एसोशिएशन की भी एक्जीक्यूटिव की मीटिंग है। इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि निर्धारित समय से १५ मिनट जो मैं ज्यादा दे रहा हूं उसी के अन्दर यह समाप्त हो जाय।

श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, पहले तो गृह मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि किसी राजनैतिक पार्टी का कोई मेम्बर न रहे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, यह मैंने नहीं कहा, यह कहा है कि होम-गार्ड्स की जो आर्मी है उससे इलेक्शन वगैरह में कोई काम लेना मुनासिब बात नहीं है। यह मैंने कहा था और अब भी उस पर मैं दृढ़ हूं।

*श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी के कहने का मतलब यह समझूं कि वह राजनीतिक पार्टी का मेम्बर रहे लेकिन इलेक्शन में वह भाग न ले, यानी मतलब यह है कि वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। आपने एक उदाहरण दिया कि बम्बई का लेजिस्लेचर भी रह सकता है। लेजिस्लेचर का मेम्बर तो गांव सभा में प्रधान रह सकता है, वह तो स्वतंत्र है, लेकिन होम गार्ड स्वतंत्र नहीं है। वह आप के अफसर के मातहत रहेगा। उसके हुक्म का पालन करेगा। इस बिल में जरूर व्यवस्था होनी चाहिए कि होम-गार्ड का जो सदस्य हो वह किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। इस मुल्क में जनतंत्र को कैसे पनपाएं, असली मकसद तो यह है। मेरे इस संशोधन से जनतंत्र की रक्षा होती है। मैं आप का विश्वास कर जाता, मगर मैं रोज देखता हूं कि जब एलेक्शन हुआ तो कायदे कानून में आप सरकारी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन सरकारी आदमी नहीं ले सकते। जितने सरकारी आदमी हैं सब एलेक्शन में ले जाते हैं और हम लोगों का विरोध करने लगते हैं। उनके लिये जैसे आप हैं वैसे हम हैं, लेकिन व्यवहार में यह बात नहीं होती है। उसके बाद आप कसर निकालने लगते हैं। जो आदमी आपकी चुनाव में मदद करते हैं उन्हीं आदमियों को, उन्हीं में से कानूनगोओं को, सेक्रेटरियों को, बी० डी० ओ० को और दूसरे कर्मचारियों को ढूंढ़ ढूंढ़ कर के तरक्की देने लगते हैं। जो जेनुइन आदमी तरक्की के हकदार हैं उनको तरक्की नहीं मिलती, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस हाउस को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आप को इसके मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये, अगर आपत्ति है तो यही आप समझते हैं कि आप उसी के बल पर कायम हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कत है। जो प्रपत्र इसके साथ है अगर उसमें बढ़ा दें कि वह आदमी डिक्लेयर करेगा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के मेम्बर नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि इतना काफी है। यह अक्ल की बात है। मगर अगर उसकी तह में कोई दूसरी बात है और दूसरा आर्गनाइजेशन करना चाहते हों एक पार्टी का तो दूसरी बात है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, अगर वह झूठ लिख देता है तो हम उसकी जांच करते फिरें, वह मैं करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खंड १३ के उपखंड (१) के भाग (ङ) के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

'या

(च) वह किसी राजनीतिक पार्टी का होम-गार्ड के सदस्य रहते मेम्बर बन जाय सक्रिय रूप से कार्य करने लगे, या

(छ) किसी चुनाव में हिस्सा लेने लगे या अपने मत का प्रभाव डालने लगें।'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में .. ३१,
विपक्ष में .. ७३।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुमताज मुहम्मद खां, अब मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप सिर्फ अपना संशोधन पेश कर दीजिए, उस पर कोई भाषण मत दीजिए।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कल्पनाथसिंह, आप से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आप केवल अपना संशोधन पेश कर दीजिये और भाषण न दीजिए।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैंने सवेरे से कोई भाषण नहीं दिया है और न कोई संशोधन पेश किया है। अब इस वक्त यह एक संशोधन पेश करने खड़ा हुआ हूं तो आप यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भाषण की स्वतंत्रता रहनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

वह तो है। लेकिन यह मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप तो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण करते रहते हैं और बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन जब पेश हुए तब आप यहां रहे नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, अपनी अपनी निगाह का अन्तर होता है। अगर आप की आज्ञा है तो मैं उसे शिरोधार्य करता हूं। मैं इतनी ही बात कह देना चाहता हूं कि मैं इसे पेश करता हूं--खंड १३ का उपखंड (५) (ग) निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १३ का उपखंड (५) (ग) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १३ और १४ इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

नियम और विनियम

१५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और इसके उपबन्धों को सामान्य तथा प्रभावी बनाने के लिये नियम बना सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) होम-गार्डों का संघटन, उनकी अर्हताएं, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति जिसके अनुसार वे सेवा के लिए बुलाये जायें या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाय;

(ख) धारा ९ की उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए होम-गार्डों द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होम-गार्डों तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता ;

(ग) होम-गार्ड्स के साथ, उत्तर प्रदेश रक्षक दल और अन्य वर्तमान दलों का पूर्णतः या अंशतः एकीकरण और उनके सदस्यों का होम-गार्ड्स में संविलयन;

(घ) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्ध के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमान्डेंट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान, और

(च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (Annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(श्री दीनदयाल करवरिया की अनुपस्थिति में श्री मुरलीधर कुरील को मूव करने के लिये बुलाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

ये इसको पेश नहीं कर सकते। पेश करने वाले जब यहां पर नहीं हैं तो यह नियम के विरुद्ध होगा कि इनको इजाजत दी जाय। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य को संशोधन मूव करने की आज्ञा न दी जाय।

श्री रघुनाथसिंह—

हमने भी इस तरह से एक बार मूव किया था पर वह नहीं माना गया और हमको सदन त्याग करना पड़ा था। हमारा वह संशोधन नहीं माना गया।

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रकार से संशोधन की बात मानी जाना तो अच्छी परिपाटी है । इससे आप भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यदि एक बार हो जाती है तो वह आगे के लिये एक परम्परा बनती है। इसलिये आप को इसमें प्रसन्नता होनी चाहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या यह नई व्यवस्था आप कर रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

मैं उनको बुला चुका हूं कि वह पेश करें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ का उपखंड (२) (ग) जो इस प्रकार है:

'होम-गार्ड्स के साथ उत्तर प्रदेश रक्षक दल और अन्य वर्तमान दलों का पूर्णतः या अंशतः एकीकरण और उनके सदस्यों का होम-गार्ड्स में संविलियन'; हटा दिया जाय ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १५ का उपखंड (२) (ग) जो इस प्रकार है:

'होम-गार्ड्स के साथ उत्तर प्रदेश रक्षक दल और अन्य वर्तमान दलों का पूर्णतः या अंशतः एकीकरण और उनके सदस्यों का होमगार्ड्स में संविलियन' हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १-२

प्रथम अनुसूची

[धारा ७ (२)]

घोषणा का प्रपत्र

मैं ----------अ त्मज----------निवासी ----------एतद्-द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में जिसके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को मैंने पूरी जानकारी से ग्रहण किया है भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बढ़ाई गई अवधि में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया। मैं होम-गार्ड्स के सदस्य के कर्त्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से

करूंगा और अपने जीवन का जोखिम होते हुये भी सदैव भारतीय संविधान तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए उद्यत रहूंगा।

हस्ताक्षर ।

पता--

द्वितीय अनुसूची

[धारा ७ (२)]

नियुक्ति के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

नाम----------आत्मज----------निवासी----------को उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ की धारा ७ (२) के अधीन उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह वैधतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाये जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, १८६१ और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

नियुक्ति का दिनांक----------

स्थान----------

दिनांक---------- नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुसूची १ और २ इस विधेयक के अंग मानी जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अध्यक्ष प्रदेश सभा

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप ने १५ मिनट का समय बढ़ाया था। वह समाप्त हो गया है इसलिये इस विधेयक का काम अब आगे नहीं चलना चाहिये। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो काम बाकी है उसे कल होना चाहिये।

मुख्य मंत्री के सभा (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(ध्वनि)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं नियम १६ की ओर आप का ध्यान दिलाता हूं कि अब इस समय और आगे समय बढ़ाने का मौका नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने अपने अधिकार से सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया था और इसके समाप्त होने के पहले आप की ओर से प्रस्ताव समय बढ़ाने के लिये आना चाहिये था। आपने जब प्रस्ताव पेश किया है उस के पहले आपत्ति आ चुकी थी कि सदन का समय पूरा हो चुका है और इसलिये अब आप का प्रस्ताव नहीं आ सकता। अब इस विधेयक पर कल विचार होगा। अब सदन का दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा।

बिन्दकी, जिला फतेहपुर में खत्तियों में गेहूं सड़ जाने से सरकार को क्षति के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह सदन की परम्परा रही है कि नियम ५० का नोटिस दो दिन पहले सदस्यों को मिल जाता रहा है, लेकिन इसकी स्वीकृति की सूचना मुझे आज सबेरे ९ बजे मिली है और शायद आज ही मंत्री जी को भी मिली होगी। इस कारण जो बहुत से आंकड़े इस सम्बन्ध में इकट्ठे किये जा सकते थे, वह मैं नहीं इकट्ठे कर सका। कायदे से दो दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिल जानी चाहिये थी। अगर वैसा होता तो सरकार के समक्ष बहुत से तथ्य रखे जा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने जो उत्तर दिये हैं उनसे ही मैं इस बात को कोशिश करूंगा कि इस प्रान्त में भ्रष्टाचार किस हद तक पनप रहा है और वह समाप्त नहीं किया जा सकता अगर सरकार की यही नीति रही। मैंने ९ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न ९ में खाद्य मंत्री जी से पूछा था कि जुलाई, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक १५,००० मन गेहूं क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही से खराब हुआ और जिसकी कीमत ढाई लाख रुपया सरकार को लिखी गयी थी। अब आप सरकार के उत्तर पर गौर करें। सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ७८ खत्तियां खोदी गयीं १९६१–६२ के बीच। सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ३,६५४ मन गेहूं खराब गया और उसका कारण बताया कि वहां पानी आ गया था। उसकी कीमत सरकार के कहने के अनुसार ४० हजार बतायी जाती है। लेकिन सरकार ने अपने उत्तर में इस चीज को जान-बूझ कर छिपाने की कोशिश की कि वहां के मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने उसके पूर्व यह सूचना दी थी कि उन खत्तियों में पानी आ जाने का भय है इसकी सूचना उसको मिली। सरकार ने यह भी बताया कि कुछ गेहूं नमी के कारण भी खराब हुआ। श्रीमन्, वहां के इन्सपेक्टर ने यह सूचना सरकार को पहले ही दी थी कि उन खत्तियों में पानी आ जाने का अंदेशा है जिसके कारण

[श्री लखपत राम शर्मा]

गेहूं खराब हो जायेगा। मगर सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इस सूचना के बाद सरकार ने इस गेहूं को बचाने के लिये क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं।

श्रीमन्, आप जरा गौर करें कि सरकार ने इस सूचना के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। मेरी सूचना के अनुसार ढाई लाख रुपये का गेहूं खराब हुआ और वह बचाया जा सकता था। इस संबंध में सरकार ने गलत जवाब देने की कोशिश की है। मैं आप को बताता हूं कि ढाई लाख रुपये का गेहूं खराब हुआ है, लेकिन सरकार ने ४० हजार का स्वीकार किया है। मार्केटिंग इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर अगर सरकार ध्यान देती तो इस गेहूं को बचाया जा सकता था। उसकी रिपोर्ट के बाद भी यह नहीं बचाया जा सका, यह बड़े दुःख की बात है। इस सरकार की नजरों में ढाई लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर श्रीमन्, प्रश्न रुपये का नहीं है, उस प्रान्त के लिये जहां पर गेहूं १ सेर ९ छटांक और डेढ़ सेर का बिक रहा हो वहां पर इतना गेहूं खराब हो जाये सरकार की लापरवाही के कारण तो यह बड़े दुख की बात है। इतने गेहूं से हजारों आदमियों को बचाया जा सकता था। जब प्रदेश में भुखमरी का यह हाल है खाद्य मंत्री अगर किसी मिठाई की दूकान पर जाकर देखें तो उन्हें पता होगा कि जब कोई मिठाई खाकर पत्ता फेंक देता है और जिसे चाटने के लिये कुत्ता झपटता है, उसी के लिये हमारे यहां फुटपाथ पर सोने वाला मानव भी उस पत्ते पर लगी कुछ चीज को खाने के लिये झपटता है— तो उस प्रदेश के लिये यह गेहूं कितने काम का हो सकता है, यह सोचने की बात है। जिस सूबे की यह हालत हो, जहां जूंठे पत्ते चाटने के लिये इन्सान कोशिश करे, वहां ढाई लाख रुपये का गेहूं इस तरह से बरबाद हो जाय, यह इस सदन के लिये विचारने योग्य बात है।

मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बतायें कि जब मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने इस बात की सूचना दी कि खत्तियों में पानी आने का भय है तो उन्होंने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की? वह अपनी फाइल में देख लें और फिर बतायें कि उन्होंने क्या कार्यवाही की जिसके कारण १३ खत्तियों में पानी भर आने के कारण गेहूं खराब हुआ और ६५ खत्तियों में सरकार ने बताया कि नमी के कारण खराब हुआ, सरकार इसे स्पष्ट करे? मैं एक चीज और निवेदन करूंगा कि वहां पर नमी थी और सीलन थी और १३ खत्तियों का ४० हजार रुपये का गेहूं खराब हो चुका था तो ६५ खत्तियों के गेहूं को उस नुक्सान से बचाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अगर उन ६५ खत्तियों के गेहूं को समय से निकाल लिया जाता तो शायद इतनी लम्बी रकम और माल का नुक्सान न होता और गेहूं गरीबों के लिये बच जाता। जिस प्रदेश में आदमी और जानवर का कोई अन्तर न रह गया हो और जहां दोनों में से बचा अंश चाटने के लिये सड़क पर जानवर और आदमी साथ साथ दौड़ते हों, वहां ढाई लाख रुपए का १५ हजार मन गेहूं इस तरह से बरबाद होने दिया जाय और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय यह भ्रष्टाचार और लापरवाही को खुले आम बढ़ावा देना ही होगा। यदि मंत्री जी के उत्तर सदन में साफ साफ आया करें और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जिनकी गलती हो कार्यवाही की जाय और उनकी रक्षा न की जाय तो इस दल या आप के दल के सभी लोग आप का समर्थन करेंगे। इस तरह से अगर उनको सपोर्ट मिलती है तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, जब वह सत्ताधारी दल की ओर से इस तरह के उत्तर दिये गये सुनते हैं। मैंने साफ साफ कहा कि यह १५ हजार मन गेहूं खराब हुआ है और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट देख ली जाय लेकिन उत्तर यही दिया गया कि ४० हजार का नुक्सान हुआ है। हम चाहते हैं कि साफ और सही उत्तर हमारे सामने दिये जायं और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप यह देखें कि इसके ऊपर आधा घंटे का ही समय होता है और आप के अलावा दूसरे माननीय सदस्य भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, अभी मंत्री जी का जवाब भी होगा, आप जल्द अब समाप्त करें ताकि औरों को और आप की बात का भी उत्तर मिल सके।

श्री लखपत राम शर्मा--

यह जुलाई, १९६१ से ६२ तक की खत्तियों की बात थी और उसके बाद जब सरकार को सूचना मिल गयी तब भी ९ दिसम्बर का अब भी उत्तर ह कि विभागीय कार्यवाही हो रही है। यह हालत है। हम लोग यहां ५ साल के लिये आते हैं और आप भी आगे रहेंगे या न रहेंगे इस तरह से तो हमारा आपका समय भी समाप्त हो जायगा और उत्तर नहीं मिलेगा और विभागीय भ्रष्टाचार इसी तरह से चलता रहेगा और जनता का नु सान होता रहेगा। इस तरह से तो हम उनके हाथ और मजबूत करते हैं और इसका असर यह होगा कि प्रदेश की हालत खराब हो जायगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आप का ही प्रश्न है, आप कोरम का सवाल उठायेंगे तो आप का ही नुक्सान होगा।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय लखपत राम जी के भाषण को मैंने सुना, उन्होंने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार ही जो उन्होंने लिखा है जुलाई १९६१-६२ तक उत्तर दिया गया, यह किसी ने नहीं कहा कि कुल इतना ही खराब हुआ और ज्यादा नहीं हुआ। उन्होंने एक निश्चित सवाल के अन्तर्गत इत्तिला मांगी थी और उसका उत्तर उतने समय का ही दिया गया। वह ४० हजार का नुकसान हुआ। १९५९-६० में १०४ तथा ५१ खत्तियों की बात थी और कुछ और भी खराब निकला। वह नुकसान बाद का और पहले का है। जितने समय का उन्होंने मांगा वह नुकसान उतने ही समय का दिया गया उससे पहले का भी या बाद का है। इस तरह से आप की बात भी ठीक है और हमारा उत्तर भी ठीक है। पुराना जो, प्रतिशत हमने निकाला है वह ०.९ के करीब पड़ता है, पुराना जो खराब अंश निकला उसकी खत्तियां खोलने के बाद जो खराब निकला उसमें सिर्फ इतना ही खराब गया। यह १९ खत्तियों का है जो आपने पूछा था उसमें ३२.७ प्रतिशत पड़ा और दोनों मिला कर ४.४० प्रतिशत खराब पड़ता है। तो निजी दूकानदार समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत छीजन वह मानते हैं। तो उसको नीलाम करके रु०१३,२००.४१ नया पैसा वसूल हो गया। मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने सूचना दी थी कि पानी आ गया है खत्तियों में तो इसमें छिपाने की क्या बात है। लोक लेखा समिति में इस सम्बन्ध में जवाब तलबी हुई। अब यह देखा जा रहा है कि इसके लिये कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, और उनकी तनख्वाह से वसूल होने के लिये, इसमें जो प्रोसीजर अडाप्ट किया जाना है वह किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द यह काम खत्म होने वाला है। माननीय लखपत राम जी ने कहा कि इसको छिपाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये हो रही है, वित्त विभाग में जायगा यह जानने के लिये कि कितना परसेंटेज उनकी तनख्वाह से काटा जाय। इसलिये सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है और जो पकड़ में आ जायगा उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मंत्री जी सदन को सैंकड़ेबाजी से गुमराह न करते हुए बतायेंगे कि कितने हजार मन गल्ला सड़ा और उसकी कुल कीमत कितनी थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कई बार बता चुका हूं-पहले प्रश्न के उत्तर में है कि उस समय ७८ खत्तियां खोली गई थीं और उनमें गेहूं था ५१,४७८ मन २४ सेर २ छटांक। इसमें से अच्छा गेहूं निकला ४८,६६७ मन २० सेर और खराब हुआ ३,६५४ मन १० सेर। तो इसमें ४०,००० रु० का नुकसान हुआ। यह मैं पुराने वाला बता रहा हूं जो माननीय सदस्य ने पूछा नहीं था। १०४ खत्तियां और थी। १९५९-६० में ५१ खत्तियां और भरी गई थीं, १९६०-६१ में ३६ खत्तियां नई खोली थीं जिसमें कुल ५४,५५५ मन १८ सेर गेहूं रखा गया था। कुल गेहूं रखा गया था १,२३,६११ मन, जिसकी कीमत होती थी १७,९२,३५९ रु० ५० नया पैसा। इसमें से जैसा मैंने बताया लगभग, १८,००० रु० जिसमें ४०,००० रु० सम्मिलित है, का नुकसान रहा, १३,००० रु० वसूल होने के बाद।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उन्हें मालूम हो गया कि ५९ में नुकसान हुआ तो आगे नुकसान न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये डेटरेंट कार्यवाही हो रही है मगर आगे के लिये भी यह आदेश हो गया है कि कच्ची खत्तियों में न रखा जाय। पुराना जो सिस्टम है उसको बदला जा रहा है। सब आर० एम० सीज० को अधिक प्रिकाशंस बरतने के लिये आदेश दे दिये गये हैं और यह कहा गया है कि रेनी सीजन से पहले हर एक खत्ती को देख लिया जाय और बीच-बीच में भी देखते रहें। यह सारे आदेश चले गये हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी ने बताया कि जो नुकसान हुआ है वह जिम्मेदार लोगों की तनख्वाहों में से काटा जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि १ लाख ५ हजार का नुकसान कैसे उनकी तनख्वाहों से पूरा वसूल हो सकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जो कार्यवाही करनी पड़ती है उसको करेंगे। उनके पे का कितना परसेंट कट सकता है उतना कटेगा। उसमें जितना हो सकता है होगा। यह तो होगा नहीं कि उनकी सारी तनख्वाह कट जाय और वह मुफ्त में काम करते रहें लेकिन जितना वसूल होगा नियमों के अन्दर वह जरूर किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

जो गेहूं सील गया वह ह्यूमेन कंजमप्शन के लिये सेल किया गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह ७८ खत्तियों का भी था उनमें ७८ हजार कुल टोटल नुकसान हुआ और उसमें से १३ हजार के करीब नीलाम से वसूल हुआ किन्तु इस ७८ हजार में जितना वसूल हो सकेगा वह हो जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैंने यह पूछा था कि जो गेहूं खराब हुआ वह किन लोगों के हाथ सेल किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने यह जानने की कोशिश की और यह पता चला कि वह जानवरों के खाने के लिये वहीं के लोगों में नीलाम कर दिया गया।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सही है कि वहां के अधिकारियों और मार्केटिंग इंस्पेक्टर में षड्यंत्र चल रहा था और इन्स्पेक्टर को बदनाम करने के लिये उच्चाधिकारियों ने कोई साजिश की और इसके कारण यह गल्ला खराब कराया गया ? क्या मंत्री जी इस पर विचार प्रकट करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी इन्क्वायरी की रिपोर्ट मेरे सामने आवेगी, आने वाली है तब पता चलेगा मगर मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर ने तो अपनी रिपोर्ट दे ही दी है। अब ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर उस गल्ले की जिम्मेदारी शायद थोपी जा सकेगी।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी ने अभी बताया कि पानी आ जाने के कारण गल्ला सड़ गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पानी आने से पहले अधिकारियों के पास क्या कोई सूचना थी ? यदि हां, तो क्या थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसी सूचना मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने अपने अधिकारियों के पास भेजी थी या नहीं कि पानी आ गया है यह मालूम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

वह यह जानना चाहते हैं कि पानी आने से पहले कोई सूचना थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कोई सूचना नहीं थी।

श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह गेहूं जो मवेशियों के खाने के लिये दिया गया था वह किन-किन के मवेशियों को दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

लखीसिंह जी जैसे काश्तकारों के वे मवेशी रहे होंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट दी तो वह रिपोर्ट सब से पहले किस अधिकारी को दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह सब जांच के अन्दर है।

श्री उग्रसेन--

मऊरानीपुर में गल्ला स्टोर किया गया था और वहां हैजा हो गया था। खाद्यान्न में सड़ा अनाज मिला था जिससे बीमारी फैली तो वहां पर इसको रोकने का क्या इन्तजाम हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने नहीं सुना कि वहां पर कोई बीमारी फैली। गल्ला फूल गया था तो जानवरों को खिलाने के काम में लाया गया।

श्री लखपतराम शर्मा--

यह केस प्रथम बार नोटिस में कब आया और माननीय मंत्री जी ने कब जांच के लिये आदेश दिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। वैसे मोटे तौर पर साल भर होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस सिलसिले में कितने अधिकारियों को आपने मुअत्तल किया या सजा दिलाई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब वह फाइल मेरे पास आ जायगी और इंक्वायरी हो जायगी तो मैं बतला दूंगा।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--

यह जो इंक्वायरी हो रही है यह कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मेरा अन्दाज है कि लगभग एक माह के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जांच विभागीय है या कोई खास कमेटी कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह विभागीय जांच ही हो रही है।

श्री कमलासिंह यादव--

जो निर्णय अन्त में सरकार लेगी उसे सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आम तौर पर नहीं किया जाता। कोई सवाल पूछा जायगा तो रख दिया जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

जो सड़ा गेहूं नीलाम किया गया उसकी कीमत कितनी जमा हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१३ हजार बतलाया जा चुका है।

श्री उमाशंकर--

मेरा सवाल यह है कि सड़ा हुआ गेहूं जो नीलाम किया गया था उसकी कीमत क्या जमा हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वही मैंने बतलाया कि १३ हजार रुपये के लगभग वसूल हुई।

श्री उमाशंकर--

आपने तो कहा था कि अधिकारियों की तनख्वाह से १३ हजार वसूल हुए ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने पर जिस पर जितना लग सका वह वसूल किया गया। कोई फायदा तो उसमें होगा नहीं। थोड़ा रुपया ही वसूल हुआ। नीलाम करने पर जो रुपया वसूल हुआ वह जमा कर दिया गया।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

मार्केटिंग इंस्पेक्टर बिन्दकी में जो थे वे बड़े ईमानदार थे और इसके कारण उनको गांधी कहा जाता था। जब मार्केटिंग इंस्पेक्टर तथा अधिकारियों के बीच में आपस में कोई सामंजस्य पैदा नहीं हो सका तो उच्च अधिकारियों ने सेठों से मिल कर इस तरह की साजिश की, क्या यह बात सच है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह जो विचार आप व्यक्त कर रहे हैं मुमकिन है उसमें कुछ तथ्य हो, लेकिन जब मुझे आपने इत्तला दी है तो रिपोर्ट को मैं इस नुक्तेनजर से भी देखूंगा।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि खत्तियों से उनको इतने मन गल्ला मिला तो इस बात को सूचना मान कर क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि खत्तियों से गल्ला कम नहीं निकला बल्कि पहले ही कम भरा गया था और सड़ा हुआ बतला कर उस कमी को छिपाया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। रिपोर्ट देखने पर वह पता चलेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मंत्री जी ने कहा कि जितना नुकसान हुआ है वह जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनसे वसूल किया जायगा उनकी तनख्वाहों में कटौती कर के। तो क्या सरकार यह निश्चय कर चुकी है कि दोषी पाये जाने वाले अधिकारी नौकरी में जरूर रखे जायेंगे ताकि उनसे रुपया वसूल किया जा सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें दो, तीन बातें होती हैं। किसी को सजा होती है, कोई निकाला जाता है, किसी की तनख्वाह से वसूलयाबी होती है, किसी की पेंशन से भी कटौती होती है। अब जो माकूल सजा पाने का अधिकारी होगा वही तो दी जायगी।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय लखपतराम जी के प्रश्न उठाने के पहले भी सरकार के यहां रिपोर्ट है कि पिछले कई सालों से नुकसान होता चला आ रहा है, तो इस जानकारी के बावजूद सरकार ने इन खत्तियों का इस्तेमाल क्यों किया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ये सब चीजें उस जांच के अन्दर आ रही हैं।

श्री उग्रसेन--

इस बातकी हमारी जानकारी है और मंत्री जी भी जानते होंगे कि वे खत्तियां ऊंची जगह पर थीं और रिपोर्ट यह आयी कि उनमें बहुत पानी भर गया तब गल्ला सड़ गया। तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि क्या यह सही है कि पानी भरा नहीं बल्कि ऊपर से पानी डालकर कह दिया गया कि गल्ला सड़ गया और पैसा मार लिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मेरा खयाल है कि जब सब अधिकारियों पर इसकी चोट पड़ेगी तो वे ऐसा क्यों करेंगे जो अपने गले को आप फंसायें ।

श्री सुरजन राम विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उन कर्मचारियों और अफसरों को सस्पेंड करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

असल में चार्ज में तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के था। मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने सूचना दी थी। अब वह किस अधिकारी को दी थी, उसने क्या किया क्या नहीं किया यह तो सारी रीजनल स्टाफ पर बात जाती है।

श्री उग्रसेन--

अगर मंत्री जी के कोई रिश्तेदार न हों तो उनको सस्पेंड करने की कृपा करें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चूंकि अब आखिरी बात हो गयी ।सस्पेंड होते तो शुरू में होते। इस वक्त तो फाइनल काम होने को है। मेरा रिश्तेदार तो कोई नहीं है लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कहना कुछ शोभा नहीं देता ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३५ पर)

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित योजनाओं से लाभान्वित होने वाले जिलों की सूची

पूर्वी जिले	पश्चिमी जिले
१—जौनपुर	१—मुजफ्फरनगर
२—गोरखपुर	२—मेरठ
३—देवरिया	३—बिजनौर
४—बस्ती	४—हरदोई
५—आजमगढ़	५—मुरादाबाद
६—गोंडा	६—सीतापुर
७—फैजाबाद	७—रामपुर
८—वाराणसी	८—बाराबंकी।
९—गाजीपुर	
१०—बलिया	
११—सुल्तानपुर	
१२—इलाहाबाद।	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४० पर)

सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर के अन्तर्गत नलकूप खण्ड, गोरखपुर में इस समय कुल १४ पतरौल हैं जो नीचे लिखे स्थानों पर काम कर रहे हैं :

स्थान	पतरौलों की संख्या
१—रामगढ़ नहर, गोरखपुर	२
२—विभिन्न जिलेदारी के कैम्पों में	३
३—छितौनी बांध, भैंसहा	४
४—नहर, श्रीनगर	१
५—डांडा नहर, नौतनवां	१
६—रोहिन नहर	३
योग ..	१४

विभाग की ओर से पतरौलों के रहने की व्यवस्था किये जाने का कोई नियम नहीं है फिर भी विभाग जहां आवश्यक समझता है, उनके रहने की व्यवस्था कर देता है। उपरोक्त पतरौलों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४२ पर)

तुलनात्मक तालिका

१९५६ में जारी किये गये राजाज्ञा के अनुसार राजनैतिक पीड़ितों की योजना--

१--आश्रितों के परिभाषा की परिधि में विधिवत् विवाहित पत्नी, सौतेले पुत्र, मृतक पुत्र की संतान, पितृहीन भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी तथा पितृहीन भाई व बहिन आते थे।

२--छात्रवृत्ति की संख्या तथा दर निम्नांकित थे :--

कक्षा		संख्या	(दर रु० प्रति माह)
१से ५	..	२४०	५
६से८	..	१८०	८
९से१०	..	१४०	१२
११से१२	..	१८५	२०
डिग्री कक्षायें	..	११०	३०
उत्तर डिग्री कक्षायें	..	६०	३५
शोध	..	६	५०
योग	..	९२१	

३--अनावर्त्तक अनुदान के अन्तर्गत १ से ५ तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को रु० २० प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

४--राजनैतिक पीड़ितों की परिभाषा में आजाद हिन्द फौज के सैनिक नहीं आते थे।

१९६१ में जारी किये गये राजाज्ञा के अनुसार परिवर्तन--

१--इस योजना के अनुसार 'आश्रित' शब्द की परिभाषा के परिधि में केवल सौतेले पुत्र, गोद लिये संतान तथा पूर्वमृत पुत्र के संतान आते है।

२--छात्रवृति की संख्या तथा दर निम्नांकित है :--

कक्षा		संख्या	(दर रु० प्रति माह)
६से८	..	१५०	८
९से१०	..	१००	१२
११से१२	..	२४८	२०
डिग्री कक्षायें	..	१५२	३०
उत्तर डिग्री कक्षायें	..	१२०	३५
शोध	..	१२	५०
योग	..	७८२	

३--इस योजना के अन्तर्गत ऐसे छात्रों को कोई अनावर्त्तक अनुदान नहीं दिया जाता।

४-- इस योजना के अनुसार राजनैतिक पीड़ितों की परिभाषा में आजाद हिन्द फौज के सैनिक तथा गोआ स्वातंत्र्य संग्राम में भाग लेने वालों को भी सम्मिलित किया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५३ पर।)

ENQUIRY REPORT IN REGARD TO TRAIN-BUS COLLISION ON LAKHIMPUR-GOLA ROAD

A collision between the passenger Train coming from the side of Gola in the direction of Lakhimpur, and U. P. Government Roadways bus No. 4040 UPM going from Lakhimpur to Gola took place at the level crossing near Gumti no. 136/B on June 19, 1960. As the result of this collesion the Bus was thrown back from the track and was completely destroyed. Almost every person travelling by that Bus received injuries. Fortunately there was no fatal case.

I inspected the place of occurrence on July 3, 1960. The sketch map is attached with this report. This level crossing is situated in the heart of a forest and the forest is so dense that neither the driver of the train nor the Bus can see the approaching Bus or train unless the Bus is within the boundary of Railway track. The approach of the crossing from the side of the road is blocked by two gates on either side of the track. Those gates are almost the width of the road itself and in order to avoid crash with them the driver of a modern Bus as are plied on this road must slow down, otherwise there remains the possibility of scratching the body of the Bus by the pillars of the gates. The level of the ground across the track and between the two gates was also uneven. The gates were of the type which opened towards the track when approach from the road to the crossing was to be opened. Both of them were connected by a mechanical device in such a way that if one of the doors was closed to restrict the approach from the track to the road side, the other gate must necessarily automatically get closed. There was one safety catch attached to each of the gate and it was practically impossible to close the gates without removing those safety catches. The distance between the gates on either side and the track was sufficient to contain a Bus whose length of body is approximately 29 ft.,but the distance was not so great so as to keep the Bus away from the track if the door was in the process of being closed. There was no signal on either side of the crossing to warn the engine drivers of the trains in case the gate was not closed. The Gumti was not connected with the nearby Railway station of Gola Gokarannath either by telephone or by telegraph.

I recorded the statement of the driver of the ill-fated Bus and several passengers who were travelling by that Bus. According to them when the Bus was approaching by the level crossing the gates were open, the gateman was not visible either standing or attempting to close the gate, the sound of approaching train was not detected by any of them probably due to the sound created by the Bus itself due to its motion and there was no whistle from the coming train to warn the persons or vehicles intending to cross the track at that level crossing. The driver of Bus Sri Ahmad Ali also stated that in order to avoid contact with the narrow gate and jerk due to uneven surface between the two gates, he slowed down his Bus when he approached the level crossing, that as the gate was open, he attempted to pass through the level crossing, and when he had entered the gate on the side of Lakhimpur he saw the gateman making a hurried attempt to close the gate on the side of Gola Gokaranath, that the gateman while attempting to close the gate also motioned him to take the Bus back, that when he saw the gateman in this frantic

attempt to close the door, he looked towards his either side and saw the train coming from the side of Gola Gokarannath, seeing that he could not cross the level crossing as the gate was being closed in front of him he attempted to drive back as directed by the gateman, that the Bus drew back only for a few paces and then could not go back any further as it collided with some object towards the back, and that in the meantime train reached there, a collision occurred and the Bus was overturned. This statement of the driver of the Bus was supported by some of the passengers whose statements were recorded during the course of the present enquiry.

The gateman also supported this statement to great extent. According to this gateman, he had gone out to ease himself as he was not feeling well on that day. When he heard the sound of the coming train, he rushed back to close the gate and saw a Bus coming from the side of Lakhimpur only four or five paces from the gate on the side. Thus there is no doubt that when the ill-fated Bus was negotiating the level crossing the gates were open. The statement of the gateman also gives support to the statement of the driver of the Bus that the gateman was not visible near the gate when he approached the crossing so as to warn him regarding the approach of the coming train.

What happened after this initial mistake on the part of the gateman can also be said to be due to his failure to grasp the situation. If he had not attempted to close the gate, the Bus could have crossed the level crossing by its momentum and this loss could be avoided. However, gateman Sri Mool Chand stated that if he had not motioned back the bus, all of the passengers in the Bus would have died as the collision would have taken place before the Bus could clear the track. In my opinion this was the second mistake on his part but this could be due to confusion created in his mind and the nervousness at that situation. In my opinion the time in which the driver of the bus got into reverse gear and backed the bus for a few paces was sufficient in which he could have cleared track had the gateman refrained from his attempt to close the gate. This attempt to close the gate also prevented the bus from going back to reasonably safe distance because gate on the side of Lakhimpur also begun to get automatically closed and it got struck after colliding with the bus which was being back. Collision of the bus and the gate was also apparent at the time of my inspection at the spot. The gate on the side of Lakhimpur was hinged to iron rail supported with a. masonry pillar shown as "A" in the site plan. At the time of my inspection this pillar was found to be damaged and the damage appeared to be the recent one. There was also a lack in the discharge of his duties on the part of the gateman when he failed to put on the safety catches on the two gates after opening the gates after passing of an earlier train. In his statement the gateman admitted that earlier a goods train had passed by that track and as the passenger train was to follow soon after a short time, he did not put on the safety catches. Attempt on the part of the gateman to close the gate after removing these catches woud have given sufficient warning to the approaching vehicles on the road that the gates were being closed and therefore some train was to pass along that way.

Thus after careful consideration of the statements of the driver of the ill-fated bus and the passengers, I am of the opinion that the accident took place solely because the gateman failed to close the gate or to warn the driver of the bus well in time. It is not a case in which the driver of the bus attempted to disregard the signals of the gateman or prevented the gateman from closing the gates. Thus the responsibility lies on the Railway administration for this mishap.

Fortunately the engine of the train collided obliquely with he bus and the bus was thrown away and was overturned in an angular way. Had it been a direct collision there would have been very little possibility of any escape. In the present case almost every passenger obtained some or the other injuries. But none of those injuries proved to be fatal. Serious injuries were also obtained by only a few persons. As the place of the incident was near the town of Gola Gokarannath immediate help was rushed from the town and also from Lakhimpur.

Before parting with this report I shall like to make a few suggestions for avoiding recurrence of the similar accidents in future. In my opinion an immediate step should be taken by Railway administration to place the gates further away from the track preferably on the boundary of the Railway track so that in case of any human failure there is ample space between the gates and the track in which vehicles may take side. Secondly, the forest near the Railway crossing may be cleared to give a clear visibility of at least 100 yards of the railway track on either side and thirdly, automatic or manually operated signals should be placed on either side of the level crossing to warn the driver of the trains in case the gate is left open due to some mistake by the gateman. It will be better if instead of taking one or two suggestions all of the suggestions are taken into consideration and executed to provide greater safety for the public.

(Sd.) N. C. JAIN,
Magistrate, 1st Class,
Kheri.

August 18, 1960.

संसदीय ज्ञान

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५५ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ली गई कम्पनियों के कर्मचारियों को अपनी सेवा में लेने पर निर्धारित की गई शर्तें :—

१—परिषद् ने उन्हीं कर्मचारियों को नौकरी में लिया है जो योग्य समझे गये और कम्पनी को खरीदने के एक वर्ष पहले से कार्य कर रहे थे और ५५ वर्ष के नहीं हुये थे।

२—परिषद् उन कर्मचारियों को जो ५५ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे और परिषद् के लिये लाभदायक हैं उनको वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर ५८ वर्ष की आयु तक पुनः नौकरी में रख लेती है।

३—साधारणतया परिषद् ने कम्पनी के कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार रक्खा है कि जो वेतन वे कम्पनी के अधीन पा रहे थे उससे उनका वेतन कम न हो और जहां तक सम्भव होता है उनके वेतन को परिषद् अपने वेतन क्रमों में निर्धारित करने की कोशिश करती है।

४—यद्यपि परिषद् के अधीन आने पर कम्पनी के कर्मचारियों की यह नई नियुक्ति होती है तब भी परिषद् द्वारा उनके पुराने सेवाकाल को वेतन फन्ड तथा ग्रेच्युटी आदि के लिये मान लिया जाता है।

कृपया प्रतीक्षा करें

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पष्ठ १३५५ पर)

नत्थी की गई सूची

१—जहांनाबाद
२—कालीनगर
३—मादो डांटा
४—शेरपुर
५—भिकारीपुर
६—नेवरिया हुसैनपुर
७—ललौरीखेरा
८—पौटा
९—खामरिया
१०—जमुनिया
११—बिलसन्डा
१२—शुखन्दसपुर नवादा
१३—रामपुर फकिरी
१४—भगवानपुर
१५—इंटगांव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी छ

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५७ पर)

क्रम-संख्य	माह जिसका ओवरटाईम क्लेम है	कर्मचारी का नाम एवं पद		ओवर टाईम भत्ते की धनराशि रु० न०पै०
१	अप्रैल, ६३ ..	श्री हरि विलास, ड्राइवर	..	६.०२
२	मई, ६३ (दूसरा पखवारा)	श्री बाबू राम मौहार, बुकिंग क्लर्क	..	९.९०
३	,,	श्री के० एन० गुप्ता, सहायक कैशियर	..	१६.२०
४	,,	श्री मोती लाल पांडेय, बुकिंग क्लर्क	..	३.४४
५	,,	श्री जी० एस० सक्सेना, कन्डक्टर	..	१८.८०
६	,,	श्री शिवराम कुरील, कन्डक्टर	..	७.२०
७	,,	श्री स्वामी नाथ, कन्डक्टर	..	२६.३२
८	,,	श्री ज्ञान प्रकाश, कन्डक्टर	..	९.००
९	,,	श्री नवीबक्श, कन्डक्टर	..	११.२८
१०	,,	श्री जबर सिंह, कन्डक्टर	..	४.५०
११	,,	श्री हर विलास, ड्राइवर	..	१३.१२
१२	,,	श्री रोशन सिंह, ड्राइवर	..	२.२२
१३	,,	श्री आर० डी० वर्मा, ड्राइवर	..	५.९२
१४	,,	श्री शिवराम, ड्राइवर	..	३.४४
१५	जून ६३, ..	श्री ओ० पी० बाजपेयी, मजदूर	..	३.६४
१६	,,	श्री गोकरन, मजदूर	..	१.५०
१७	अक्तूबर, ६३	श्री के० एन० गुप्ता, सहायक कैशियर	..	६.१२
१८	,,	श्री एम० एल० पान्डेय, बुकिंग क्लर्क	..	११.७६
१९	,,	श्री अफाक हुसेन, बुकिंग क्लर्क	..	१.८६
२०	,,	श्री राम दास, बुकिंग क्लर्क	..	१.९२
२१	,,	श्री शिवराम कुरील, कन्डक्टर	..	१.८६
२२	,,	श्री जबर सिंह, कन्डक्टर	..	२१.३९
२३	,,	श्री दया शंकर, कन्डक्टर	..	३.२०
२४	,,	श्री रती लाल, कन्डक्टर	..	५.५८
२५	,,	श्री स्वामी नाथ, कन्डक्टर	..	१०.०८
२६	,,	श्री नवी बक्श, कन्डक्टर	..	४.१८
२७	,,	श्री एच० एन० पाठक, कन्डक्टर	..	२.८८
२८	,,	श्री ए० रशीद, कन्डक्टर	..	३.४८
२९	,,	श्री हर विलास, ड्राइवर (प्रथम)	..	१७.६४
३०	,,	श्री रोशन सिंह, ड्राइवर	..	३.६५
३१	,,	श्री आर० के गुप्ता, ड्राइवर	..	४.६९

मुक्त सभा

१	२	३	४
३२	अक्तूबर, ६३	श्री एम० खान, ड्राइवर ..	८.७१
३३	,,	श्री नाथू खान, ड्राइवर ..	१.७४
३४	,,	श्री कें० एन० त्रिपाठी, सहायक मैकेनिक ..	८.२८
३५	,,	श्री ओ० पी० बाजपेई, मजदूर ..	२.५०
३६	,,	श्री बालकरन, ,, ..	२.४०
३७	,,	श्री राम साम, ,, ..	०.९६
३८	,,	श्री दरशन, चौकीदार ..	६.००
३९	,,	श्री हर दयाल, चौकीदार ..	३.८४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५८ पर)

नत्थी की गई सूची

१---बड़का गांव
२---बढ़ह्या फुलवारिया
३---बरही चौरा
४---विश्नुपुर
५---बड़वा रतनपुर
६---भुजौली
७---बतरौली बाजार
८---बड़गांव
९---बंजारिया
१०---बलुआ अफगान
११-सिक्ता
१२---सरिया
१३---सोहनपुर
१४---मोहनबाबू
१५---मझौली
१६---नूरखार
१७---चांदपुर
१८---चौरिया
१९---देसाई
२०---धरमपुर
२१---खुतरही
२२---कुशमहा
२३---खिसिया
२४---खुखुन्दा खास
२५---देवरिया उर्फ श्यामपुर
२६---याथना पैना
२७---पिन्डी
२८---पिन्डारा
२९---पादरी
३०---रामपुर मिल बाजार
३१---परसिया दियूर
३२--- भटनी बाजार

लोकसभा प्रश्न प्रदर्शन

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६७ पर)

माननीय परिवहन मंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रिय महोदय,

श्री त्रिभुअन सिंह ए० टी० आई० नौतनवा (गोरखपुर) ने दिनांक २०-८-६३ को पुलिस स्टेशन, नई कोट, जिला गोरखपुर में द्वारा नौतनवा पुलिक चौकी के इस आशय की रिपोर्ट दी कि प्राइवेट मोटर यू० एस० जे० ३०२५ यू० एस० ए० १३६, यू० पी० आर० २०२८ और यू०पी० ए० २६४० नौतनवा और सोनौली के बीच चल रही हैं। इनमें यात्री भरे रहते हैं और बीच में मुसाफिर चढाते उतारते रहते हैं। उनका किराया जो वसूलते हैं वह भी गैर कानूनी ढंग से। इस कार्य से रोडवेज की आमदनी पर असर पड़ रहा है। यही नहीं कुछ बिना नम्बर के भी गाड़ियां चल रही है जिन्हें पैसेन्जर टैक्स सुपरिन्टेन्डेट गोरखपुर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

इस आशय की रपट श्री ज्याल ए० जी० एम० (टी) गोरखपुर ने भी पहले दो बार किया था, मगर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। कुछ दिनों बाद उस ए० टी० आई० का ट्रांसफर सहायक जनरल मैनेजर (ट्राफिक) ने कर दिया। उसके बाद १८-१०-६३ को श्री अवस्थी ए० जी० एम० ने एक बयक श्री सिंह ए० टी० आई० से जवाब तलब किया कि उन्होंने पैसेन्जर टैक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट गोरखपुर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रपट क्यों लिखाई और क्यों न उनके विरूद्ध सख्त कर्यवाही की जाय। यह उत्तर उनसे ठीक दो मास बाद मांगा गया। इस बीच उक्त गाड़ियों में भांग और गांजा की भी स्मगलिंग हुई। लाभ में हिस्सा पता नहीं किसे किसे मिला।

यह एक अत्यन्त गंभीर आरोप है और उत्तरी सीमा पर ऐसे कार्यकलाप स्पष्ट राष्ट्र-द्रोह है। अतः मैं मांग करता हूं कि आप इसकी जांच अविलम्ब सी० आई० डी० से करायें ताकि सम्बन्धित अधिकारियों को सख्त दंड मिल सके, जांच ठीक से हो। इसलिये उन्हें अविलम्ब मुअत्तल किया जाय।

आपका,
(ह०) उग्रसेन, एम० एल० ए०,
प्रधान मंत्री, रोडवेज मजदूर सभा,
उत्तर प्रदेश।

कैम्प, गोरखपुर
८-११-६३

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७८ एल० ए० १९६४—८६०।